



सत्यमेव जयते

# गंगा नदी का पुनरूद्धार (नमामि गंगे)

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन संख्या 39

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

गंगा नदी का पुनरुद्धार  
(नमामि गंगे)

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन संख्या 39

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

## विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सारांश	v
	अनुशंसारं	x
अध्याय 1	परिचय	1
अध्याय 2	वित्तीय प्रबंध	11
अध्याय 3	योजना	25
अध्याय 4	प्रदूषण निवारण और घाट विकास	35
अध्याय 5	ग्रामीण स्वच्छता	59
अध्याय 6	वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव	75
अध्याय 7	मानव संसाधन प्रबंधन	85
अध्याय 8	माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन	93
अध्याय 9	निगरानी और मूल्यांकन	109
	परिशिष्ट	129-145
	संक्षिप्तियां	146-150

## प्रस्तावना

गंगा बेसिन, भारत की विशालतम नदी-बेसिन हैं जो देश की 26 प्रतिशत भूमि है तथा इसकी लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या की सहायक है। गंगा नदी ने अपनी सहायक नदियों के साथ, गंगा नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों को भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्रदान किया है।

गंगा नदी का इस देश की एक सामूहिक चेतना में अपना एक महत्वपूर्ण/विशिष्ट स्थान है, इस पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए पूर्व में और वर्तमान में चल रहे पहलों को एकीकृत करने के लक्ष्य से एक कार्यक्रम के रूप में, 'नमामि गंगे' नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, अनुमोदित (मई 2015) किया। प्राथमिकता प्रमुख गतिविधियों पर है जैसे प्रदूषण की रोकथाम, ग्रामीण नदी तट विकास, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, गंगा के विशिष्ट गुणों की पुनर्स्थापना, नदी के प्रवाह में सुधार, गंगा टास्क फोर्स, क्षमता निर्माण, जी.आई.एफ. मानचित्रण तथा गंगा निगरानी केन्द्र।

गंगा नदी पुनरुद्धार (नमामि गंगे) की निष्पादन लेखापरीक्षा में, नमामि गंगे के अंतर्गत परिकल्पित गंगा नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तंत्र कार्यान्वयन हेतु विविध संसाधनों की पर्याप्तता, विविध निकायों/एजेंसियों की भूमिका तथा समीक्षा एवं निगरानी में उनकी प्रभावशीलता की जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में, वित्तीय प्रबंधन, योजना कार्यान्वयन तथा निगरानी में कमियां पाई गई, जिसके कारण कार्यक्रम के अंतर्गत मील के पत्थरों में विलम्ब की प्राप्ति हुई। यहां, प्रोजेक्ट के अनुमोदन में विलम्ब, योजना/स्कीम के अन्तर्गत विशाल अव्ययित शेष, मानव संसाधनों की कमी के कारण निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, गंगा नदी बेसिन गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना, प्राप्त नहीं किया जा सका। गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु वानिकी हस्तक्षेप की कमी थी। दूर संवेदन आंकड़ों तथा मोबाईल का प्रयोग आरम्भिक स्तर पर था। निगरानी एवं मूल्यांकन अपर्याप्त पाया गया।

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान की धारा 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

## कार्यकारी सारांश

गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हजारों वर्षों से, गंगा नदी ने अपनी सहायक नदियों के साथ गंगा नदी बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को भौतिक, अध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनाधार प्रदान किया है। जनसंख्या दबाव, अनियोजित शहर तथा बढ़ता हुआ नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि का विस्तार, वनों के विनाश, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी की अमूर्तता, जल गुणवत्ता बुनियादी सुविधा में उचित निवेश की कमी तथा शासकीय कठिनाइयों की वजह से नदी खतरे का सामना करती आ रही है।

गंगा नदी तथा इसके सहायक नदियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रभाव डालने के लिए भारत सरकार ने मध्य 1980 से कई पहल किये हैं। भारत सरकार ने एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के नाम से, नमामि गंगे को एक अमब्रेला कार्यक्रम के रूप में दक्षता बढ़ाने, तालमेल बनाने तथा अधिक व्यापक व बेहतर समन्वित हस्तक्षेप प्रदान करने के द्वारा उन्हें पूरक सहयोग देने के लिए पिछले तथा वर्तमान में चालू पहलों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अनुमोदित (मई 2015) किया।

हमने आकलन की पर्याप्तता, धन की उपलब्धता तथा उपयोग, विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन, मानव संसाधन की पर्याप्तता तथा निगरानी एवं परीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता के आकलन के लिए गंगा नदी का पुनरुद्धार (नमामि गंगे) का निष्पादन लेखापरीक्षा किया।

हमने लेखापरीक्षा जांच के लिए 87 परियोजनाओं (73 चालू, 13 पूर्ण तथा एक परित्यक्त परियोजना) को चुना जिसकी कुल संस्वीकृत लागत ₹ 7,992.34 करोड़ थी। लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 87 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं 1 अप्रैल 2014 के बाद संस्वीकृत थीं। 87 परियोजनाओं में 11 संस्थानिक परियोजना, पांच वानिकी परियोजना तथा एक जैव-विविधता परियोजना शामिल थे।

## वित्तीय प्रबंध

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान संशोधित अनुमान की तुलना में निधि का उपयोग आठ से 63 प्रतिशत तक था। 31 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, विभिन्न राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों तथा कार्यपालक एजेंसी/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास ₹ 2,133.76 करोड़, ₹ 422.13 करोड़ तथा ₹ 59.28 करोड़ अनुपयोगित पड़े थे।

(पैराग्राफ 2.2.1 & 2.2.5)

सभी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलम्ब था।

(पैराग्राफ 2.2.6)

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों ने 2014-17 के दौरान निर्धारित अंतराल के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। बिहार एवं उत्तराखंड के राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह के मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा बिल्कुल नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.4)

₹ 198.14 करोड़ की समग्र राशि स्वच्छ गंगा निधि में उपलब्ध (31 मार्च 2017 को) थी। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा निधि में से किसी भी राशि का उपयोग नहीं कर सका और ट्रस्ट द्वारा कार्य योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूरी राशि बैंकों में पड़ी रही।

(पैराग्राफ 2.6.1)

## योजना

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कंसोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से साढ़े छह वर्षों से अधिक होने बाद भी दीर्घकालिक कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका था। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण अधिसूचना के आठ साल से अधिक अवधि के बाद भी नदी घाटी प्रबंधन की योजना नहीं है।

(पैराग्राफ 3.3)

2014-15 से 2016-17 से संबंधित 154 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से केवल 71 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंजूर किए गए थे। इन 71 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में से, 70 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को 26 से 1,140 दिन तक के देरी के बाद मंजूरी दी गई थी। शेष 83 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से 54 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 120 से लेकर 780 दिनों तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन स्तर पर लंबित थी।

(पैराग्राफ 3.4)

मई 2017 तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई थी। उत्तराखंड में पहचान कार्य प्रगति पर था।

(पैराग्राफ 3.8)

## प्रदूषण निवारण और घाट विकास

अनुमोदित लक्ष्य तिथियों के अनुसार, सभी मलजल उपचार संयंत्रों के लिए कार्य सौंपने का काम सितंबर 2016 तक पूरा करना था। अगस्त 2017 को कुल 1,397 एम.एल.डी. क्षमता वाले परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन बाकी था।

(पैराग्राफ 4.2.1)

₹ 5,111.36 करोड़ की लागत के 46 मलजल उपचार संयंत्रों में से, अवरोधन एवं विपथन परियोजनाएं तथा नहर के काम में से ₹ 2,710.24 करोड़ की लागत वाली 26 परियोजनाओं में परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, जमीन की अनुपलब्धता, ठेकेदारों द्वारा धीमा कार्य तथा मलजल उपचार संयंत्रों का अल्प उपयोग के कारण देरी हुई थी। घाटों तथा शवदाहगृह से सम्बंधित परियोजनाओं के कार्य को अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

(पैराग्राफ 4.4 & 4.5)

## ग्रामीण स्वच्छता

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण, सूचना, शिक्षा और संचार तथा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए ₹ 951.11 करोड़ के कुल धन के विरुद्ध, पांच राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल केवल ₹ 490.15 करोड़ का उपयोग कर सके।

(पैराग्राफ 5.3)

उत्तराखंड के अलावा, अन्य चार राज्य जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल 31 मार्च 2017 तक, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

(पैराग्राफ 5.4)

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों के चिन्हित जिलों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को नहीं किया गया। मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड में 132 ग्राम पंचायतों में से केवल दो में ही ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य को पूरा किया जा सका तथा 11 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर था।

(पैराग्राफ 5.6)

उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के 12 जाँच परीक्षित जिलों में प्रबंधन सूचना प्रणाली में बताए गए डाटा और ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों में विसंगतियां थी।

(पैराग्राफ 5.7.2)

### वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव

बिहार और झारखंड के चयनित जिलों / डिविजनों में कृषि और शहरी लैंडस्केप के कोई हस्तक्षेप नहीं किये गए। बिहार में संरक्षण और समर्थन गतिविधियों को भी नहीं लिया गया था। उत्तराखंड में प्राकृतिक परिदृश्य, कृषि परिदृश्य और संरक्षण के हस्तक्षेप में भी कमी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 6.3.2)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किए गए विपथन या भंडारण के कारण जल प्रवाह की अनिरंतरता के स्थानों की पहचान नहीं की और अक्टूबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार आवश्यक, इसके लिए कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की।

(पैराग्राफ 6.5)

### मानव संसाधन प्रबंधन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में 2014-15 से 2016-17 के दौरान, मानव शक्ति की कुल कमी 44 से 65 प्रतिशत थी। एसपीएमजी में कुल कमी 20 से 89 प्रतिशत के बीच थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लिया।

(पैराग्राफ 7.2)

### निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी निकायों/ समितियां जैसे कि शासी निकाय, उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, सशक्त टास्क फ़ोर्स और शासी परिषद् आवश्यक आवृत्ति के अनुसार नहीं मिले।

(पैराग्राफ 9.2)

'गंगा मॉनिटरिंग सेंटर' की स्थापना का जनादेश अभी भी जुलाई 2017 तक एन.एम.सी.जी. में अवधारणा और योजना चरण में था।

(पैराग्राफ 9.4)



निवेश परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और निगरानी को सक्षम करने के साथ-साथ जी.आई.एस. मैपिंग के माध्यम से सभी आंकड़ों के केंद्रीय भण्डार के लिए मंच प्रदान करने के लिए भुवन गंगा वेब पोर्टल का क्रियान्वयन धीमा था ।

(पैराग्राफ 9.5)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जनता द्वारा भुवन गंगा ऐप पर साझा की गई जानकारी पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

(पैराग्राफ 9.6)

मार्च 2017 तक, निगरानी और मूल्यांकन पर तीन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंजूर ₹ 198.48 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 14.77 करोड़ (7.44 प्रतिशत) का खर्च किया गया ।

(पैराग्राफ 9.7)

988 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के संबंध में आयोजित होने वाले 5,016 अनुपालन सत्यापनों के विरुद्ध में 2011-17 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल 3,163 अनुपालन सत्यापन किए गए थे। पांच आम प्रवाह उपचार संयंत्रों के संबंध में किए जानेवाले अपेक्षित 120 अनिवार्य समुचित मूल्यांकनों के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 17 मूल्यांकन किए गए थे। 67 मलजल उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले 560 अनिवार्य निरीक्षणों के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 177 निरीक्षण किए गए थे।

(पैराग्राफ 9.7.1)

वास्तविक समय के आधार पर जल गुणवत्ता की निगरानी के निरंतर प्राप्ति के लिए गंगा नदी के किनारे पहचान की गई 113 स्थलों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केवल 36 स्वचालित गुणवत्ता प्रणालियों की तैनाती कर सका।

(पैराग्राफ 9.7.3)

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के छह शहरों<sup>1</sup> में 2012-13 के स्तर से डिसोल्ड ऑक्सीजन में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के तीन शहरों (कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी) में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निर्धारित सीमा से अधिक था। 2016-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी शहरों में टोटल कोलिफॉर्म स्तर निर्धारित स्तरों की तुलना में छह<sup>2</sup> से 334<sup>3</sup> गुना तक ज्यादा था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गए थे।

(पैराग्राफ 9.8)

## अनुशंसाएं

हम यह अनुशंसा करते हैं कि

- i. एन.एम.सी.जी., वार्षिक कार्य योजना तैयार करे एवं वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सही ढंग से बजट आकलन का लेखा-जोखा तैयार करें तथा बजट आवंटन व वास्तविक व्यय के बीच के अंतरों की नियमित समीक्षा करने के लिए समुचित कदम उठाएं।
- ii. एन.एम.सी.जी. व्यय की नियमित निगरानी हेतु एस.पी.एम.जी. द्वारा यू.सी./समेकित विवरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- iii. एन.एम.सी.जी. निर्धारित अंतराल पर सभी एस.पी.एम.जी. का आंतरिक लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित करें।
- iv. एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. वित्तीय वर्ष के अंत में एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी./ई.ए. इत्यादि के पास उपलब्ध अव्यय शेष राशियों की गणना करने के बाद एन.एम.सी.जी. को आगामी अनुदान जारी करें।
- v. एन.एम.सी.जी. स्वच्छ गंगा निधि के संवर्धन एवं उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार करे।
- vi. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी संरक्षण पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन करने के लिए गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दे सकता है और समयबद्ध तरीके से इसे लागू कर सकता है।
- vii. एन.एम.सी.जी. डी.पी.आर. का मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकता है जैसा कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में समयबद्ध तरीके से करने की परिकल्पना की गई थी।

<sup>1</sup> कानपुर, वाराणसी (डाउनस्ट्रीम), पटना, मुंगेर, गयासपुर और बज बज

<sup>2</sup> पटना

<sup>3</sup> गयासपुर

- viii. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी को अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों से संरक्षित करने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान कर सकता है और घोषित कर सकता है।
- ix. एन.एम.सी.जी. सभी शहरों और गांवों से संबंधित सीवरेज की क्षमता के अंतराल को संबोधित कर सकता है और तदनुसार सीवेज सिस्टम, एस.टी.पी., अवरोधन और पथांतरण कार्य की समयबद्ध तरीके से योजना बना सकता है।
- x. एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी., यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंगा नदी में कोई अशोधित सीवेज प्रवाहित न की जाए, सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना और उनके प्रचालन के साथ अवरोधन और पथांतरण परियोजनाओं समक्रमिक कर सकता है।
- xi. एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. संविदा देने से पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों और कार्यपालक एजेंसियों के साथ परामर्श करके भूमि उपलब्ध कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर सकते हैं।
- xii. एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।
- xiii. एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक वास्तविक योजना, आँकड़ा प्रमाणिकता तथा कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।
- xiv. एन.एम.सी.जी. तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस., सभी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक भौतिक/वित्तीय रिपोर्ट की क्रास-चेकिंग द्वारा एम.आई.एस. के अंतर्गत सूचित आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- xv. एन.एम.सी.जी. गंगा नदी पारिस्थितिकी को बनाए रखने और टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं से खतरों की पहचान कर सकता है।
- xvi. एन.एम.सी.जी. अभियांत्रिकी परिवर्तन या भंडारण के कारण गंगा नदी के जल प्रवाह की असंततता की पहचान करके अविरल धारा के मामले को प्राथमिकता दे सकता है ताकि पारिस्थितिक प्रवाह को निर्धारित और बनाए रखा जा सके।
- xvii. एन.एम.सी.जी. रिक्तियों को भरने हेतु एन.एम.सी.जी. तथा एस.पी.एम.जी. दोनों स्तरों पर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भर्ती नियम तैयार तथा संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

- xviii. एन.एम.सी.जी. गंगा संरक्षण कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करे, सिफारिशें करे और कार्रवाई करने योग्य बिंदु तैयार करे और सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करें।
- xix. एन.एम.सी.जी. पहले से ही प्रदूषण की निगरानी, प्रदूषण के महत्वपूर्ण मापदंडों की सूचीकरण, गंगा नदी की निगरानी और नियामकों को मजबूत बनाने के लिए सी.पी.सी.बी. को सौंपे गए कार्य में तेजी लाने हेतु सभी प्रयास करें।
- xx. एन.एम.सी.जी. गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016) में परिकल्पित गंगा निगरानी केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए।
- xxi. एन.एम.सी.जी. बेहतर निगरानी के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के भू-स्थानिक डाटा का उपयोग करें।

# 1 अध्याय

## 1.1 परिचय

नदी प्रणाली, सम्पूर्ण विश्व में सभ्यताओं का जन्मस्थान रही है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी<sup>1</sup> है। हजारों वर्षों से, गंगा नदी ने अपनी सहायक नदियों<sup>2</sup> के साथ गंगा नदी बेसिन में रहने वाले लाखों लोगों को भौतिक, अध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जीविका प्रदान करती है।

गंगा एक बारहमासी नदी है जो लगभग पूरे वर्ष हिम पिघलने तथा बर्फ पिघलने से बनती है। गंगा बेसिन, देश की भूमि के 26 प्रतिशत भाग को निहित करने वाली तथा इसकी जनसंख्या के लगभग 43 प्रतिशत को सहारा देने वाली भारत की सबसे लम्बी नदी बेसिन है। बेसिन, भारत नेपाल तथा बंगलादेश में विस्तृत होते हुए 10,86,000 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र आच्छादित करता है। गंगा बेसिन के क्षेत्र का लगभग 79 प्रतिशत, भारत में 8,62,769 वर्ग कि.मी. में फैला है।

बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले नदी पाँच राज्यों (उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल) से होकर बहती है। यह तलछट तथा पोषक तत्व लाती है जो बेसिन क्षेत्रों के दीर्घ-काल तक उपजाऊपन प्रदान करने में मदद करता है। गंगा नदी के जैव विविधता तीन विभिन्न पारिस्थितिकी-क्षेत्रों नामतः हिमालय गंगा नदी का मैदान तथा डेल्टा क्षेत्रों को संश्लेषित करती है। गंगा नदी बेसिन में फैली हुई झीलें बड़ी संख्या में विशिष्ट वनस्पति तथा पशुवर्ग के साथ-साथ प्रवासी प्रजातियों को आश्रय देती है, जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और सामाजिक कार्यों को पूरा करती है। हालांकि, जनसंख्या दबाव, अनियोजित शहर तथा बढ़ता हुआ नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि का विस्तार, वनों के विनाश, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी की अमूर्तता जल गुणवत्ता बुनियादी सुविधा में उचित निवेश की कमी तथा शासकीय कठिनाईयों की वजह से नदी, खतरे का सामना करती आ रही है।

प्रदूषण को कम करने, गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु, भारत सरकार ने गंगा नदी बेसिन<sup>3</sup> के अंतर्गत ग्यारह राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली,

<sup>1</sup> 4 नवम्बर 2008 को, भारत के प्रधानमंत्री ने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया

<sup>2</sup> देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम पर गंगा नदी का उद्गम होता है तथा दक्षिण की तरफ बहते हुए 2,525 कि.मी. पर करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो इस अवधि के दौरान मिलती हैं।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल) को अधिसूचित किया है।

## 1.2 गंगा पुनरुद्धार के लिए संस्थागत विकास

### 1.2.1 विधान

जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम) अधिनियम 1974<sup>4</sup>, जल प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम तथा जल की स्वास्थ्य-प्रदाता को कायम रखते हुए पहला मुख्य कदम था।

भारत सरकार ने पर्यावरण में सुधार तथा संरक्षण तथा संबंधि मामलों हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिनीत किया। पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि तथा आपसी-संबंध जो जल, वायु तथा भूमि व मनुष्य जाति, अन्य सजीव प्राणियों, वनस्पति, सूक्ष्म जीवी तथा प्रापर्टी के बीच मौजूद है।

गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु प्राधिकारी को इन अधिनियमों के प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए गठित किया गया।

### 1.2.2 संस्थागत ढाँचा तथा सरकारी हस्तक्षेप

सरकार द्वारा वर्ष 2011 तक गंगा नदी के संरक्षण व प्रदूषण कम करने से संबंधित की गई विभिन्न पहलों को तालिका 1.1 में संक्षिप्त रूप में दी गई है।

तालिका 1.1 संस्थागत विकास

तिथि	वृत्तांत
दिसम्बर 1984	गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य के साथ पर्यावरण विभाग <sup>5</sup> द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) तैयार करना। लक्ष्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के 25 श्रेणी-1 शहरों में उत्पन्न बेकार जल का अंतरावरोधन/अंतरग्रहण, व्यपवर्तन तथा उपचार था।
फरवरी 1985	गंगा नदी में प्रदूषण रोकथाम की कार्य योजना हेतु नीति ढाँचा/फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने तथा इसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यावरण विभाग में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (सी.जी.ए.) तथा गंगा

<sup>3</sup> गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन) प्राधिकारी आदेश, 2016 के अनुसार, अन्य राज्यों में गंगा की मुख्य सहायक नदियों को भी गंगा नदी बेसिन में शामिल किया जा सकता है। जैसा की गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद में निर्णय लिया जा सकता है।

<sup>4</sup> अनुच्छेद 252 के अंतर्गत, संसद किसी अन्य राज्य के द्वारा इस तरह के विधि-निर्माण के अभिग्रहण तथा सहमति के द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए विधि-निर्माण कर सकती है। जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम) अधिनियम, 1974 को इस प्रावधान के अनुसरण में अभिनीत किया गया।

<sup>5</sup> वर्तमान में पर्यावरण, वन तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय

तिथि	वृत्तांत
	परियोजना निदेशालय (जी.पी.डी.) की स्थापना
अप्रैल 1985	मार्च 1990 तक पूरी की जाने वाली जी.ए.पी. का एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदन
1986	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन
1993	जी.ए.पी.-II की शुरुआत। यह योजना चरण-1 में छूट गए 25 श्रेणी-1 शहरों के साथ-साथ नदी के किनारे अन्य प्रदूषित शहरों को कवर करना था। जी.ए.पी.-II को भी, गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों नामतः यमुना, दामोदर तथा गोमती को भी संरक्षित करना परिकल्पित किया। जी.ए.पी.-I के अंतर्गत इन राज्यों के अलावा, जी.ए.पी.-II के अंतर्गत आनेवाले झारखण्ड, दिल्ली तथा हरियाणा को भी कवर किया गया।
1993	यमुना नदी में प्रदूषण कम करने हेतु अप्रैल 2000 तक पूरा किए जाने वाले यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) चरण-I की शुरुआत।
जून 1994	सभी नदियों के प्रदूषण समाप्ति कार्यक्रमों को बढ़ाने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर जी.पी.डी का राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) में रूपांतरण
सितम्बर 1995	सी.जी.ए. का राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण में रूपांतरण
मार्च 2000	जी.ए.पी.-I की समाप्ति
फरवरी 2003	वाई.ए.पी.-I की समाप्ति
दिसम्बर 2004	वाई.ए.पी.-II का विमोचन
फरवरी 2009	गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) की अधिसूचना तथा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण (एस.जी.आर.सी.ए.) का गठन। एन.जी.आर.बी.ए., व्यापक योजना तथा प्रबंधन हेतु एक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाने के द्वारा गंगा नदी के संरक्षण <sup>6</sup> तथा प्रदूषण की समाप्ति हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को मजबूती देने हेतु योजना, वित्त, निगरानी तथा समन्वय प्राधिकरण था।
जुलाई 2010	गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जी.आर.बी.एम.पी.) की तैयारी हेतु सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.एस.) के संघ के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)।
मई 2011	एन.जी.आर.बी.ए. प्रोग्राम फ्रेमवर्क तैयार करना, गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण को कम करने पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निवेश, वित्तीय

<sup>6</sup> एम.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी.&जी.आर. अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2014 के द्वारा संरक्षण शब्द को जीर्णोद्धार के साथ बदला गया।



तिथि	वृत्तांत
	प्रबंधन, खरीद और जबाबदेही के कार्यान्वयन की व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का निर्धारण करना।
अगस्त 2011	एन.जी.आर.बी.ए. के अधिदेश के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशम (एन.एम.सी.जी.) की एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापना। एन.एम.सी.जी. के पास गंगा नदी से संबंधित समग्र परियोजना नियोजन व प्रबंधन, राष्ट्रीय स्तर गतिविधियों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन तथा राज्य स्तर निवेशों के संतुष्टिप्रद कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
दिसम्बर 2011	जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) की सहायता से ₹ 1,656 करोड़ की अनुमानित लागत वाले वाई.ए.पी.-III का विमोचन। 1 जुलाई 2016 को 2013-14 से आगे वाई.ए.पी.-III तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत ₹ 97.42 करोड़ की निधि जारी की गई। इसके अतिरिक्त, हरियाणा के सोनीपत व पानीपत में ₹ 217.87 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गंगा नदी इस देश की सामूहिक चेतना-जागृति में एक विशिष्ट स्थान रखती है, भूतपूर्व जल संसाधन मंत्रालय (जुलाई 2014) को जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर.) के रूप में नाम परिवर्तन इस राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए व्यापक दृष्टिकोण लाने के लिए किया गया तथा मिशन निदेशालय को शामिल करते हुए एन.एम.सी.जी. तथा गंगा व इसकी अन्य सहायक नदियों से सम्बन्धित मामले इस मंत्रालय को आवंटित किए गए। तत्पश्चात, एन.जी.आर.बी.ए. को पुनर्गठित (सितम्बर 2014) किया गया तथा इसके अधिदेश को गंगा नदी के प्रभावी पुनरुद्धार तथा प्रदूषण समाप्ति के उपायों को शामिल करने हेतु संशोधित किया गया।

भारत सरकार ने एन.जी.आर.बी.ए. का विघटन (अक्टूबर 2016) कर दिया तथा गंगा नदी के जीर्णोद्धार तथा प्रदूषण रोकथाम के अधीक्षण<sup>7</sup> हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी रखने वाले एक प्राधिकरण के तौर पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया। हालाँकि, नई अधिसूचना के अंतर्गत वित्तीय तथा बजटीय फ्रेमवर्क हेतु पृथक नियमों को अभी बनाना शेष है परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम फ्रेमवर्क के प्रावधानों का अनुपालन करना जारी रखा गया। एन.एम.सी.जी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने तथा निर्देश जारी करने वाले एक प्राधिकरण में रूपांतरित किया गया। सचिव, एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.,&जी.आर, एन.एम.सी.जी. की शासकीय परिषद के अध्यक्ष है।

<sup>7</sup> गंगा नदी (जीर्णोद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016)

### 1.2.3 नमामि गंगे कार्यक्रम

एन.जी.आर.बी.ए. के अंतर्गत परिकल्पित राष्ट्रीय उद्देश्य तथा बढ़ती हुई प्राथमिकताओं के लिए, भारत सरकार ने एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन नाम, नमामि गंगे को एक अमब्रेला कार्यक्रम के रूप में दक्षता बढ़ाने, सहयोग देने तथा अधिक व्यापक व बेहतर समन्वित हस्तक्षेप प्रदान करने के द्वारा पिछले वर्तमान में चालू पहल को एकीकृत करने के उद्देश्य से अनुमोदित (मई 2015) किया। योजना को ₹ 20,000 करोड़ के कुल व्यय के साथ 2020 तक कार्यान्वित किया जाना है। इसने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ गहन समन्वय के द्वारा गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जी.आर.बी.एम.पी.) के कार्यान्वय को परिकल्पित किया।

नमामि गंगे के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेप समूह की विभिन्न अल्प-अवधि (2014 से तीन साल की अवधि), मध्यम-अवधि (2014 से पाँच वर्ष की अवधि) तथा दीर्घ अवधि विजन (10 वर्ष तथा अधिक अवधि) के लिए प्रस्तावित किया गया था। प्राथमिकताएँ प्रदूषण में कमी ग्रामीण स्वच्छता, नदी फ्रंट विकास/प्रबंधन, गंगा की विशिष्ट गुणों प्राथमिकताओं का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, नदी प्रवाह सुधार, संचार व सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियाँ तथा अन्य गतिविधियाँ/पायलट परियोजनाएं जो एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम में शामिल थी साथ ही वो जो जी.आर.बी.एम.पी. से निकली थी।

कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित नई पहल के लिए, वित्त पोषण 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में होना था, जबकि मौजूदा कार्यक्रम उनके पहले अनुमोदित तंत्र के तहत जारी रहे। एन.जी.आर.बी.ए. प्रोग्राम ढांचे को अपनाया गया है और गंगा नदी सभी नमामि गंगे गतिविधियों और इसकी सहायक नदियों के लिए उन परियोजनाओं सहित जिन्हें अभी तक स्वीकृत किया जाना है, एमपावर्ड स्टैयरिंग कमेटी (ई.एस.सी.) के माध्यम से त्वरित ट्रैक मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

### 1.3 कार्यक्रम कार्यान्वयन

केन्द्रीय स्तर पर, एन.एम.सी.जी को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया था। राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एस.पी.एम.जी.एस.) को पंजीकृत सोसायटी के तौर पर स्थापित किया गया तथा झारखण्ड में, राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग में एक निष्ठावान नोडल सेल की स्थापना की गई।

ढाँचागत निवेश का निष्पादन प्रत्येक निवेश हेतु चयनित कार्यकारी एजेंसियों (ई.ए.) द्वारा किया जाना था। ई.ए. के चुनाव में मौजूदा राज्य स्तरीय तकनीकी एजेंसियाँ शामिल थी

जिनके पास उनके संबंधित राज्यों में शहरी ढाँचागत प्रबंधन (विशेष तौर पर अपशिष्ट जल) का अधिदेश है।

कार्यक्रम को शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा प्रदत्त नियोजन व कार्यान्वयन हेतु स्थानीय समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जाना था।

स्थापित संस्थागत प्रतिमान तथा कार्यान्वयन प्रबन्धों को एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी., यू.एल.बी. तथा ई.ए. के कार्यक्रम या परियोजना में उनकी भागीदारी के अनुसार एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के द्वारा संचालित किया गया।

एन.एम.सी.जी. ने सहायता अनुदान एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. की बजट लाइन के रूप में प्राप्त किया तथा एस.पी.एम.जी.एस., सी.पी.एस.यू.एस., अन्य केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों, को हस्तांतरित किया।

2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा जारी निधि ₹ 3,633 करोड़ हुआ जो एन.एम.सी.जी. द्वारा ₹ 1,836 करोड़ व्यय किया गया।

#### 1.4 हमने इस विषय का चयन क्यों किया

1980 के मध्य से की गई विभिन्न पहल भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश के बावजूद गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का एक व्यापक तरीके से व्याख्यान नहीं किया जा सका। हाल ही में, गंगा को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता तथा समझ बढ़ी है। नतीजन, बहु-अनुशासनिक, बहु क्षेत्रीय और प्रणाली आधारित एकीकृत अप्रोच पर जोर दिया गया जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार के हस्तक्षेप, न्यायिक घोषणाओं और नागरिक समाज के प्रयासों के अलावा गंगा कायाकल्प के संदर्भ में अधिक से अधिक पर्यावरण सक्रियता के बारे में सामने आया है।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सी.&ए.जी.) की रिपोर्ट सं. 5ए.(2000) में गंगा एक्शन प्लान की परिसीमाओं पर प्रकाश डाला जो लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इसकी 62 वीं रिपोर्ट (तेरहवीं लोकसभा) में की गई कुछ निश्चित सिफारिशों (2003-04) पर आधारित थी। पी.ए.सी. ने (मार्च 2005) मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कृत कार्रवाई टिप्पणी को स्वीकार किया।

एम.ओ.डब्ल्यू.आर, आर.डी.&जी.आर. ने सी.&ए.जी. को एन.एम.सी.जी. का “समवर्ती लेखापरीक्षा” करने का अनुरोध (अगस्त 2015 तथा जून 2016) किया। हमने, (अक्टूबर 2016) एम.ओ.डब्ल्यू.आर, आर.डी.&जी.आर. के माइलस्टोन आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा का जिम्मा लेने के प्रस्ताव का संप्रेषण किया। माननीय उत्तराखण्ड उच्च

न्यायालय ने (दिसम्बर 2016) नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपायों पर कई निर्देश जारी किए। माननीय उच्च न्यायालय ने गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए शुरू की गई सभी केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा गंगा नदी के पुनरुद्धार पर खर्च की गई राशि का सी.ए.जी. द्वारा विशेष लेखापरीक्षा कराने की मांग की।

सरकार द्वारा की गई पहल, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. के अनुरोध तथा न्यायिक घोषणाओं की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, हमने गंगा नदी के पुनरुद्धार (नमामि गंगे) का निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।

### 1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

गंगा नदी पर निष्पादन लेखापरीक्षा जाँच करना चाहता है:-

- (क) क्या निधि का अनुमान, उपलब्धता तथा प्रयोग उचित, पर्याप्त तथा विश्वसनीय था;
- (ख) क्या विभिन्न योजनाएँ/परियोजनाएँ निर्धारित फ्रेमवर्क के अनुसार नियोजित की गई थी;
- (ग) क्या सीवरेज, घाट व शवदाहगृह, रिवरफ्रंट विकास तथा नहरों व ग्रामीण स्वच्छता की परियोजनाओं को नमामि गंगे, के अंतर्गत निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार किफायती, दक्ष व प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया गया;
- (घ) क्या फ्लोरा, फउना के संरक्षण तथा नदी प्रवाह के रखरखाव हेतु परियोजनाओं को प्रभावी व दक्ष तरीके से कार्यान्वित किया गया;
- (ङ) क्या मानव संसाधन पर्याप्त थे;
- (च) क्या माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया गया;
- (छ) क्या नमामि गंगे के अंतर्गत परियोजना के परिणामों की प्राप्ति हेतु प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र तय किए गए थे।

### 1.6 लेखापरीक्षा नमूना, क्षेत्र और कार्यप्रणाली

गंगा नदी के पुनरुद्धार पर बढ़ते हुए ध्यान केन्द्रित करते हुए, भारत सरकार ने एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. (जुलाई 2014) को गंगा नदी के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ प्रदान की तथा पूर्व एवं वर्तमान में चल रही पहल के एकीकरण के उद्देश्य के साथ नमामि गंगे (जुलाई 2014) घोषणा की। हमने इसलिए, 2014-15 से 2016-17 के दौरान हो चुकी गतिविधियों पर जोर दिया।

हालाँकि हमने नमामि गंगे की घोषणा से पूर्व स्वीकृत लेकिन 2014-17 में चल रही परियोजनाओं को भी कवर किया तथा पूर्व वर्षों के प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों की भी जाँच की, जहाँ उचित लगा।

01 अप्रैल 2014 को ₹ 4,588.35 करोड़ की लागत वाली 55 परियोजनाएं चल रही थी और 2014-17 के दौरान ₹ 6,386.90 करोड़ की 90 परियोजनाएं मंजूर की गईं। इन 145 परियोजनाओं में से ₹ 10,975.25 करोड़ की लागत, 11 संस्थागत परियोजनाएँ (₹ 285.12 करोड़ की स्वीकृत लागत) पाँच वनीकरण परियोजनाएँ (₹ 50.62 करोड़ स्वीकृत लागत), एक जैव विविधता परियोजना (₹ 76 लाख स्वीकृत लागत) तथा 128 ढाँचागत परियोजनाएँ (₹ 10,638.75 करोड़ स्वीकृत लागत) थीं।

हमने 70 ढाँचागत परियोजनाएँ (₹ 7,655.84 करोड़ की स्वीकृत लागत) तथा सभी 11 संस्थागत परियोजनाएँ, पाँच वनीकरण परियोजनाएँ तथा एक जैव-विविधता परियोजनाओं को शामिल करते हुए 87 परियोजनाओं को चयनित किया। इन 87 चयनित परियोजनाओं में से 73 प्रवर्तन में थी, 13 पूरी हो चुकी थी तथा एक परियोजना को छोड़ दिया गया था।

87 परियोजनाओं की ₹ 7,992.34 करोड़ की स्वीकृत लागत में 145 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत का 72 प्रतिशत निहित था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 87 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएँ सैम्पल का 57 प्रतिशत हैं, जो 01 अप्रैल 2014 के बाद संस्वीकृत की गई हैं। परियोजनाएँ मापदंडों पर जोखिम आकलन जैसे प्राथमिक/विस्तृत अनुमान, स्वीकृत लागत, निष्पादन में देरी, कार्य की स्थिति कीमत लंघन, गंगा नदी पर शहर का प्रदूषण भार तथा नदी को खतरा व इसकी सहायक नदियाँ इत्यादि था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र में गंगा नदी के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल निम्नलिखित इकाईयों के अभिलेखों की जांच भी शामिल थी:-

- (i) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), दिल्ली।
- (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), दिल्ली।
- (iii) वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून
- (iv) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर
- (v) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.), देहरादून
- (vi) पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय
- (vii) केन्द्रीय अंतस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एफ.आर.आई.), बैरकपुर, कोलकाता।
- (viii) नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन निगम (एन.बी.सी.सी.)

- (ix) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ई.पी.आई.एल.)
- (x) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.)
- (xi) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन (एन.पी.सी.सी.)
- (xii) डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. लिमिटेड
- (xiii) राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों, वन विभागों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्र शासित प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों<sup>8</sup> में इस तरह की अन्य एजेंसियों के अभिलेख।
- (xiv) पर्यावरण नियोजन तथा समन्वय संस्थान (ई.पी.सी.ओ.), जबलपुर, मध्य प्रदेश

हमने 11 अप्रैल 2017 को एन.एम.सी.जी. के साथ प्रवेश बैठक आयोजित की थी जिसमें हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को समझाया था। जुलाई 2017 में एन.एम.सी.जी. को लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गईं और उनकी टिप्पणियां अगस्त 2017 में मिलीं। 17 अगस्त 2017 को एकजट बैठक हुई जिसमें एन.एम.सी.जी. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई। इस रिपोर्ट को एक्सिट रिपोर्ट की बैठक में आयोजित चर्चा के आधार पर संशोधित किया गया और टिप्पणियों के लिए एन.एम.सी.जी और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. को जारी किया गया (अगस्त 2017)। एन.एम.सी.जी के उत्तरों को रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया है।

## 1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए:-

- (i) जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम) अधिनियम, 1974
- (ii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
- (iii) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सविधान हेतु 2009 की अधिसूचना
- (iv) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के पुनर्गठन हेतु 2014 की अधिसूचना।
- (v) गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016
- (vi) एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम तंत्र।
- (vii) एन.जी.आर.बी.ए. दिशानिर्देश।
- (viii) सामान्य वित्तीय नियम।
- (ix) कार्य अनुबंध हेतु केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश।

<sup>8</sup> छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान को छोड़कर इन राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई।

- (x) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा निर्देश
- (xi) विषय<sup>9</sup> पर न्यायालय के फैसलें

### 1.8 ऑडिट रिपोर्ट की संरचना

इस परिचयात्मक अध्याय के साथ रिपोर्ट में नौ अध्याय हैं। अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को सामने लाता है जबकि अध्याय 3 नमामि गंगे कार्यक्रम के योजना तंत्र के साथ काम करता है। अध्याय 4 प्रदूषण कमी और घाट के विकास से संबंधित परियोजनाओं आदि पर केंद्रित है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मामलों को अध्याय 5 में दर्शाया गया है। एन.एम.सी.जी. के संस्थागत परियोजनाओं और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दे क्रमशः अध्याय 6 और अध्याय 7 में वर्णित हैं। अध्याय 8 माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन की स्थिति से संबंधित है। अंत में, अध्याय 9 में नमामि गंगे कार्यक्रम के मॉनिटरिंग और मूल्यांकन से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

### 1.9 अभिस्वीकृति

हम लेखापरीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विस्तारित सहयोग को स्वीकार करते हैं।

<sup>9</sup> माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देश (दिसम्बर 2016) के संबंध में लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ अध्याय 8 में दी गई हैं।



2  
अध्याय



### 2.1 प्रस्तावना


राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) को चार बजट श्रेणियों मुख्यतः (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एन.आर.सी.पी.) - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक (ई.ए.पी.), (ii) एन.आर.सी.पी.-गैर ई.ए.पी. घटक, (iii) राष्ट्रीय गंगा परियोजना घटक तथा (iv) घाट सौंदर्यीकरण तथा नदी के अग्रभागों के विकास घटक के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. & जी.आर.) से निधि प्राप्त होती है। एन.एम.सी.जी. तिमाही आधार पर स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एस.पी.एम.जी.) को स्थानान्तरित करती है।

### 2.2 बजट एवं निधि उपयोग

किसी परियोजना के समय से कार्यान्वयन में यथोचित बजट की तैयारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजट में, विशिष्ट कार्य के लिए वित्तीय लागतें शामिल होती हैं।

भारत सरकार से निधियों की माँग करने से पूर्व, नदी घाटी परियोजनाओं वाले राज्यों को परियोजना की पूर्ति के लिए निधियों का आंकलन करना आवश्यक है। बजट, वार्षिक कार्य योजना के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्य योजना की तैयारी की व्यापक प्रक्रिया चार्ट 2.1 में वर्णित है।

**चार्ट 2.1: वार्षिक कार्य योजना की तैयारी की प्रक्रिया**



हमने कार्यक्रम के वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ देखी जो आगे के अनुच्छेदों में दी गई हैं:

### 2.2.1 आंकलन की तैयारी में कमियाँ तथा निधियों का कम उपयोग

हमने पाया कि एन.एम.सी.जी. ने किसी वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) के बगैर अपना बजट तैयार किया था। इसके अलावा, एन.एम.सी.जी. की बजट फाइल<sup>10</sup> में योजनाबद्ध गतिविधियों तथा उनके अनुमानित लागत का विवरण शामिल नहीं था। इस प्रकार एन.एम.सी.जी. ने बजट की तैयारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तालिका 2.1 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान बजट आंकलन (बी.ई.), संशोधित आंकलन (आर.ई.), वास्तविक जारी निधि तथा एन.एम.सी.जी. द्वारा किए गए व्यय को दर्शाती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	अथ शेष	बी.ई.	आर.ई.	भारत सरकार द्वारा एन.एम.सी.जी. को जारी निधि	ब्याज	एन.एम.सी.जी. द्वारा किया गया वास्तविक व्यय	एन.एम.सी.जी. के पास अंतः शेष	बी.ई. के संबंध में उपयोग की राशि (प्रतिशत में)	आर.ई. के संबंध में उपयोग की राशि (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+5+6-7)	9	10
2014-15	189.96	2,137.00	2,053.00	326.00	7.75	170.99	352.72	8	8
2015-16	352.72	2,750.00	1,650.00	1,632.00	37.67	602.60	1,419.79	22	37
2016-17	1,419.79	2,500.00	1,675.00	1,675.00	101.78	1,062.81	2,133.76	43	63

(स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका 2.1 दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान आर.ई. की तुलना में केवल 8 से 63 प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक वर्ष का अंतःशेष उस वर्ष के वास्तविक व्यय से अधिक है।

निधि का कम उपयोग, कार्यक्रम के खराब कार्यान्वयन को दर्शाता है। इस संबंध में अवलोकन की चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय 4, 5, 6, 7 एवं 9 में की गई है।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर (अगस्त 2017) दिया कि एक प्राधिकरण के रूप में एन.एम.सी.जी. के गठन एवं दिसम्बर 2016 तक इसके प्रचालन एवं संबद्ध परियोजनाओं के बाद सिवरेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एस.टी.पी.), इंटरसेप्सन एवं डाईवरशन (आई. एंड डी.) कार्यों तथा पूंजी सृजन करने वाले अन्य विभिन्न परियोजनाओं की संस्वीकृति को गति

<sup>10</sup> एन.एम.सी.जी. ने केवल दो वर्षों (2014-15, 2016-17) के लिए बजट फाइलें प्रस्तुत की थीं।

मिली है और ये जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इसका परिणाम न केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति बल्कि वर्ष 2017-18 के अंत तक उच्चतर व्यय के रूप में भी हो सकता है। अतः एन.एम.सी.जी. का उत्तर वर्ष 2014-17 के दौरान कार्यों के मंद गति तथा निधि के कम उपयोग होने का संकेत करता है।

### 2.2.2 बजट समीक्षा समितियों का गठन न होना

परियोजना वित्तीय प्रबंधन पुस्तिका (2011) के अध्याय-1 अनुसार, एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी. को बजट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए बजट समीक्षा समितियों (बी.आर.सी.) का गठन करना होता है और परियोजना प्रबंधन सूचना पद्धति (एम.आई.एस.) के अंग के रूप में एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी. को अपनी तिमाही टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होती है।

हमने पाया कि एन.एम.सी.जी. ने बी.आर.सी. का गठन नहीं किया था। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के एस.पी.एम.जी. ने भी बी.आर.सी. का गठन नहीं किया था।

बी.आर.सी. की अनुपस्थिति में, भौतिकीय तथा व्यय लक्ष्यों की व्यवस्थित निगरानी नहीं हो सकी जिससे वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आर.ई. तथा वास्तविक व्यय में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव हुआ जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शित है।

एन.एम.सी.जी. ने अगस्त 2017 में बताया कि उसने एन.एम.सी.जी. मुख्यालय के साथ-साथ एस.पी.एम.जी., दोनों जगहों पर बी.आर.सी. गठित करने हेतु कदम उठा लिये थे ताकि चल रहे परियोजनाओं का समुचित समन्वय सुनिश्चित हो सके तथा विभिन्न स्तरों पर भौतिकीय तथा व्यय लक्ष्यों की बारिकी से निगरानी की जा सके। एन.एम.सी.जी. ने जुलाई 2017 में यह भी बताया कि एन.एम.सी.जी. में बी.आर.सी. का अब गठन हो चुका है तथा एस.पी.एम.जी. को भी बी.आर.सी. के गठन करने का निर्देश दिया जा चुका है। एन.एम.सी.जी. में बी.आर.सी. की पहली बैठक की जा चुकी है जिसमें विभिन्न एस.पी.एम.जी. ने भाग लिया था।

### 2.2.3 नमामि गंगे (2014-15) हेतु निर्धारित संपूर्ण निधि का अनुपयोग

वित्त मंत्री के बजट भाषण (10 जुलाई 2014) के अनुसार ₹ 2,037 करोड़ की राशि नमामि गंगे के लिए तथा ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि घाटों के विकास तथा नदी के अग्रभागों के सौंदर्यीकरण के लिए अलग रखी गई थीं। सक्षम प्राधिकारी<sup>11</sup> की संस्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव लाने में देरी के कारण एन.एम.सी.जी.

<sup>11</sup> व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) हेतु टिप्पणी की शुरुआत 12 नवम्बर 2014 अर्थात् वित्त मंत्री के बजटीय भाषण के चार महीने के बाद की गई और 13 मई 2015 को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।

उसी वित्तीय वर्ष (2014-15) के दौरान इस राशि का उपयोग नहीं कर सका तथा एन.एम.सी.जी. को केवल ₹ 326 करोड़ ही निर्गत किए गए।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि चूंकि ई.एफ.सी. हेतु टिप्पणी को विस्तृत विवरण तथा औचित्य के साथ तैयार किया जाना अपेक्षित है, इसलिए एन.एम.सी.जी., ई.एफ.सी. टिप्पणी तैयार करने के लिए दो महीने का समय लेने के लिए बाध्य था।

फिर भी, एन.एम.सी.जी. ने कैबिनेट की मंजूरी में शामिल ई.एफ.सी. प्रस्ताव को जारी करने में बजट घोषणा से लेकर चार माह का समय लिया तथा स्वीकृति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पाया।

#### 2.2.4 कैबिनेट द्वारा मंजूर वित्तीय लक्ष्यों का प्राप्त न होना

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए निर्धारित ₹ 20,000 करोड़ के उपयोग के लिए निम्नलिखित वर्षवार वित्तीय लक्ष्यों को मंजूरी प्रदान की थी, जिसका ब्यौरा तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: निधि उपयोग का वर्षवार लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राशि	एन.एम.सी.जी. द्वारा वास्तविक व्यय
2015-16	3,205	602.60
2016-17	3,500	1,062.81
2017-2020 (दिसम्बर)	13,295	-
<b>कुल</b>	<b>20,000</b>	

(स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा दी गई जानकारी)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान निर्धारित ₹ 6,705 करोड़ में से एन.एम.सी.जी. केवल ₹ 1,665.41 करोड़<sup>12</sup> व्यय कर पाया, अर्थात् वर्षवार जारी की गई अनुमानित राशि के चौथाई से भी कम। इस प्रकार, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि वर्ष 2016 के अंत एवं वर्ष 2017 में बड़ी सख्या में परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है और पहले चरण में गंगा की मुख्य धारा पर बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में बसे 118

<sup>12</sup> एस.पी.एम.जी., ई.ए., एम.ओ.डी.डब्ल्यू. एंड एस. को जारी धनराशि सहित

शहरों में सभी एस.टी.पी. परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिये प्रक्रिया जारी है। पिछले छह महीनों में चार कार्यकारी समितियाँ संचालित की गई हैं, जहाँ कुल 37 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें ₹ 4,475.20 करोड़ की वित्तीय संस्वीकृति शामिल है।

फिर भी, तथ्य यह है कि एन.एम.सी.जी. निर्धारित समय अवधि में राशि का व्यय नहीं कर सका जो परियोजना की योजना एवं इसके कार्यान्वयन में देरी को दर्शाता है।

### 2.2.5 अव्यय शेष राशि का बेकार पड़ा रहना

जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है, ₹ 352.72 करोड़, ₹ 1,419.79 करोड़ तथा ₹ 2,133.76 करोड़ की राशियां क्रमशः 31 मार्च 2015, 2016 एवं 2017 को एन.एम.सी.जी. के पास अनुपयोगित पड़ी रही। इसके अलावा, एन.एम.सी.जी. द्वारा विभिन्न एस.पी.एम.जी. को जारी निधियों में से ₹ 243.56 करोड़, ₹ 249.08 करोड़ तथा ₹ 422.13 करोड़ भी क्रमशः 31 मार्च 2015, 2016, एवं 2017 तक अनुपयोगित पड़े रहे, जैसा कि तालिका 2.3 में वर्णित है।

तालिका 2.3: एस.पी.एम.जी. के पास अव्यय शेष राशि

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एम.जी.	31 मार्च 2015 को अव्यय शेष राशि	31 मार्च 2016 को अव्यय शेष राशि	31 मार्च 2017 को अव्यय शेष राशि
1 बिहार	75.86	54.38	120.33
2 झारखंड	7.08	6.05	19.86
3 उत्तर प्रदेश	71.24	104.70	180.66
4 उत्तराखंड	5.24	7.31	15.74
5 पश्चिम बंगाल	84.14	76.64	85.54
<b>कुल</b>	<b>243.56</b>	<b>249.08</b>	<b>422.13</b>

(स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा दी गई जानकारी)

इसी प्रकार, ₹ 56 लाख, ₹ 17.14 करोड़ तथा ₹ 59.28 करोड़ भी विभिन्न ई.ए./सी.पी.एस.यू. के पास क्रमशः 31 मार्च 2015, 2016 एवं 2017 तक अव्यय पड़े रहे। अध्याय 5 में एन.एम.सी.जी. द्वारा एम.ओ.डी.डब्ल्यूयू एंड एस. को जारी निधियों की जाँच परिणाम की चर्चा की गई है।

एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी., ई.ए., सी.पी.एस.यू. के पास क्रमशः 31 मार्च 2015, 2016 तथा 2017 को ₹ 596.84 करोड़<sup>13</sup>, ₹ 1,686.01 करोड़<sup>14</sup> एवं ₹ 2,615.17

<sup>13</sup> ₹ 352.72 करोड़ + ₹ 243.56 करोड़ + ₹ 0.56 करोड़ = ₹ 596.84 करोड़

<sup>14</sup> ₹ 1,419.79 करोड़ + ₹ 249.08 करोड़ + ₹ 17.14 करोड़ = ₹ 1,686.01 करोड़

करोड़<sup>15</sup> पड़े अव्यय यह दर्शाते हैं कि *नमामि गंगे* परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में शिथिलता थी।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि अव्यय शेष राशियों का उपयोग आगे के वर्षों में, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. & जी.आर. को इसकी जानकारी देने के बाद आगामी वर्ष हेतु नई मांग प्रस्तुत करते समय किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि निधि के अनुपयोग के कारण, वर्ष 2014-17 के दौरान अव्यय राशि में लगातार भारी वृद्धि थी, जिस पर एम.ओ.डब्ल्यू.आर, आर.डी. & जी.आर. ने एन.एम.सी.जी. को निधि जारी करते समय विचार नहीं किया।

### 2.2.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

परियोजनाओं के लिए दिए गए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (ए.ए. एंड ई.एस.) की शर्तों के अनुसार एस.पी.एम.जी. द्वारा एन.एम.सी.जी. को तिमाही उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करना था।

हमने यू.सी.<sup>16</sup> के प्रस्तुतीकरण में विलंब पाया जैसा कि नीचे व्यख्या तालिका 2.4 में की गई है:

तालिका 2.4: एन.एम.सी.जी. को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

राज्य पी.एम.जी.	अवधि/वित्तीय वर्ष	एन.एम.सी.जी. को यू.सी. प्रस्तुत करने की तिथि
बिहार	01.07.2015 से 30.09.2015	25 जनवरी 2016
	01.10.2015 से 31.12.2015	03 मार्च 2016
उत्तराखण्ड	2014-15	16 मई 2016
	2015-16	
उत्तर प्रदेश	2014-15	30 मार्च 2016
	2015-16	10 मई 2016
पश्चिम बंगाल	01.04.2014 से 30.09.2016	01 दिसम्बर 2016

यू.सी. के प्रस्तुतीकरण में विलंब न केवल बजट एवं वित्तीय नियंत्रण पद्धति को शिथिल करता है बल्कि परियोजना निगरानी को भी जटिल बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष निष्पादन में गिरावट आती है।

<sup>15</sup> ₹ 2,133.76 करोड़ + ₹ 422.13 करोड़ + ₹ 59.28 करोड़ = ₹ 2,615.17 करोड़

<sup>16</sup> झारखण्ड में गैर-ई.ए.पी. घटक के अंदर कोई परियोजना नहीं थी

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि पहले एस.पी.एम.जी. के पास कोई वित्त कर्मचारी नहीं थे। यहाँ तक कि अगस्त 2017 तक एस.पी.एम.जी. बिहार तथा एस.पी.एम.जी. पश्चिम बंगाल के पास कोई वित्त कर्मचारी नहीं थे। इसके कारण, शुरुआती वर्षों में एन.एम.सी.जी. को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालांकि बाद के वर्षों में प्रक्रिया में सुधार लाया जा चुका है।

### 2.3 वित्तीय प्रतिवेदन करना

एन.जी.आर.बी.ए. ढाँचा के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रबंधन पुस्तिका के संदर्भ में सभी कार्यक्रम गतिविधियों को दोहरी-प्रविष्टि प्रोद्घवन आधारित लेखांकन प्रणाली का प्रयोग करना अपेक्षित था। एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी. को सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप अपना वार्षिक लेखा एवं वित्तीय विवरण तैयार करना था। इसके अलावा उनके वार्षिक संचित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक तैयार किए जाने थे।

वित्तीय प्रबंधन पुस्तिका आगे कहती है कि एन.एम.सी.जी. को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु एस.पी.एम.जी. को त्रैमासिक आधार पर राशि हस्तांतरित करना था। ये हस्तान्तरण एस.पी.एम.जी. को किशतों में किए जाने थे। तथापि, दूसरी किशत एन.एम.सी.जी. को विगत वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण तथा प्रतिवेदित वर्ष की पहली किशत के तर्कसंगत उपयोग पर ही एस.पी.एम.जी. को जारी किया जाना था।

हमने पाया कि –

- क. तीन एस.पी.एम.जी. (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे। तथापि एस.पी.एम.जी. (उत्तर प्रदेश) ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के अपने वित्तीय विवरण एक से 10 महीने तक के विलंब के साथ तैयार किए थे। लेखाओं की तैयारी में देरी कमजोर वित्तीय प्रबंधन कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
- ख. एस.पी.एम.जी., बिहार ने लेखापरीक्षा को न तो अपने वार्षिक लेखा और न ही वार्षिक लेखाओं की तैयारी से संबंधित कोई अभिलेख मुहैया कराया। यद्यपि एन.एम.सी.जी. से वर्ष 2012-17 के लिए एस.पी.एम.जी., बिहार के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था। तथापि, यह उसे मुहैया कराने में असफल रहा। वार्षिक लेखाओं की अनुपस्थिति में प्राप्ति एवं व्यय की गई राशि के लेखांकन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- ग. एन.एम.सी.जी. ने वर्ष 2012-13 से 2016-16 के लिए अपने वित्तीय विवरणों में केंद्रीय अंश पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल के एस.पी.एम.जी. द्वारा ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 17.27 करोड़<sup>17</sup> की राशि का विवरण नहीं दिया। परिणामस्वरूप उक्त राशि की सूचना भारत सरकार को नहीं दी गई और लेखों से बाहर रखी गई।
- घ. सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद, किसी की अनुदानित संस्थान को दिए गए अनुदान सहायता में अर्जित ब्याज को आवश्यक रूप में भारत के संचित निधि में प्रेषित चाहिए। गंगा कार्य योजना फेज-II के तहत वाराणसी में कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए निधि पर प्राप्त ₹ 7.82 करोड़ का ब्याज उत्तर प्रदेश जल निगम के पास पड़ा था तथा एस.पी.एम.जी. को वापस नहीं किया गया।

एन.एम.सी.जी. ने अपने उत्तर (अगस्त 2017) में इस तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि उसके शेयर से प्राप्त सहायता अनुदान के खर्च नहीं किए गए भाग पर अर्जित ब्याज का ब्यौरा उसकी लेखा-पुस्तिकाओं में नहीं दिया गया था। तथापि, उसने एस.पी.एम.जी. को बाद के वर्षों का सहायता अनुदान प्रेषित करते समय उसे समायोजित कर दिया।

एन.एम.सी.जी. का उत्तर इस तथ्य में देखा जाना चाहिए कि ब्याज का समायोजन, लेखा-पुस्तिकाओं में बगैर इसकी प्रविष्टि करने के कारण एस.पी.एम.जी. को वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखों में ₹ 17.27 करोड़ तक का कम अनुदान जारी किया जाना वर्णित किया गया।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में देरी के संबंध में एन.एम.सी.जी. ने कहा कि सभी एस.पी.एम.जी. को निर्धारित समय के भीतर उनके वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके थे।

## 2.4 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में प्रबंधन को सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन.एम.सी.जी. और एस.पी.एम.जी. को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की निजी फर्मों को किराए पर लेना था।

एन.जी.आर.बी.ए. ढाँचा में किए गए प्रावधानों के अनुसार, एन.एम.सी.जी. एवं एस.पी.एम.जी. की आंतरिक लेखापरीक्षा को तिमाही आधार पर किया जाना था। इसके अलावा, राज्य स्तर पर, परियोजना निदेशक, एस.पी.एम.जी. की अध्यक्षता में एक

<sup>17</sup> यदि एन.एम.सी.जी. का शेयर 70 प्रतिशत का दर से हो तो निम्नतर दर पर गणना की जाएगी।



लेखापरीक्षा समिति गठित की जानी थी जिसमें भागीदार ई.ए., यू.एल.बी. के प्रतिनिधि तथा राज्य वित्त सचिव अथवा उनके नामित शामिल थे। इसी प्रकार, एन.एम.सी.जी. के स्तर पर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाना था।

इन लेखापरीक्षा समितियों को आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करनी थी।

हमने वर्ष 2014-17 की अवधि में निम्नलिखित बातें पाईं:

क. वर्ष 2016-17 के अलावा, एन.एम.सी.जी. की आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारित अंतराल के अनुसार नियमित रूप से की गई थी।

ख. बिहार एवं उत्तराखंड के एस.पी.एम.जी. के मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा बिल्कुल नहीं की गई तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एस.पी.एम.जी. के मामले में आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारित अंतराल के अनुसार नहीं की गई थी।

इसके अलावा मार्च 2017 तक एन.एम.सी.जी. एवं सभी एस.पी.एम.जी. स्तरों पर लेखापरीक्षा समितियाँ गठित नहीं की गई थी।

निर्धारित ढाँचे के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा करने में असफल होना कमजोर आंतरिक नियंत्रण के लक्षण हैं।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एन.एम.सी.जी. में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जा चुका था तथा सभी एस.पी.एम.जी. को लेखापरीक्षा समिति का गठन करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे। आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

## 2.5 अन्य अनियमितताएं

### 2.5.1 अभिकरण कमीशन पर परिहार्य व्यय एवं उस पर सेवा कर

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की नई विज्ञापन नीति<sup>18</sup> के अनुसार सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदर्श विज्ञापन सहित उनके विज्ञापन केवल डी.ए.वी.पी. के माध्यम से प्रेषित करना आपेक्षित है। ये आदेश भारत सरकार द्वारा जून 2013 में दोहराये गए। इसके अलावा, डी.ए.वी.पी. मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य उपभोक्ता संगठनों को डी.ए.वी.पी. के माध्यम से दिए गए विज्ञापनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट (अभिकरण कमीशन के बराबर) देता है।

<sup>18</sup> डी.ए.वी.पी. (02 जनवरी 2007 से प्रभावी) द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति का खंड 3

हमने देखा कि एन.एम.सी.जी. ने देशभर में अग्रणी समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन जारी करने के लिए अन्य विज्ञापन अभिकरणों को भाड़े पर लिया और ₹ 2.46 करोड़ (मार्च 2014 से जून<sup>19</sup> 2016) कुल राशि का व्यय किया जिसमें अभिकरण कमीशन एवं उस पर सेवा कर के रूप में क्रमशः ₹ 36.06 लाख तथा ₹ 5.23 लाख शामिल है।

प्रिंट विज्ञापनों के लिए निजी अभिकरणों को भाड़े पर लेना सरकारी नीति का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 36.06 लाख का अभिकरण कमीशन तथा ₹ 5.23 लाख का सेवा कर का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

उत्तर (अगस्त 2017) में एन.एम.सी.जी. ने “भारत सरकार की प्रिंट मिडिया एवं विज्ञापन नीति-2016” के खंड सं.3 का हवाला दिया और कहा कि पी.एस.यू., स्वायत्त निकाय तथा भारत सरकार सभी विज्ञापन डी.ए.वी.पी. दरों पर सीधे नामिकागत समाचार पत्रों को जारी कर सकती है।

एन.एम.सी.जी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसने विज्ञापन अभिकरणों को जून 2016 के भारत सरकार नए प्रिंट मिडिया एवं विज्ञापन नीति-2016 को कार्यान्वयन के पहले भाड़े पर लिया था।

### 2.5.2 प्रतिस्पर्धात्मक बोलियाँ आमंत्रित किए बगैर कार्य सौंपना

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के आदेश<sup>20</sup> (जुलाई 2017) के अनुसार निविदा निकालना या सार्वजनिक निलामी, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य सौंपने के लिए मूल आवश्यकता है क्योंकि अन्य कोई तरीका विशेषकर नामांकन आधार पर संविदा सौंपना समानता की अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14, जो सभी इच्छुक पक्षों के समानता के अधिकार को निरूपित करता है, का उल्लंघन होगा।

तथापि, एन.एम.सी.जी. ने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अपने कार्यालय परिसर के जीर्णोधार/साज-सज्जा/रिफिटिंग इत्यादि का कार्य नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (एन.पी.सी.सी.) गुड़गांव को चार सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के लिए ₹ 7.51 करोड़<sup>21</sup> (आठ प्रतिशत की दर से एजेंसी शुल्क सहित) बिना निविदा आमंत्रित किए सौंप दिया (अप्रैल 2016)। एन.एम.सी.जी. ने एन.पी.सी.सी. को मई 2017 तक सेवाकर सहित

<sup>19</sup> 07 जून 2016 के प्रभाव से

<sup>20</sup> नगर निगम, मेरठ बनाम ए1 फहीम मीट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2006 के एसएलपी (सिविल) सं. 10174 से उत्पन्न) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ ग्रहण करें। निर्णय कहता है कि राज्य, इसके निगमों तंत्रों एवं अभिकरणों द्वारा संविदाएं आमतौर पर सार्वजनिक निलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए और केवल अपवाद संबंधी मामलों उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं एवं आपातकाल की घोषणा किए जाने के दौरान इस सामान्य नियम को हटाया जा सकता है।

<sup>21</sup> परियोजना का लागत ₹ 635.30 लाख से ₹ 751.25 लाख तक पुनरीक्षित हो गया।

₹ 52.96 लाख तक के उसके शुल्क को मिलाकर कुल ₹ 6.74 करोड़ का भुगतान किया तथा एन.पी.सी.सी. को अंतिम भुगतान अभी भी किया जाना था।

प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाए बिना कार्य सौंपना औचित्य के विरुद्ध और सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

## 2.6 स्वच्छ गंगा निधि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए जनता, निवासियों, प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.ओ.आई.) तथा अन्य से अंशदान जुटाने के उद्देश्य से स्वच्छ गंगा निधि (सी.जी.एफ.) के सृजन को मंजूरी दी (सितम्बर 2014)। जनवरी 2015 में सी.जी.एफ. के प्रचालन हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत एक ट्रस्ट का गठन किया गया।

### 2.6.1 निधि का व्यर्थ होना

₹ 198.14 करोड़ (31 मार्च 2017 तक) की समग्र राशि सी.जी.एफ. में उपलब्ध थी। फिर भी, एन.एम.सी.जी., सी.जी.एफ. में से किसी भी राशि का उपयोग नहीं कर सका और ट्रस्ट द्वारा कार्य योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूरी राशि बैंकों में पड़ी रही। ट्रस्ट विलेख के अनुसार, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आमतौर पर ट्रस्ट के मामलों के संतोषजनक संचालन हेतु तीन महीनों में एक बार अथवा जितनी बार आवश्यक हो मिल सकते हैं। फिर भी, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सी.जी.एफ. के गठन के पश्चात केवल एक बार (मई 2015) ही मिले।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि सी.जी.एफ. के अंतर्गत प्रायोजित की जाने वाली गतिविधियों की सूची तैयार करने का प्रयास अभी किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही बुलाई जानेवाली अगली बैठक में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।

### 2.6.2 ब्याज की हानि

सी.जी.एफ. के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने राष्ट्रीकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज अर्जित करने वाले साधनों जैसे अल्पकालिक सावधि जमा खाता में अधिशेष राशि के निवेश को मंजूरी प्रदान की (मई 2015)। तथापि, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के सात महीने बाद ₹ 84.39 करोड़ के सावधि जमा खाता खोले (जनवरी

2016) गए थे। उसी रूप में, रूढ़ प्राक्कलन के द्वारा एन.एम.सी.जी. ने ब्याज पर ₹ 2.04 करोड़<sup>22</sup> से ज्यादा की हानि की।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि सी.जी.एफ. अपनी निधि पर ज्यादा प्राप्ति के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी।

### 2.6.3 अंशदान

सी.जी.एफ. को दानदाताओं के उनके क्षेत्राधिकारों में कर लाभ देने हेतु उच्च दानदाता वाले अन्य क्षेत्राधिकारों/देशों जैसे यू.एस.ए., यू.के., सिंगापुर, यू.ए.ई. इत्यादि में निधि की स्थापना के संभावनाओं का पता लगाना था।

31 मार्च 2017 तक प्राप्त किए गए दानदातावार अंशदान तालिका 2.5 में दिया गया है।

**तालिका 2.5: 31 मार्च 2017 तक स्वच्छ गंगा निधि का दानदातावार अंशदान**

दानदाता की श्रेणी	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	कुल कोष का प्रतिशत
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)	162,97.77	85.95
2. निजी कंपनियाँ	16,44.73	8.67
3. वैयक्तिकों	9,98.80	5.27
4. एन.आर.आई./पी.आई.ओ.	18.05	0.09
5. अन्य, बैंक ब्याज	2.48	0.01
<b>कुल</b>	<b>189,61.83<sup>23</sup></b>	

कुल ₹ 189.61 करोड़ का अंशदान सी.जी.एफ. के अंतर्गत प्राप्त हुआ जिसमें से ₹ 162.97 करोड़ (85.95 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) से प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.एम.सी.जी. ने विदेश में कोष स्थापित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, एन.आर.आई./पी.आई.ओ. से प्राप्त अंशदान मात्र 0.09 प्रतिशत था।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई/अगस्त 2017) कि विदेश में कोष स्थापना की संभावनाएं विदेश मंत्रालय के सहयोग से ढूंढी जा रही थीं।

### 2.6.4 स्वच्छ गंगा निधि की लेखापरीक्षा

सी.जी.एफ. की लेखापरीक्षा एक योग्य लेखापरीक्षक या एक सनदी लेखाकार/सी. एण्ड ए.जी. के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जानी थी। हमने पाया कि लेखापरीक्षा नहीं की गई (मई 2017)।

<sup>22</sup> 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 15 मई 2015 तक सात महीने के लिए निवेश की गई ₹53.79 करोड़ की शेष राशि।

<sup>23</sup> ₹ 8.52 करोड़ की उपाजित ब्याज को छोड़कर

एन.एम.सी.जी. ने मई 2017 में उत्तर दिया कि उसने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अनुमोदन से एक लेखापरीक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

हालांकि, सी.जी.एफ. के लेखापरीक्षा के अभाव में, एन.जी.सी.जी. द्वारा प्रस्तुत सी.जी.एफ. से संबंधित आंकड़ों की सटीकता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

## 2.7 निष्कर्ष

बजट आंकलन को बनाने में त्रुटियां थीं जैसे कि संशोधित आंकलन की राशि का आठ से 63 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हुआ था। एन.एम.सी.जी. एवं एस.पी.एम.जी. दोनों के द्वारा वार्षिक कार्यवाही योजना की तैयारियों में कमियाँ थीं। एन.एम.सी.जी. और एस.पी.एम.जी. द्वारा यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु समीक्षा समितियों का गठन भी नहीं किया गया था। एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. द्वारा यू.सी. के समय से प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित नहीं कर सका तथा केंद्रीय अंश में एस.पी.एम.जी. द्वारा अर्जित ब्याज का ब्यौरा भी नहीं दिया। पूर्वनिर्धारित अंतराल के हिसाब से आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी., ई.ए. तथा राज्य सरकारों के पास अव्यय शेष की एक बड़ी मात्रा पड़ी रही तथा स्वच्छ गंगा कोष की पूरी राशि बेकार पड़ी रही।

## 2.8 अनुशंसा

हम अनुशंसा करते हैं कि

- i. एन.एम.सी.जी., वार्षिक कार्य योजना तैयार करे एवं वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सही ढंग से बजट आंकलन का लेखा-जोखा तैयार करे तथा बजट आबंटन व वास्तविक व्यय के बीच के अंतरों की नियमित समीक्षा करने के लिए समुचित कदम उठाएं।
- ii. एन.एम.सी.जी. व्यय की नियमित निगरानी हेतु एस.पी.एम.जी. द्वारा यू.सी./समेकित विवरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- iii. एन.एम.सी.जी. निर्धारित अंतराल पर सभी एस.पी.एम.जी. का आंतरिक लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित करें।
- iv. एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. वित्तीय वर्ष के अंत में एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी./ई.ए. इत्यादि के पास उपलब्ध अव्यय शेष राशियों की गणना करने के बाद एन.एम.सी.जी. को आगामी अनुदान जारी करें।
- v. एन.एम.सी.जी. स्वच्छ गंगा निधि के संवर्धन एवं उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार करे।



3  
अध्याय

### 3.1 परिचय

गंगा नदी के संरक्षण हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं संस्थागत इकाई के रूप में नदी घाटी पर अधिक से अधिक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)<sup>24</sup> का गठन किया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 के अपने आदेश से एन.जी.आर.बी.ए. को भंग कर दिया तथा समग्र योजनावद्ध अधिशासन हेतु केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), जिसका गठन अगस्त 2011 में किया गया था, गंगा संरक्षण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनी रहेगी।

समेकित गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे का उद्देश्य व्यापक और समन्वित हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन एन.जी.आर.बी.ए. प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अनुसार है, जो समय-समय पर उपयुक्त रूप से संशोधित है।

वर्तमान अध्याय गंगा संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधित, एन.जी.आर.बी.ए. के तहत प्रस्तावित मौजूदा संगठन ढांचा और योजना तंत्र की चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा परवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

### 3.2 वार्षिक क्रिया योजनाएं (ए.ए.पी.)

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, एस.पी.एम.जी. द्वारा हर साल सितम्बर के शुरुआत में एस.पी.एम.जी. द्वारा सभी प्रासंगिक शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और भाग लेने वाली निष्पादन एजेंसियों (ई.ए.) के साथ राज्य के लिए मसौदा वार्षिक गतिविधियों की योजना तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय वार्षिक योजना बैठक आयोजित की जानी थी। वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) को राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी.) ने मंजूरी देनी थी। एस.पी.एम.जी. को अगले वित्तीय वर्ष के लिए ए.ए.पी. को सितंबर के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए एन.एम.सी.जी. को जमा करना था।

हमने पाया कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, 2014-17 के दौरान राज्यों में ए.ए.पी. तैयार नहीं हुए थे। 2014-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश न ए.ए.पी. बनाया था लेकिन

<sup>24</sup> 20 फरवरी 2009 को, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 3(3) के तहत

ए.ए.पी. को एन.एम.सी.जी. प्रस्तुत करने में चार से 10 महीने की देरी थी। इसके अलावा, एस.पी.एम.जी./एन.एम.सी.जी. द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी को एन.एम.सी.जी. से भी मांगी गई थी लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, यह दर्शाता है कि एन.एम.सी.जी. की ओर से उचित वार्षिक योजना भी नहीं की जा रही थी।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि ए.ए.पी. एस.पी.एम.जी. के साथ तैयार किया जाएगा क्योंकि तदनुसार एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं और उनकी समय सीमा की पहचान की है। एस.पी.एम.जी. और निष्पादन एजेंसियों के साथ जल्द ए.ए.पी. को अंतिम रूप दिया जाएगा।

### 3.3 गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना (जी.आर.बी.एम.पी.)

एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना (फरवरी 2009) के अनुसार, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने और गंगा संरक्षण के मुद्दे को एक व्यापक तरीके से संबोधित करने के लिए प्राधिकरण नदी घाटी प्रबंधन योजना के विकास के लिए उपाय करेगा। कैबिनेट अनुमोदन (मई 2015) के अनुसार, गंगा संरक्षण के लिए भारत सरकार के तहत विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को लागू करने का उद्देश्य वाले कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों के साथ गहन समन्वय के माध्यम से जी.आर.बी.एम.पी. की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली समग्र रूपरेखा के तहत हस्तक्षेप के आकार और दायरे को बढ़ाती है।

#### 3.3.1 जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी में देरी और उसे अंतिम रूप नहीं देना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.) ने सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान<sup>25</sup> (जुलाई 2010) के कंसोर्टियम के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए और गंगा प्रणाली की पुनर्स्थापना व अनुरक्षण और इसके पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी के लिए कार्य को मंजूरी दी। जी.आर.बी.एम.पी. को वित्तीय परियोजनाओं के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं, नीति हस्तक्षेप और प्रबंधन कार्यों के साथ कार्य योजना प्रदान करना था। एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. ने ₹ 16 करोड़ की लागत से कार्य (अगस्त 2010) को मंजूरी दी, जिसमें 37 डिलिवरेबल शामिल थे, जो समझौते की तिथि से 18 महीने की अवधि अर्थात् जनवरी 2012 तक पूरा किया जाना था। आई.आई.टी. द्वारा मुहैया कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के मुताबिक, परियोजना के लिए जारी ₹ 13.69 करोड़ की राशि के मुकाबले 31 मार्च 2016 तक ₹ 14.64 करोड़ खर्च किए गए थे।

<sup>25</sup> मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और रुड़की में आई.आई.टी.



एन.एम.सी.जी. ने चार बार विस्तार प्रदान किया, जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1: एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी के लिए दिए गए एक्सटेंशन का ब्योरा**

विस्तार की संख्या	स्वीकृत की तिथि	अवधि जब तक विस्तार दिया गया था
प्रथम विस्तार	सितंबर 2012	दिसंबर 2013
द्वितीय विस्तार	मार्च 2014	जून 2014
तृतीय विस्तार	जुलाई 2014	दिसंबर 2014
चतुर्थ विस्तार	मार्च 2015	31 मार्च 2016

एन.एम.सी.जी. ने समझौता ज्ञापन के 54 महीनों के बाद जी.आर.बी.एम.पी. (जनवरी 2015) का पहला मसौदा प्राप्त किया जिसमें विस्तारित सारांश, मुख्य योजना दस्तावेज और सात मिशन रिपोर्ट शामिल थीं।

हालांकि, एन.एम.सी.जी. ने तो परामर्श करने और उनकी राय मांगने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को जी.आर.बी.एम.पी. को परिचालित किया था और न ही गंगा पर दीर्घावधि हस्तक्षेप की शुरुआत करने के लिए जी.आर.बी.एम.पी. को अंतिम रूप दिया।

कंसोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से एन.एम.सी.जी. साढ़े छह से वर्षों<sup>26</sup> से अधिक होने बाद भी दीर्घकालिक कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका था। परिणामस्वरूप, एन.एम.सी.जी. के पास एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना के आठ साल से अधिक अवधि के बाद भी नदी घाटी प्रबंधन की योजना नहीं है जिससे नदी घाटी दृष्टिकोण के आधार पर गंगा पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालिक हस्तक्षेप की शुरुआत में देरी हुई।

एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. ने दस साल की अवधि में ₹ 9.60 करोड़ के वार्षिक बजट के कार्यान्वयन और जी.आर.बी.एम.पी. के गतिशील विकास में लगातार वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आई.आई.टी. कानपुर (मार्च 2016) के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया। एन.एम.सी.जी. ने आई.आई.टी. कानपुर को ₹ 9.60 करोड़ की अग्रिम राशि (अक्टूबर 2016) जारी की। एन.एम.सी.जी. ने अन्य विकल्पों का पता नहीं किया और आई.आई.टी. कंसोर्टियम द्वारा जी.आर.बी.एम.पी. की तैयारी में देरी को नजरअंदाज किया।

एन.एम.सी.जी. सहमत (अगस्त 2017) हुआ कि जी.आर.बी.एम.पी. पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

<sup>26</sup> जुलाई 2010 में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से

### 3.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का अनुमोदन

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, एन.एम.सी.जी. अधिकतम 60 दिनों के भीतर एस.पी.एम.जी. द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में आवश्यकतानुसार तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, स्थल दौरा और लोक परामर्श शामिल होंगे। संभावित फैसले या तो हैं (i) डी.पी.आर. का अनुमोदन किया गया, (ii) संशोधनों के लिए एस.पी.एम.जी. को वापस भेजें।

हमने 2014-15 से 2016-17 से संबंधित 154 डी.पी.आर. की स्थिति का पता लगाया और पाया कि 154 डी.पी.आर. में से 71 डी.पी.आर. मंजूर किए गए थे। इन 71 डी.पी.आर. में से, 70 डी.पी.आर. को 26 से 1,140 दिन तक के देरी के बाद मंजूरी दे दी गई थी। शेष 83 डी.पी.आर. में से 54 डी.पी.आर. 120 दिनों से लेकर 780 दिनों तक की अवधि के लिए एन.एम.सी.जी. स्तर पर लंबित हैं। इन 54 डी.पी.आर. में से, वैपकोस के 26 डी.पी.आर., एन.बी.सी.सी. के आठ डी.पी.आर., ई.आई.एल. के 10 डी.पी.आर., ई.पी.आई.एल. का एक एस.पी.एम.जी. पश्चिम बंगाल का एक, एस.पी.एम.जी. बिहार के चार और उत्तर प्रदेश के एस.पी.एम.जी. के चार डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित थे।

83 डी.पी.आर. में से, 29 डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. द्वारा 11 से लेकर 840 दिन तक देरी के साथ वापस किए गए थे। इन 29 डी.पी.आर. में से 23 डी.पी.आर. को एस.पी.एम.जी. को मई-जून 2017 के दौरान (पश्चिम बंगाल के 17, उत्तर प्रदेश के पांच और बिहार के एक) 90 से 840 दिन बाद लौटा दिए गए थे। दूसरी ओर, यह पाया गया कि उत्तराखंड के एस.पी.एम.जी. के सभी डी.पी.आर. (15) को मंजूरी दे दी गई थी।

एन.एम.सी.जी. ने डी.पी.आर. की प्राप्ति और स्वीकृति की तारीखों के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा, जिसके कारण ऑडिट पूरी तरह से परिश्रम का मूल्यांकन नहीं कर सका जिसके साथ एन.एम.सी.जी. ने एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में निर्धारित समय सीमा का पालन किया।

यह दर्शाता है कि एन.एम.सी.जी. द्वारा नमामी गंगे के तहत जरूरी डी.पी.आर. तैयार करने के लिए प्रदान किया गया समर्थन परियोजना निष्पादन के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नहीं है, जो गंगा के संरक्षण की अवधि को आगे कर सकता है और इसके पारिस्थितिकी को खतरे में डाल सकता है।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) कहा कि तकनीकी तौर पर शामिल होने के कारण, डी.पी.आर. के अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है। इसके अलावा, एस.पी.एम.जी.

भी कई डी.पी.आर. अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक राज्यों की वार्षिक योजना बैठक में बिना विचार किए और उनकी सहमति प्राप्त किए बगैर जमा कर रहे हैं।

एन.एम.सी.जी. ने फिर आगे कहा कि फरवरी 2017 से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि डी.पी.आर. सामान्य रूप से समय सीमा के भीतर मूल्यांकन और अनुमोदित किया जा रहा है।

### 3.5 गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पूरा किए जाने के लिए एन.एम.सी.जी. में गंगा ज्ञान केंद्र (जी.के.सी.) को मार्च 2013 तक स्थापित करने की मंजूरी (अप्रैल 2011) दी। जी.के.सी. को एन.जी.आर.बी.ए. के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और तकनीकी विश्लेषण समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र होना था। सचिवों के समूह ने अपने 'गंगा संरक्षण के लिए एक्शन प्लान' (अगस्त 2014) में यह भी पाया कि जी.के.सी. के दायरे का विस्तार करके और आगे के शोध, नवाचार और भविष्य की रणनीतियों के विकास के लिए तथा गंगा और इसकी सहायक नदियों पर सीखने की एक समर्पित संस्था की स्थापना करने के लिए एक व्यापक ज्ञान बैंक विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नदी गंगा (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 ने भी ऐसे केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया।

#### 3.5.1 गंगा ज्ञान केंद्र की गतिविधियों के कार्यान्वयन में मंद प्रगति

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 48.54 करोड़ के अनुमानित लागत पर जी.के.सी. की स्थापना (सितंबर 2013 और मार्च 2014) में दो चरणों में करने के प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी। जी.के.सी. को दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिसे राज्यों में पांच विषयगत उप-केंद्रों से जोड़ा जाना था। नदी गंगा के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले वेब पोर्टल, परियोजनाओं पर एक एकीकृत सूचना आधार (एम.आई.एस.), एक अत्याधुनिक ई-पुस्तकालय, गंगा बेसिन का एक व्यापक जी.आई.एस. आधारित मैपिंग सिस्टम, अनुसंधान, प्रयोग और नए विचारों के समर्थन के लिए प्रक्रियाएं तथा मंचों, कार्यक्रमों, प्रकाशनों, इंटरैक्टिव मॉडल के माध्यम से हितधारकों को आकर्षक बनाने के लिए प्रक्रियाएं।

हमने पाया है कि

- एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.के.सी. की स्थापना के लिए मंजूर ₹ 48.54 करोड़ में से 31 मार्च 2017 तक, केवल ₹ 1.43 करोड़ (जो स्वीकृत राशि का तीन प्रतिशत था) खर्च किए गए थे।

- जी.के.सी. के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि एन.एम.सी.जी. के भीतर डेटा संग्रह और प्रबंधन के लिए कार्यस्वरूप, ई-पुस्तकालय की स्थापना, एकीकृत एम.आई.एस. के साथ जी.आई.एस. आधारित वेब पोर्टल की उच्च गुणवत्ता, गंगा घाटी आदि के व्यापक मानचित्रण आदि अभी भी शुरू किया जाना था।
- जी.के.सी. के लिए 13 प्रमुख कार्मिक पदों की भर्ती दो साल (सितंबर 2015 तक) में पूरी की जानी थी। एन.एम.सी.जी. ने मंजूर जनशक्ति की भर्ती नहीं की और जी.के.सी. (अप्रैल 2017) में केवल चार कर्मचारी काम कर रहे थे।
- एन.एम.सी.जी. ने एन.एम.सी.जी. के लिए अभिरूची के विभिन्न विषयों पर सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए डुंडी विश्वविद्यालय (यू.के.), टेरी, द नेचर कन्जर्वेन्सी (टी.एन.सी.), विश्व वन्यजीव कोष और बा-टेक वबाग लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस तारीख तक अनुसंधान के क्षेत्र का अभी तक पहचान और अंतिम रूप दिया बाकी था।
- एन.एम.सी.जी. ने अनुसंधान के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने और अनुमोदन के लिए उन्हें सशक्त स्टेयरिंग कमेटी भेजने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) का गठन नहीं किया था।
- जी.के.सी. की गतिविधियों को नियमित रूप से मिशन निदेशालय, एन.एम.सी.जी. द्वारा मॉनिटर किया जाना था। हालांकि, जी.के.सी. की स्थापना के संबंध में शुरू की गई गतिविधियों का जायजा लेने के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा केवल एक बैठक (अप्रैल 2017) बुलाई गई थी।

इस प्रकार, भौतिक और वित्तीय प्रगति बहुत धीमी थी, जिससे काम की धीमी प्रगति परिलक्षित होती थी।

### 3.5.2 जी.के.सी. के तहत 'गंगा ज्ञान धारा' परियोजना के उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि

जी.के.सी. के अंतर्गत आने वाली मुख्य गतिविधियों में से एक गंगा नदी पर लिगेसी आंकड़ों<sup>27</sup> को संकलित और एकत्रित करना था। एन.एम.सी.जी. ने अप्रैल 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई.आई.पी.ए.) को 'गंगा नदी पर विरासत डेटा संग्रह और कम्प्यूटरीकरण' के लिए ₹ 87.18 लाख के शुल्क के साथ 12 महीने के लिए लगाया। आई.आई.पी.ए. को गंगा पर सभी मौजूदा सूचनाओं को एकत्रित करना, प्रासंगिकता और गुणवत्ता के लिए सूचना को छांटना, इसे आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए डेटा को व्यवस्थित और संगृहीत करता था। आई.आई.पी.ए. को सौंपे गए कार्य में

<sup>27</sup> लिगेसी आंकड़े को सक्रिय और निष्क्रिय डेटा के रूप में संदर्भित किया जाता है जो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत होता है और जो वर्तमान में समझा नहीं जा सकता, इस्तेमाल किया या प्रबंधित किया गया हो।

(ए) विभिन्न हितधारकों, व्यक्तियों, संस्थानों के साथ अंतर्निहित/अज्ञात जानकारी की खोज और एकत्रित करना; (बी) डेटा संहिताकरण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण; (सी) एन.एम.सी.जी. आदि के लिए डेटा / सूचना का स्थानांतरण शामिल हैं।

आई.आई.पी.ए. ने 41 विश्वविद्यालयों, जिनसे जानकारी मांगी गई थी, में से 33 से प्रत्युत्तर प्राप्त किए बिना पूरी रिपोर्ट (जुलाई 2015) प्रस्तुत की। आई.आई.पी.ए. ने 77,700 संदर्भ सामग्रियों को डाउनलोड नहीं किया जो इसके द्वारा एकत्र किए गए थे। इसके अलावा, आई.आई.पी.ए. को चरणों में 'एन.एम.सी.जी. को डाटा/सूचना स्थानांतरण' करना था जब यह पूरा हो गया हो। सुलभता से उपलब्ध पुस्तकों/पत्रिकाओं, एक बार जब वे कोडित/डिजिटलीकृत कर दिए जाते हैं, को तुरंत स्थानांतरित करना था और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य डेटा सेटों को स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, आई.आई.पी.ए. ने ऐसा नहीं किया था। एन.एम.सी.जी. ने अपने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि कॉपीराइट मामलों के कारण कुछ पत्रिकाओं/शोध पत्रों का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सका। हालांकि, एन.एम.सी.जी. का उत्तर हस्तांतरित आंकड़ों/सूचनाओं के बारे में चुप था।

एन.एम.सी.जी. ने आई.आई.पी.ए. द्वारा दी गई सूचना और रिपोर्ट को उसके प्रस्तुत करने के दो साल के बाद भी सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा। वेबसाइट 'गंगा ज्ञान धारा' रखरखाव के अंतर्गत था (अप्रैल 2017)। इस प्रकार, यह आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए डेटा को व्यवस्थित और संगृहीत करने का उद्देश्य हासिल नहीं हुआ।

### 3.6 संचार और सार्वजनिक पहुंच

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, सामरिक संचार के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन सुनिश्चित करने के लिए संचार और सार्वजनिक आउटरीच रणनीति और योजना तैयार की गई और सार्वजनिक भागीदारी और आउटरीच में वृद्धि की गई। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम (जुलाई 2014) के अंतर्गत, 'अल्पावधि गतिविधियाँ' में, संचार और सार्वजनिक आउटरीच किया जाना था।

2015-16 और 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश में संचार और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना क्रमशः जुलाई 2015 व अप्रैल 2016 से एन.एम.सी.जी. में लंबित थी। नतीजतन, कोई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का प्रदर्शन नहीं की गई।

### 3.7 वार्षिक रिपोर्ट

एन.एम.सी.जी. को हर साल के अंत के तीन महीनों के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हमने पाया है कि एन.एम.सी.जी. ने इसकी स्थापना (2011) के बाद से वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं किया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई 2017) कि इसकी गतिविधियां अभी भी नियोजन के स्तर पर थी और वार्षिक रिपोर्ट योग्यता से तैयार की गई थी।

### 3.8 नदी संरक्षण क्षेत्र की स्थिति

गंगा में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कम करने और जल के निरंतर और पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों के गठन हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. ने एक अधिसूचना जारी की (अक्टूबर 2016) ताकि नदी को अपने प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति में पुनर्स्थापित किया जा सके। इस अधिसूचना के तहत गंगा नदी के किनारे और बाढ़ के मैदान को प्रदूषण स्रोतों दबाव को कम करने और प्राकृतिक भूजल रिचार्ज कार्यों को बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्शन निर्माण सक्रियता से मुक्त रखा जाना चाहिए।

हमने पाया कि मई 2017 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है। उत्तराखंड में यह प्रगति पर था।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) इस मुद्दे को स्वीकार किया

### 3.9 निष्कर्ष

एन.एम.सी.जी. ने गंगा पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप शुरू करने के लिए गंगा संरक्षण घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। गंगा संरक्षण के लिए डी.पी.आर. अनुमोदन में असामान्य देरी हुई। जून 2017 तक गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

### 3.10 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि -

- एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी संरक्षण पर दीर्घकालिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन करने के लिए गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दे सकता है और समयबद्ध तरीके से इसे लागू कर सकता है।

- ii. एन.एम.सी.जी. डी.पी.आर. का मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकता है जैसा कि एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में समयबद्ध तरीके से करने की परिकल्पना की गई थी।
- iii. एन.एम.सी.जी. प्राथमिकता के आधार पर गंगा नदी को अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों से संरक्षित करने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र की पहचान कर सकता है और घोषित कर सकता है।



4  
अध्याय



## 4.1. परिचय

एन.जी.आर.बी.ए. ने मिशन स्वच्छ गंगा को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ शुरू (नवंबर 2010) किया कि 2020 तक किसी भी नगरपालिका या उद्योग का अशोधित अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं बहाई जाए। नमामि गंगे (मई 2015) के अंतर्गत सीवेज शोधन, घाट और नदी फ्रंट विकास एवं ग्रामीण स्वच्छता के लिए कई हस्तक्षेपों के पैमाना और क्षेत्र को कई एजेंसियों, मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके बढ़ाया गया है।

2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी., निष्पादन एजेंसियों (ई.ए.) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जारी की गई राशि तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. द्वारा जारी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एम. जी., ई.ए. और सी.पी.एस.यू.	2014-15		2015-16		2016-17	
	एन.एम.सी. जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय	एन.एम.सी. जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय	एन.एम.सी. जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय
बिहार		10.58	41.21	62.70	82.03	18.53
दिल्ली			4.96	4.96	2.17	2.17
हरियाणा			30.00	30.00	52.73	37.00
झारखंड	0.97	0.47	-	1.03	46.18	12.74
उत्तराखंड	4.26	8.91	7.70	5.64	30.66	10.36
उत्तर प्रदेश	74.58	12.53	76.82	114.96	287.17	187.73
पश्चिम बंगाल	73.85	38.44	122.96	130.45	99.25	86.83
<b>सी.पी.एस.यू.</b>						
ई.आई.एल.			5.77		15.73	18.29
ई.पी.आई.एल.					3.00	0
एन.बी.सी.सी.			4.00		0	0
एन.पी.सी.सी.					3.35	1.40
वैपकोस			6.78		13.31	5.00
<b>कुल</b>	<b>153.66</b>	<b>70.93</b>	<b>300.20</b>	<b>349.74</b>	<b>635.58</b>	<b>380.05</b>

स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि एन.एम.सी.जी. ने सात राज्यों के एस.पी.एम.जी. और ई.ए. और पांच सी.पी.एस.यू. को ₹ 1,089.44 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 800.72 करोड़ (74 प्रतिशत) एस.पी.एम.जी./ई.ए.एस./सी.पी.एस.यू. द्वारा उपयोग किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस.) के माध्यम से राज्यों को आवंटित किए गए निधि की चर्चा अध्याय 5 में अलग से की गई है।

वर्तमान अध्याय में सीवेज उत्पादन, नालों के अवरोधन और चयनित शहरों, जिससे होकर गंगा और इसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, में स्थापित शोधन क्षमता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है। यह सीवेज शोधन, अवरोधन और मोड़, घाट, शमशान, नदी फ्रंट विकास और नहर के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी. और ईए के माध्यम से किए गए परियोजनाओं की भी चर्चा करता है।

## 4.2. शहर

### 4.2.1 नमामि गंगे के तहत सीवेज शोधन के लक्ष्य की गैर-उपलब्धि

नमामि गंगे कार्यक्रम<sup>28</sup> में सभी नृविध्यकारी गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों का कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण स्तर में कमी आदि के स्वच्छता को लक्षित करना था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की तिथि के साथ ही उसके निर्धारित लक्ष्यों को तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: एस.टी.पी. के लिए लक्ष्य

लक्ष्य	संस्वीकृति की तिथि से लक्ष्य की तिथि
1. एस.टी.पी. के लिए डी.पी.आर. तैयार करना	अक्टूबर 2015
2. एस.टी.पी. की निविदा	मार्च 2016
3. कार्य सौंपना	सितंबर 2016
4. एस.टी.पी. के समापन	सितंबर 2018

एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, गंगा नदी के साथ स्थित पांच घाटी राज्यों में 106 शहरों में शोधन क्षमता का अंतर 2,109 मिलियन लिटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) (वर्ष 2016) था। कार्यान्वयन के तहत एस.टी.पी. परियोजनाओं के साथ शोधन क्षमता में अंतर का राज्यवार विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

<sup>28</sup> नमामि गंगे को मंत्रिमंडल मंजूरी 13 मई 2015 को दी गई। कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2020 तक किया जाना था।

**तालिका 4.3: कार्यान्वयन के तहत एस.टी.पी. परियोजनाओं के साथ शोधन क्षमता का अंतर**

राज्य	2016 में उपचार क्षमता अंतर (एमएलडी)	कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं (एम.एल.डी.में शोधन क्षमता)			
		चालू	निविदा के तहत	अनुमोदित	प्रस्तावित
बिहार	556	222	0	239	86
झारखंड	15	12	0	4	0
उत्तराखंड	79	1	93	38	0
उत्तर प्रदेश	428	393	50	103	102
पश्चिम बंगाल	1,031	84	0	92	41
<b>कुल</b>	<b>2,109</b>	<b>712</b>	<b>143</b>	<b>476</b>	<b>229</b>

स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित लक्ष्य तिथियों के अनुसार, सभी एस.टी.पी. के लिए कार्य सौंपने का काम सितंबर 2016 तक पूरा करना था। 106 शहरों में शोधन क्षमता का अंतर 2,109 एम.एल.डी. थी लेकिन 712 एम.एल.डी. की शोधन क्षमता वाली एस.टी.पी. परियोजनाएं अगस्त 2017 तक चल रही थीं। 1,397 एम.एल.डी. के संबंध में कार्य अभी तक दिया जाना बाकी था।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कई छोटे शहर थे, जहां एस.टी.पी. बनाने के लिए प्रदूषण का भार बहुत छोटा था और यह इस सीवेज के शोधन के लिए अन्य कई विकल्प तलाश रहा था। इसके अलावा, एन.एम.सी.जी. ने कहा कि निर्माणाधीन/निविदांतर्गत परियोजनाएं अंतर को काफी कम कर देगा। हालांकि, जवाब मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की गैर-उपलब्धि के बारे में चुप था।

#### 4.2.2 सीवेज उत्पादन, नालियों का अवरोधन और स्थापित क्षमता

हमने सीवेज उत्पादन, नालियों के अवरोधन और 58 शहरों और दिल्ली राज्य के उनके संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नगरपालिका/जल बोर्डों से स्वतंत्र रूप से शोधन क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र की। राज्यवार आंकड़ों का ब्योरा तालिका 4.4 में दिया गया है, जो एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से भिन्न था, जैसा उपर्युक्त तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: नमूना शहरों में सीवेज डेटा का राज्यवार विवरण

राज्य / नमूना शहरों की संख्या	सीवेज उत्पादन (एम.एल.डी.)	सीवेज शोधन (एम.एल.डी.)	अशोधित सीवेज (एम.एल.डी.) %		खुले नाले
बिहार / 8	637	70	567	89	42
दिल्ली	3,270	2,090	1,180	36	4
हरियाणा / 2	102	76	26	34	2
झारखंड / 2	12	0	12	100	7
उत्तराखंड / 8	136	65	71	52	32
उत्तर प्रदेश / 16	1,252	535	717	57	147
पश्चिम बंगाल / 22	700	162	538	77	192

स्रोत: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ नगरपालिका/ जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 4.4 दर्शाता है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों (यमुना) को प्रवाहित अधिकतम अशोधित सीवेज (1,180 एम.एल.डी.) दिल्ली में है और न्यूनतम झारखंड (12 एम.एल.डी.) के चुनिंदा शहरों में है। हालांकि, गंगा नदी के साथ स्थित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा शहरों में कुल सीवेज उत्पादन के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक अशोधित सीवेज हैं।

राज्य प्राधिकरणों (तालिका 4.4) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुकाबले एन.एम.सी.जी. (तालिका 4.3) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में व्यापक विचलन, इन महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए पूर्ण, अद्यतन और सुसंगत आंकड़ा रखने हेतु एन.एम.सी.जी. द्वारा राज्य प्राधिकरणों के साथ निकट समन्वय से काम करने की आवश्यकताओं की ओर इंगित करता है ताकि संबंधित हस्तक्षेप को प्रभावी रूप से नियोजित किया जा सके।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) उत्तर दिया कि उसने शहरों के लिए सीवेज उत्पादन और सीवेज शोधन के अंतराल को पाटने के लिए कई परियोजनाओं को संस्वीकृत किया था। इसके अलावा, निर्माणधीन/निविदाधीन परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण रूप से अंतर को कम करेंगी। दिल्ली जल बोर्ड इस अंतर को पूरा करने के लिए 15 अतिरिक्त एस.टी.पी. का निर्माण, कोंडली और रिथाला एस.टी.पी. का उन्नयन और क्षमता वृद्धि के साथ ओखला एस.टी.पी. को बदल रहा है। झारखंड में, साहिबगंज और राजमहल में दो सीवेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जो 15.5 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. क्षमता सृजित करेंगी। साहिबगंज में परियोजना निर्माणाधीन है।

नमूने शहरों में कुछ उदाहरणों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन बाद के पैराग्राफों में किया गया है।

**4.2.2.1 पश्चिम बंगाल: (क)** हमने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी.) द्वारा चिन्हित किए गए नालों के अलावा, गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले 12<sup>29</sup> नगर पालिकाओं में 65 नालों की पहचान की। इससे संकेत मिलता है कि डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. द्वारा बनाए गए नालों की सूची व्यापक और अद्यतन नहीं थी। 12 नगर पालिकाओं में से कुछ चिन्हित नालों को प्लेट्स 4.1 और 4.2 में दिखाया गया है।

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में सीधे प्रवाहित सीवेज



प्लेट 4.1: स्टीमर घाट आउटफॉल (जियागंज-अजीमगंज)



प्लेट 4.2: मणिपुर घाट निकास (नबाद्वीप)

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि नालों के डिस्चार्ज में जरूरी रूप से सीवेज घटक नहीं होते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण योगदान अन्य स्रोतों से आ सकता है।

हालांकि, एन.एम.सी.जी. का उत्तर विशिष्ट नहीं था और नालों की सूची के बारे में चुप था।

**(ख)** तीन शहरों (जियागंज-अजीमगंज, हुगली-चिंसुरा और बैद्योबाटी) में कचरे को गंगा नदी के तट पर ढेर किया जा रहा था जैसा कि प्लेट्स 4.3 और 4.4 में नीचे दर्शाया गया है।

<sup>29</sup> भद्रेश्वर (2), बैद्योबाटी (6), (4), जियागंज-अजीमगंज (3), नबाद्वीप (1), बैरकपुर (1), कृष्णगर (1), महेशतला (9), हुगली-चिचुरा (4), चंदननगर (4), डायमंड हार्बर (6), भाटपाड़ा (25), बज बज (3)।



प्लेट 4.3: जियागंज और अजीमगंज में गंगा नदी के किनारे ठोस कचरे (मुख्य रूप से प्लास्टिक) का ढेर



प्लेट 4.4: बैद्योबाटी में तिन पैसा घाट पर ठोस कचरे का ढेर

(ग) भाटपाड़ा नगरपालिका को अपने जल शोधन संयंत्र के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि किनारों पर स्थित 26 कारखानों से निकल रहे तेल मिश्रित पानी ने जल शोधन संयंत्र के फिल्टर हाउस के रेत बिस्तर को अवरुद्ध कर दिया था। इसके कारण, नगर पालिका को इस संयंत्र को छह से आठ घंटों तक बंद करना पड़ा जिससे पानी की कमी हो गई। इस मामले से फरवरी, 2017 में डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. को अवगत कराया गया था लेकिन डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. ने मई 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं किया था।

(घ) इसी प्रकार, हल्दिया में, ऑयल जेटी के पास की नाली में बहने वाला पानी तेल परत के साथ कवर किया गया पाया गया था। यह सीधे गंगा नदी में बहती है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने तेल के फैलाव से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु ₹ 15 करोड़ की राशि का कार्यादेश (जून 2016) दिया था जैसा कि नीचे प्लेट 4.5 और 4.6 में दर्शाया गया है।



प्लेट 4.5: ऑयल जेटी के पास की नाली में बहने वाले पानी को तेल की परत से ढंका हुआ पाया गया था



प्लेट 4.6: किनारों पर स्थित कारखानों द्वारा प्रवाहित तेल के मिश्रित पानी ने रेत के बिस्तर को अवरुद्ध कर दिया



**4.2.2.2 उत्तर प्रदेश:** कानपुर शहर के मामले में, दैनिक औसत सीवेज उत्पादन 453 एम.एल.डी. है, जिसकी कुल एस.टी.पी. क्षमता 423 एम.एल.डी. है। हालांकि, केवल 170.30 एम.एल.डी. सीवेज का शोधन कानपुर में किया जा रहा है तथा 282.70 एम.एल.डी. सीवेज अशोधित है। परिणामस्वरूप, 252.70 एम.एल.डी. की क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। सिसामाऊ नाला के अवरोधन और मोड़ के लिए परियोजना सीवेज को हटाने के लिए लक्षित है ताकि 138.33 एम.एल.डी. की अधिशेष क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसलिए, इस परियोजना के पूरा होने के बाद भी अधिशेष एस.टी.पी. क्षमता का 114.37 एम.एल.डी. उपयोग किया जाएगा जिसके लिए अभी तक कोई परियोजना नहीं बनाई गई है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि उसने कानपुर के जिला 1 के लिए सीवेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जल निगम ने सीवेज जिला II के लिए डी.पी.आर. तैयार किया है। सीवेज परियोजनाओं का परिणाम सीवेज का मार्ग मौजूदा एस.टी.पी. की ओर बनाने में होगा।

#### उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सीधे प्रवाहित सीवेज



प्लेट 4.7: कानपुर में गंगा नदी में गिरने वाला सिसामाऊ नाला

**4.2.2.3 उत्तराखंड:** आठ चयनित शहरों में से चार शहरों (मुनि की रेंति, गोपेश्वर, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग) में एस.टी.पी. सुविधा नहीं थी, जो नालियों के गैर-अवरोधन का एक प्रमुख कारण था।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि इन सभी शहरों के लिए एस.टी.पी. परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और उनके पूर्ण होने से सीवेज शोधन क्षमता में कोई कमी नहीं रहेगी।

## उत्तराखंड में गंगा में सीधे प्रवाहित सीवेज



प्लेट 4.8: मातृ सदन नाला जो हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित हो रहा है।

### 4.3. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, एस.पी.एम.जी. द्वारा ईएस के माध्यम से ढांचागत परियोजनाएं लागू की जाती हैं। इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एस.टी.पी. की स्थापना), इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन, घाट और श्मशान और कैनाल वर्क्स शामिल हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) घाटों और श्मशान और शहरों के कंडीशनल आकलन और व्यवहार्यता अध्ययन (सी.ए. और एफ.एस.) के संबंध में प्रवेश स्तर की गतिविधियों के काम में शामिल हैं। 2014-17 के दौरान, एन.एम.सी.जी. द्वारा 128 ढांचागत परियोजनाओं (₹ 10,638.75 करोड़) का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें से हमने विस्तृत जांच के लिए 70 परियोजनाओं (₹ 7,655.84 करोड़) का चयन किया जिसका विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: कुल और नमूनाकृत परियोजनाओं की राज्य/सी.पी.एस.यू. श्रेणी

राज्य/सी.पी.एस.यू.	परियोजनाएं	नमूना परियोजनाएं	नमूनाकृत परियोजनाओं की श्रेणी		
			सीवेज/एस.टी.पी./आ ई एंड डी/नहर निर्माण	घाट व श्मशान और आरएफडी	बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित
1. बिहार	14	7	6	1	
2. दिल्ली	2	2	1	1	
3. हरियाणा	2	2	2		



राज्य/सी.पी.एस.यू.	परियोजनाएं	नमूना परियोजनाएं	नमूनाकृत परियोजनाओं की श्रेणी		
			सीवेज/एस.टी.पी./आई एंड डी/नहर निर्माण	घाट व श्मशान और आरएफडी	बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित
4. झारखंड	6	4	1	2	1
5. मध्य प्रदेश	2	2	2		
6. उत्तर प्रदेश	21	10	10		
7. उत्तराखंड	38	19	17	2	
8. पश्चिम बंगाल	16	9	7	2	
9. ई.आई.एल.	11	6		6	
10. ई.पी.आई.एल.	4	2		2	
11. एन.बी.सी.सी.	5	3		3	
12. एन.पी.सी.सी.	1	1		1	
13. वैपकोस	6	3		3	
कुल	128	70	46	23	1

#### आर.एफ.डी.: नदी फ्रंट विकास

सीवेज शोधन संयंत्र/अवरोधन और मोड़ परियोजनाएं/नहर का काम, घाट/श्मशान कार्यों और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों के मामले में लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्रमशः पैराग्राफ 4.4, 4.5 और 4.7 में की गई हैं।

#### 4.4 सीवेज शोधन संयंत्र, अवरोधन एवं मोड़ परियोजनाएं और नहर

लेखापरीक्षा में कुल मिलाकर ₹ 5,111.36 करोड़ के लागत के 46 सीवेज शोधन संयंत्र, अवरोधन एवं मोड़ परियोजनाएं तथा नहर के काम का नमूना लिया गया था। इनमें से ₹ 680.36 करोड़ की राशि की नौ परियोजनाएं पूर्ण हो गई थीं। तीन से 82 महीने के बीच में ₹ 2,710.24 करोड़ की लागत वाली 26 परियोजनाओं में देरी हुई थी। एस.टी.पी., आई & डी और नहर के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

##### 4.4.1. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी

4.4.1.1 बिहार: एस.पी.एम.जी. ने ₹ 328.67 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत वाले बेगुसराय, बक्सर, हाजीपुर और मुंगेर में चार परियोजनाओं के लिए संविदा (दिसंबर 2011

से मार्च 2012) दिया। परियोजनाएं 24 महीनों के भीतर पूरी की जानी थीं। हालांकि, तीन से अधिक वर्षों की देरी के बाद भी जून 2017 तक सभी चार परियोजनाएं अधूरी थीं। यह देखा गया कि जमीन को संवेदक को सौंप दिया गया था जिसमें 310 से 1,434<sup>30</sup> दिन तक देरी हुई थी।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि उसने पहले ही कार्यवाही की है और हाजीपुर, बेगुसराय और मुंगेर सीवरेज परियोजनाओं की समाप्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी कर दिया है तथा एस.पी.एम.जी./बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) से उनकी भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस प्रकार, समय पर साइट के गैर-कब्जे और संवेदक द्वारा काम समाप्त करने के कारण वहां अत्यधिक देरी हुई है।

**4.4.1.2 मध्य प्रदेश:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) ने तीन वर्षों के भीतर, बीहर नदी पर रीवा शहर में एस.टी.पी. स्थापित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी (जुलाई 2007)। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 4.29 करोड़ थी। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता के चलते, फरवरी 2011 तक काम की शुरुआत नहीं हुई थी। इस बीच, राज्य सरकार ने जमीन की पहचान की, परंतु 12 एम.एल.डी. क्षमता से एस.टी.पी. के निर्माण के लिए यह अपर्याप्त था। तदनुसार, राज्य सरकार ने उपलब्ध जमीन के अनुसार एक उपयुक्त तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मार्च 2011 तक पूरा होने के लिए परियोजना की लागत को ₹ 8.30 करोड़ तक संशोधित (फरवरी 2009) कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा शुरू में नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी काम को निष्पादित करने में असफल था, इसलिए राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग (पी.एच.ई.डी.) को काम सौंपने का निर्णय लिया (जुलाई 2010)।

हमने पाया कि फरवरी 2012 में साइट अधिग्रहण की गई थी, अर्थात् परियोजना की स्वीकृति के करीब तीन साल बाद तथा काम करने का कार्यादेश फरवरी 2013 में संवेदक को जारी किया गया था। परियोजना के पूरा होने की समय सीमा समय-समय पर विस्तारित की गई और अंत में (नवंबर 2016) नवम्बर 2017 तक विस्तारित की गई थी। इस प्रकार, परियोजना छह साल के बाद भी मार्च 2017 तक पूरी नहीं की जा सकी थी।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि जब तक कि ई.ए. के कब्जे में भूमि नहीं है ई.ए. के लिए कोई काम नहीं देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो अनावश्यक देरी को कम करने में मदद करेगा।

<sup>30</sup> बेगुसराय- 1,434 दिन, बक्सर- 1,006 दिन, हाजीपुर-310 दिन, मुंगेर -546 दिन

इसके अलावा, एन.आर.सी.डी. ने ₹ 1.18 करोड़ की लागत के साथ मंदाकिनी नदी, चित्रकूट, सतना पर 4.7 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के लिए एक परियोजना को मंजूरी (अप्रैल 2009) दी। सभी कार्य तीन वर्षों में अर्थात मार्च 2012 के अंत तक पूरा किए जाने थे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कार्य निष्पादित करने में असमर्थ था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि (जुलाई 2010) इस काम को लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) को सौंप दिया जाए।

हमने पाया कि मार्च 2013 में जमीन अधिग्रहण की गई थी और अप्रैल 2013 में काम करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, भूमि विवादों के कारण जुलाई 2013 से अप्रैल 2015 तक कार्य रुका रहा। हालांकि, मार्च 2017 में एस.टी.पी. का काम पूरा हो गया था, फिर भी यह कार्यात्मक नहीं हो पाया, क्योंकि मार्च 2017 तक हाई टेंशन लाईन का कनेक्शन अभी भी प्रगति में था।

इस प्रकार, एक एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी का चयन, जो तकनीकी रूप से अयोग्य थी, भूमि की अनुपलब्धता और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण, निर्धारित तारीख के पाँच साल के बाद भी, परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) उत्तर दिया कि निष्पादन एजेंसियों का चयन राज्य सरकार का जनादेश है, लेकिन एन.एम.सी.जी. इस तरह के देरी को कम करने के लिए नियमित निगरानी कर रहा है।

**4.4.1.3 उत्तराखंड:** मार्च 2011 में ₹ 9.87 करोड़ की अनुमानित लागत से उत्तरकाशी में गंगोत्रीधाम के लिए सीवरेज सिस्टम योजना और एस.टी.पी. की मंजूरी दी गई थी, जिसे अप्रैल 2014 तक पूरा किया जाना था। हमने पाया कि यह परियोजना अभी भी अधूरी है यद्यपि ₹ 5.51 करोड़ खर्च किया गया था। नतीजतन, अशोधित सीवेज का 0.75 एम.एल.डी. भागिराथी (गंगा) में बहाया जा रहा था। बताए जाने पर, परियोजना प्रबंधक उत्तरकाशी द्वारा यह कहा गया था कि 2013 के बाढ़ के कारण मंदिर बंद होने और सड़क के रुकावट की वजह से यह परियोजना समय पर पूरा नहीं हो सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति से छह साल और 2013 के बाढ़ से चार साल बीत गया था, परंतु कार्य अभी भी अधूरा था।

**4.4.1.4 उत्तर प्रदेश:** (i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के लिए ए.ए.ए.ए. & ई.एस. एन.जी.आर.बी.ए. के तहत जुलाई 2010 में ₹ 496.90 करोड़ की अनुमानित लागत पर वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान (जी.ए.पी.) चरण-2 परियोजना को सहायता प्रदान की। हमने देखा कि ए.ए.&ई.एस. के अनुसार, परियोजना की मंजूरी की तारीख से 60 महीने के भीतर यानी 31 जुलाई 2015 तक कार्य पूरा हो जाना था। एन.एम.सी.जी. और जे.आई.सी.ए. से समय-समय पर बोली दस्तावेजों के चरणों में, पूर्व-

बोली बैठक में बोलीदाताओं की पूछताछ को मंजूरी और सभी पैकेजों की बोली मूल्यांकन रिपोर्ट पर जे.आई.सी.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने में प्रसंस्करण में देरी हुई। हालांकि, कार्य पैकेज सौंपने में 17 से 49 महीनों (निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौ महीने से अधिक अर्थात् अप्रैल 2011 तक आवंटित किया गया था) की देरी के कारण, यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका था और परियोजना लागत ₹ 137.46<sup>31</sup> करोड़ तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, ₹ 571.92 करोड़ का संशोधित डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. को भेज दिया गया, जिसे अभी तक (जून 2017) मंजूर नहीं किया गया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि डी.पी.आर. पर विचार किया गया और उत्तर प्रदेश एस.पी.एम.जी. को परियोजना के लिए ए.ए.ई.एस. की शर्त के अनुसार राज्य सरकार को लागत में वृद्धि का प्रस्ताव देने के लिए सलाह दी गई है।

(ii) जे.आई.सी.ए. सहायता प्राप्त जी.ए.पी.-II परियोजना के अंतर्गत, एन.आर.सी.डी. ने वाराणसी जिले में एस.टी.पी. भगवानपुर (आठ एम.एल.डी.) और दीनापुर (80 एम.एल.डी.) के पुनर्वास से संबंधित एक घटक को ₹ 14.90 करोड़ की लागत से मंजूरी (जुलाई 2010) दी।

हमने देखा कि परियोजना की मंजूरी की तिथि से सात साल की समाप्ति के बाद भी भौतिक प्रगति केवल 35.57 प्रतिशत है। यू.पी.जे.एन. द्वारा काम देने में 48 महीने तक की अत्यधिक देरी के चलते जिसके परिणामस्वरूप 2010-14 की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के कारण ₹ 3.74 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, निष्पादन बाढ़, किसान आंदोलन, एस.टी.पी. के विभिन्न घटकों की अनुपलब्धता से पीड़ित है।

इसलिए वाराणसी में पुनर्वास और क्षमता वृद्धि कार्य समय-सारिणी से काफी पीछे है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि मौजूदा एस.टी.पी. के पुनर्वास में किसी भी क्षमता वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है। परियोजना को संशोधित समय सीमा के भीतर अर्थात् जुलाई 2018 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, तथ्य यह है कि केवल 35.57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए संशोधित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने की संभावना कम लगती है।

(iii) परियोजनाओं की तैयारी के लिए एन.आर.सी.डी. दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन अवधि के भीतर वर्तमान आबादी के लिए 100 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन डी.पी.आर. में मुहैया कराया जाना है। हमने देखा कि दो परियोजनाओं में, गढ़मुक्तेश्वर (₹ 46.51 करोड़) और जे.आई.सी.ए. सहायता प्राप्त जी.ए.पी.-II वाराणसी (₹ 496.90

<sup>31</sup> 1 से 5 पैकेज की दी गई लागत ₹ 488.77 करोड़ कार्य का संस्वीकृत अनुमानित लागत ₹ 351.31 करोड़ = लागत में वृद्धि ₹ 137.46 करोड़

करोड़) में सीवरेज परियोजनाओं के डी.पी.आर. में सीवरेज नेटवर्क के घरेलू कनेक्शन शामिल नहीं किए गए थे। गढ़मुक्तेश्वर के लिए ₹ 17.26 करोड़ की राशि तक के घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को अभी भी मंजूरी दिया जाना बाकी है (मई 2017)।

इस प्रकार, डी.पी.आर. में घरेलू कनेक्शन शामिल नहीं किए जाने से सीवरेज अवसंरचना के निर्माण पर बेकार निवेश और लक्षित उद्देश्य की गैर-उपलब्धि हुआ।

एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2017) कि राज्य सरकार को सभी सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अतीत में सलाह दी गई थी जिससे कि बनाई गई परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो सके।

#### 4.4.2 परिनिर्धारित क्षति की गैर-वसूली

बिहार, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में तीन मामलों में विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षति को संवेदकों से वसूल नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.6 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड परियोजना के संबंध में जुर्माना नहीं वसूला जा सका क्योंकि सुरक्षा राशि के लिए ₹ 69.20 लाख दिए गए सावधि जमा रसीद (टी.डी.आर.) फर्जी पाया गया।

तालिका 4.6: परिनिर्धारित क्षति की गैर-वसूली

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वसूल किया जाने वाला परिनिर्धारित क्षति	वसूल किया गया एल.डी. (₹)	वसूल नहीं किया गया एल.डी. (₹)
बिहार	बेगूसराय, मुंगेर और हाजीपुर में निकास प्रणाली और एस.टी.पी. परियोजनाएँ	27.45 करोड़	16.61 लाख	27.28 करोड़
उत्तराखंड	उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के लिए एक निकास प्रणाली का निर्माण और एक एस.टी.पी.	69.20 लाख	शून्य	69.20 लाख
उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद में जिला क में निकास और गैर-निकास	9.79 करोड़	15.00 लाख	9.64 करोड़

बिहार शहरी एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) ने जवाब दिया (जून 2017) कि बेगूसराय और हाजीपुर के सिवरेज प्रणाली और एस.टी.पी. परियोजनाओं में शेष जुर्माना फाइनल रनिंग अकाउंट बिल से काट लिया जाएगा। मुंगेर परियोजना के

लिए, इसने कहा कि संविदा को निष्पादन बैंक गारण्टी की जब्ती के साथ पहले ही खत्म किया जा चुका है।

उत्तरप्रदेश के संबंध में, एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) कहा कि ठेकदार ने संस्वीकृत लागत के अन्दर कार्य को पूरा किया है और उसने अपने ऊपर थोपे हुए परिनिर्धारित क्षति की रकम पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया है। ठेकदार का आवेदन वैधानिक दृष्टि से विचाराधीन है। शेष बची हुई राशी को ठेकदार के अंतिम बिल से या उसके द्वारा जमा किये गए निष्पादन बैंक गारण्टी से वसूल किया जाएगा।

#### 4.4.3 पूर्ण परियोजनाओं के संबंध में अवलोकन

**4.4.3.1 पश्चिम बंगाल:** (i) बेलियाघाट सर्कुलर कैनाल पर ₹ 10.22 करोड़ की लागत से प्रदूषण की कमी के लिए एक परियोजना जनवरी 2015 में तीन साल और दो महीना के अतिरिक्त समय के साथ पूरा हुआ।

कार्य में गंदी नालियों के दिक् परिवर्तन और अवरोधन फेंसिंग, नलकूपों का निर्माण, वानिकीकरण इत्यादि सम्मिलित है। स्थल भ्रमण के दौरान (मई 2017), यह देखा गया था कि नहर का पानी बिल्कुल गतिहीन और ठोस कचरे के डंपिंग और खुले में शौच इत्यादि के कारण प्रदूषित था। आगे, बाड़े का कंक्रीट स्तम्भ जो जनवरी 2015 में पूरा किया गया बिल्कुल नष्ट हो चुका था। बहुत जगहों में, गंदी बस्तियों में रहने वाले/शरणार्थियों, कार रिपेयरिंग दूकान, गैरेज, भोजनालयों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। बहुत स्थानों पर अस्थायी प्रसाधन थे जो मल-मूत्रों को नहरों में गिरा देते थे। इस प्रकार साइट को सुरक्षित रखने के लिए ₹ 3.13 करोड़ का बाड़ लगाने का कार्य हुआ जिसे बनाया नहीं रखा जा सका। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (के.एम.सी.) ने वानिकीकरण का कार्य नहीं किया और बिना कारण बताए हुए ₹ 25 लाख की राशि एस.पी.एम.जी. को वापस कर दिया। यदि यह कार्य के.एम.सी. के द्वारा किया गया होता तो अतिक्रमण को कुछ हद तक रोका गया होता जिससे कार्य अधिक सफल हुआ होता।

के.एम.सी. ने स्वीकार किया (जून 2017) कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है।

पश्चिम बंगाल के बेलियाघाटा सर्कुलर कैनाल के गतिहीन जल और अतिक्रमण



प्लेट 4.9: बेलियाघाटा सर्कुलर कैनाल के गतिहीन जल (मई 2017)



प्लेट 4.10: बफर जोन के अंदर गंदी बस्तियाँ। बाड़े के टूटे हुए स्तम्भों को देखा जा सकता है। (मई 2017)

(ii) गायेशपुर क्षेत्र में 8.33 एम.एल.डी. क्षमता के एक एस.टी.पी. निर्माण की परियोजना को ₹ 168.67 करोड़ (फरवरी 2011) में संस्विकृत किया गया। फरवरी 2014 तक कार्य को पूरा किया जाना था।

एस.पी.एम.जी., गायेशपुर नगरपालिका और कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (के.एम.डी.ए.) के बीच हुए एम.ओ.ए. के अनुसार, नगरपालिका को सीवर लाइनों के घर के कनेक्शन को सुनिश्चित करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22,000 घरों में से केवल 25 घरों में मैनहोल/हाउस पिट के साथ सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यह परियोजना दिसम्बर 2016 में पूरी की गई तथआ परियोजना को घरेलू कनेक्शन पूरा किए बिना परिरक्षण के लिए (जनवरी 2017) छह महीने (जून 2017) के लिए रखा गया। फलतः 8.33 एम.एल.डी. सीवेज की डिज़ाइन क्षमता के विरुद्ध, एस.टी.पी. एक एम.एल.डी.<sup>32</sup> से कम कार्य कर रहा था जो कम उपयोग को प्रदर्शित करता है।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि राज्य सरकार गृह कनेक्शन के लिए अलग परियोजना शुरू कर रही है।

**4.4.3.2 उत्तराखंड:** उत्तराखंड पेयजल निगम (यू.जे.एस.) सीवरेज नेटवर्क और एस.टी.पी. के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। उत्तराखंड जल संस्थान प्रतिष्ठानों और घरों को सीवरेज नेटवर्क के साथ जोड़ने और इसके संचालन और मरम्मत के लिए जिम्मेवार है। यह देखा गया कि ऋषिकेश में तपोवन क्षेत्र पर 3.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण पूरा किया गया और एस.टी.पी. जल संस्थान को बिना सौंपे लेखापरीक्षा की तारीख (जून 2017) तक

<sup>32</sup> प्लांट कम से कम 30 मिनट चल रहा था। 8.33 एम.एल.डी. के लिए आठ घंटों का संचालन, परिशोधित सीवेज एक एम.एल.डी. से कम था।



मई 2016 से संचालन में था। आगे यह देखा गया कि परियोजना क्षेत्र में घरों को एस.टी.पी. के साथ नहीं जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, कुल क्षमता 3.5 एम.एल.डी. के विरुद्ध केवल 0.29 एम.एल.डी. सीवेज का शोधन किया जा रहा था।

एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और जवाब दिया (अगस्त 2017) कि इसने विभिन्न बैठकों में उत्तराखंड के उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उजागर किया था। यह बताया गया है कि प्रवाह को बढ़ाकर दोगुना किया गया था लेकिन फिर भी ई.ए. को और कनेक्शन प्रदान करना है।

#### 4.5 घाटों, शवदाहगृह कार्यों और सशर्त मूल्यांकन और संभाव्यता अध्ययन

कुल 24 घाटों के ₹ 2,416.65 करोड़ लागत की शवदाहगृह कार्य परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में नमूना था। इन परियोजनाओं में केवल दो परियोजनाओं को ₹ 20.05 करोड़ की लागत से पूरा किया गया। ₹ 243.27 करोड़ लागत की एक परियोजना में 12 महीने की देरी हुई। इन परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

##### 4.5.1. सी.ए. & एफ.एस. के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होना और शुरुआती स्तर की गतिविधियों के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी में विलंब

घाटों और शवदाहगृह के संबंध में शुरुआती स्तर की गतिविधियों<sup>33</sup> का कार्य और सशर्त मूल्यांकन और संभाव्यता अध्ययन पाँच सी.पी.एस.यू. को आवंटित किया गया था जो तालिका 4.7 में उल्लेखित है। मंत्रिमंडल ने सी.पी.एस.यू. की ई.ए. या नामंकन आधार के रूप में या इन ऐजेंसियों द्वारा जमा कार्य के रूप में संलग्न होने की (मई 2015) मंजूरी दे दी थी।

तालिका 4.7: एन.एम.सी.जी. द्वारा सी.पी.एस.यू. के साथ समझौता ज्ञापन का विवरण

सी.पी.एस.यू.	प्रारंभिक स्तर के क्रियाकलापों को करने के लिए समझौता ज्ञापन की तारीख	अन्तर्निहित राज्य और शहरों की संख्या
ई.आई.एल.	23 अप्रैल 2016	उत्तरप्रदेश में 32 शहरों (पाँच प्राथमिकता वाले शहरों शामिल) और अन्य राज्यों <sup>34</sup> में प्राथमिकता वाले शहर
ई.पी.आई.एल.	25 मई 2016	पश्चिम बंगाल में 42 शहर
एन.बी.सी.सी.	6 जून 2016	बिहार में 22 शहर

<sup>33</sup> प्रारंभिक स्तर के गतिविधियों में शामिल घाटों और शवदाहगृह का विकास/आधुनिकरण, ग्रामीण सीवेज नालियों का उपचार नदी तल सफाई

<sup>34</sup> उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल



सी.पी.एस.यू.	प्रारंभिक स्तर के क्रियाकलापों को करने के लिए समझौता ज्ञापन की तारीख	अन्तर्निहित राज्य और शहरों की संख्या
एन.पी.सी.सी.	25 मई 2016	झारखंड में 2 शहर
वैपकोस	19 मई 2016	उत्तराखंड में 13 शहर और उत्तरप्रदेश में 25 शहर

तालिका 4.7 बताता है कि एन.एम.सी.जी. ने केवल प्रवेश स्तर गतिविधि के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सी.ए.&एफ.एस. के लिए अभी भी हस्ताक्षर किया जाना बाकी था।

एन.एम.सी.जी. ने इस तथ्य को (अगस्त 2017) स्वीकार किया और कहा कि सी.ए.&एफ.एस. तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

#### 4.5.2 काम की शुरुआत में देरी

**4.5.2.1 बिहार में,** पटना (जून 2013) में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट (आर.एफ.डी.) को जून 2016 तक पूरा करने के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी. को ₹ 243.27 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई थी।

हमने देखा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर साइट ठेकेदार को सौंप दी जाएगी। कुल 20 घाटों में, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण (जून 2017 तक) के कारण संवेदकों को चार<sup>35</sup> घाटों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मर्दों के विभिन्न घटकों के तहत काम की भौतिक प्रगति मई 2017 तक 60 से 92<sup>36</sup> प्रतिशत थी।

बिहार अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) ने उत्तर दिया (जून 2017) कि चरणबद्ध ढंग से स्थल जारी करने के कारण संवेदक सीमित कार्य प्रगति हासिल कर पाए।

**4.5.2.2 बिहार में,** एन.बी.सी.सी. को तीन कार्य सौंपे गए थे जैसा कि तालिका 4.8 में विवरण दिया गया है।

<sup>35</sup> गई घाट, भदू घाट, महावीर घाट एवं नौजर घाट

<sup>36</sup> घाट 92 प्रतिशत, प्रमनेड 72 प्रतिशत, श्मशान 90 प्रतिशत, इमारतें 60 प्रतिशत, विद्युत निर्माण-75 प्रतिशत और पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम (ई.एम.पी.) 84 प्रतिशत।

तालिका 4.8: एन.बी.सी.सी. द्वारा काम की प्रगति का विवरण

स्थान	संवेदक	शुरू करने की अनुबंधित तिथि	समाप्ति की अनुबंधित तिथि	अनुबंधित समापन अवधि	संविदा का मूल्य (₹ करोड़ में)
सोनपुर	मैसर्स त्रिलोक एंड एसोसिएट्स	12 जुलाई 2016	12 अक्टूबर 2017	15 माह	24.55
बक्सर	मैसर्स उर्मिला आरसीपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	11 जुलाई 2016	11 अक्टूबर 2017	15 माह	26.92
मुंगेर*	मैसर्स राम कंस्ट्रक्शन कं	05 दिसम्बर 2016	05 मार्च 2018	15 माह	66.60

\*सुल्तानगंज, मुंगेर और जमालपुर के लिए संयुक्त एल.ओ.ए.

हमने पाया कि विभिन्न एजेंसियों से सभी स्थलों पर काम शुरू होने से पहले एन.ओ.सी. नहीं लिया गया था और नींव का कार्य प्रगति पर था।

एन.बी.सी.सी. ने कहा (मई 2017) कि बिहार सरकार द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने के लिए प्रस्तावित परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा, धीमी प्रगति का कारण भूमि की मंजूरी में देरी, नदी के जलस्तर में वृद्धि, काम के निष्पादन के दौरान आने वाली बाधाओं और संवेदकों को जुटाने में देरी बताया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कारणों को पहले देखा जा सकता था तथा एन.बी.सी.सी. को इनका प्रभाव कम करने तथा कार्य की गति हेतु उचित कदम उठाने चाहिए थे।

**4.5.2.3 उत्तराखंड** में, एन.एम.सी.जी. ने वैपकोस को ₹ 72.37 करोड़<sup>37</sup> "ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक घाट और विस्तृत शवदाहगृह के विकास" के लिए संस्वीकृति (मई 2016) प्रदान की। परियोजनाओं में 28 घाटों<sup>38</sup> (15 स्नान घाट और 13 श्मशान घाट) के विकास को ए.ए.&ई.एस. की तारीख से 18 महीने के भीतर (अर्थात् नवम्बर 2017 तक) पूरा किया जाना शामिल है।

परियोजनाओं के ए.ए.&ई.एस. की शर्तों के अनुसार, वैपकोस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एन.एम.सी.जी. की तरफ से सभी सांविधिक मंजूरी/अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करेगा। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) में यह भी कहा गया था (अप्रैल 2016) कि संवेदकों को निर्माण के लिए स्पष्ट स्थल प्रदान किया जाएगा।

<sup>37</sup> ₹ 22.11 करोड़ + ₹ 50.26 करोड़

<sup>38</sup> देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग खण्ड में 18 घाट/शवदाहगृह और ऋषिकेश से देवप्रयाग खण्ड में 10 घाट/शवदाहगृह।

- ऋषिकेश से देवप्रयाग तक खण्ड 10 घाटों में से, केवल चार घाटों में काम चल रहा था। इन चार घाटों में से, दो घाटों (देवप्रयाग-संगम और भारत) में वैपकोस ने एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना काम शुरू किया। हालांकि तीन घाटों (फुलचाट्टी-स्नान, फुलचाट्टी- अंतिम संस्कार और सिरासु) के एन.ओ.सी. प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सका था।

वैपकोस ने कहा (जून 2017) कि एन.ओ.सी., एस.डी.एम. और डी.एम. के पास लंबित पड़े थे।

- देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक खण्ड के 18 घाटों में से 10 घाटों के मामले में एन.ओ.सी. प्राप्त हुए। इनमें से नौ घाट के संबंध में काम शुरू किया गया था। एन.ओ.सी. की प्राप्ति के बावजूद फरसु घाट पर काम शुरू नहीं हुआ था। अन्य दो घाटों (कीर्तिनगर-पुरानी गंगा घाट और कीर्तिनगर-नई गंगा घाट) पर कार्य संबंधित डीएम से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना वैपकोस द्वारा शुरू किया गया था। सात घाटों के संबंध में काम शुरू नहीं किया गया था।

वैपकोस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि उसने दो घाटों अर्थात् कीर्तिनगर पुरानी गंगा घाट और कीर्तिनगर नई गंगा काम निर्माण कार्य शुरू होने से पहले एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद काम शुरू किया था। फरसु में घाट के लिए, एन.एच.ए.आई. ने कहा कि यह घाट उनकी सड़कों के विस्तार के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर है। यह मामला एस.पी.एम.जी., उत्तराखंड द्वारा हल किया जा रहा था और वैपकोस अगले निदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। वैपकोस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रगति रिपोर्ट (मार्च 2017 के लिए) में यह बताया गया था कि एन.ओ.सी. लंबित थे और इन घाटों में कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार, वैपकोस ने काम शुरू करने के लिए राज्य प्राधिकरणों से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना संवेदकों को कार्य सौंप दिया था।

**4.5.2.4 उत्तर प्रदेश, (i) एन.एम.सी.जी.** ने ₹ 27.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर यमुना नदी (मथुरा खंड) के किनारे पर चयनित स्थानों पर एक स्नान घाट और आठ शमशान घाटों के निर्माण कार्य हेतु परियोजना को मंजूरी (दिसंबर 2016) दी। परियोजना को पूरा करने की अवधि ए.ए.&ई.एस. जारी करने की तारीख से 18 महीने तक थी।

उत्तर प्रदेश जल निगम, मथुरा, नगर निगम परिषद, मथुरा और एस.पी.एम.जी., उत्तर प्रदेश के सदस्यों के एक निरीक्षण दल ने 28 दिसंबर 2016 को मथुरा खंड में इन स्थलों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद भी, वैपकोस इन स्थलों के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों से एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं पाए। वैपकोस ने तथ्यों को स्वीकार करते समय कहा

कि एन.ओ.सी. की प्रक्रिया निर्माण कार्य हेतु लिए जानेवाले घाटों और शमशानों की रूपरेखा का एन.एम.सी.जी. से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होने पर शुरू होगी।

इस प्रकार, संबंधित प्राधिकरण से एन.ओ.सी. की गैर-प्राप्ति के कारण मथुरा खंड के घाटों का निर्माण कार्य ए.ए.&ई.एस. की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद भी शुरू नहीं हो सका था।

(ii) एन.एम.सी.जी. ने 16 महीने के भीतर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) द्वारा निष्पादित करने के लिए ब्रिजघाट-गढ़मुक्तेश्वर में घाट कार्य के लिए परियोजना को मंजूरी (सितंबर 2016) दी। हालांकि, उसने संविदा प्रदान जाने के 10 महीनों से अधिक समय और संस्वीकृति जारी होने के आठ महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक (जून 2017) एन.एम.सी.जी. द्वारा प्राथमिकता अभ्यास (फरवरी 2017) तथा उनके द्वारा मई 2017 में जारी निर्देशों के कारण संवेदकों को कार्य स्थल नहीं सौंपा है। इसलिए संस्वीकृति जारी होने के 16 महीनों के भीतर काम पूरा होने की संभावना किंचित प्रतीत होती है क्योंकि निर्माण कार्य गतिविधियाँ अभी तक (जून 2017) शुरू नहीं हुई हैं।

**4.5.2.5 पश्चिम बंगाल** में, भाटपारा शवदाहगृह (₹ 3.73 करोड़ के लिए 22 सितंबर 2016 को संस्वीकृत) और गरुलिया घाट (₹ 11.61 करोड़ के लिए 23 सितंबर 2016 को संस्वीकृत) का कार्य ई.पी.आई.एल. को अधिकतम समय 21 महीने (जून 2018) में कार्य समाप्ति के लिए दिया गया था। हमने देखा कि काम की वास्तविक प्रगति बहुत धीमी थी, क्योंकि ई.पी.आई.एल. ने कार्य प्रगति का केवल क्रमशः 1.15 प्रतिशत और 2.48 प्रतिशत ही व्यय किया था। एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि भाटपारा शवदाहगृह में मौजूदा पुराना विशाल शवदाहगृह भवन निवासियों द्वारा घिरा हुआ है। अतः निवासियों की सुरक्षा के लिए विध्वंस कार्य हेतु काफी समय की आवश्यकता है। द्वितीय, शवदाहगृह भवन के पास स्थित मौजूदा घाट के लिए पहुँच पथ को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, कार्य यथा निर्धारित समय में शुरू नहीं किया जा सका। गरुलिया घाटों में, ई.पी.आई.एल. को मार्च 2017 में ही स्थल सौंपा गया था। कार्यस्थल पर गंगा नदी के पानी की वृद्धि के कारण, अप्रैल 2017 के दूसरे सप्ताह के बाद कोई कार्य करना संभव नहीं हो सका।

घाटों और शवदाहगृह से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि उन्होंने फरवरी 2017 में प्रथमिकता तय करने का काम किया क्योंकि सी.पी.एस.यू. ने निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद भी काम शुरू करने में देरी की थी। एन.एम.सी.जी. ने यह भी कहा कि ए.ए.&ई.एस. और एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना कई स्थानों पर काम शुरू हुआ। एन.एम.सी.जी. का उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करता है।

## 4.6 अन्य मामलें

### 4.6.1 मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य गतिविधियों पर खर्च

ई.आई.एल. ने (अगस्त 2016) एन.एम.सी.जी. से मंजूरी प्राप्त किए बिना मेसर्स वी.आर.सी. कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बिथूर घाट और शवदाहगृह के लिए परियोजना आवंटित कर दिया। इसके अलावा, 31 मार्च 2017 तक, ई.आई.एल. ने बिथूर पर ₹ 1.74 करोड़ की राशि का व्यय किया था जिसे कानपुर परियोजना हेतु निधि से पूरा किया गया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि अनुमोदित कार्यों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। एन.एम.सी.जी. ने आगे कहा कि परियोजना मंजूरी पत्र के अनुसार, एन.ओ.सी. समेत सभी अनुमति मिलने के बाद ही निविदा दी जा सकती थी तथा ई.आई.एल. से कार्य निष्पादन हेतु स्थापित प्रक्रिया के पालन की आशा किया जाता है।

### 4.6.2 ओ. एंड एम. गतिविधियों में राजस्व उत्पादन तंत्र का प्रावधान नहीं होना

एन.एम.सी.जी. और ई.आई.एल. के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, छह से 12 महीने तक प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.&एम.) निर्माण कार्य संविदा का हिस्सा होगा।

एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति जारी करते समय यह भी निर्धारित किया था कि ओ.&एम. में लगे संगठन को ओ.&एम. गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वहाँ राजस्व उत्पादन तंत्र बनाना जरूरी है।

हमने देखा कि परियोजनाओं को संस्वीकृति देते समय, ई.आई.एल. ने ओ.&एम. के लिए प्रावधान किया, लेकिन संस्थागत व्यवस्था और ओ.&एम. गतिविधियों हेतु राजस्व उत्पादन तंत्र के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जो परियोजना के तहत सृजित सुविधाओं के ओ.&एम. को प्रभावित कर सकता है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि ई.आई.एल., एन.एम.सी.जी. और एस.पी.एम.जी. के परामर्श के तहत एक साध्य समाधान तब तैयार करेगी, जब परियोजना समाप्ति के चरण में हो।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं के लिए ए.ए.&ई.एस. जारी करते समय निर्धारित किया था कि ई.आई.एल. को निष्पादन और डी.एल.पी. के दौरान संस्थागत ढांचे और ओ.&एम. योजना का पता लगाना था।

### 4.6.3 घाटों तक पहुंच मार्ग के लिए अनुपयुक्त योजना

मथुरा जिले में घाटों के स्थल दौरों के दौरान, हमने पाया कि ये सभी घाट यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, एक रामगंगा/काली नाडी नदी पर एक घाट तक, निर्माण किए जाने वाले

स्थलों तक कोई पक्का पहुँच मार्ग नहीं था। लोगों को घाट तक एक संकीर्ण और कच्चे सड़क से होकर पहुँचना होता है जो कि बरसात के मौसम में कीचड़ और पानी से भरा रहेगा।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि पहुँच सड़कों का विकास घाटों के लिए एन.एम.सी.जी. जनादेश का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह आशा की जाती है कि सी.पी.एस.यू. को एक निश्चित स्थान पर घाट/शवदाहगृह का प्रस्ताव करते समय यह सुनिश्चित कर लेगा कि स्थल तक पहुँच उपलब्ध है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी घाटों तक पहुँच मार्गों को असाध्य और अव्यवहारिक पाया गया है जो दर्शाता है कि डी.पी.आर. तैयार करते समय वैपकोस द्वारा पहुँच सड़कों के निर्माण की व्यवहार्यता पर समुचित विचार नहीं किया गया था।

#### 4.7 बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा निष्पादित परियोजना

जी.एफ.आर., 2005 के नियम 234 (3&4) के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नोडल एजेंसी के रूप में, कानूनी समझौता करेगा तथा भारत सरकार के विभागों एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा समझौता में तय किए जाने वाले कार्यों में वित्तीय मामलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

आगे, संयुक्त सचिव, डी.ए.ई., वित्त मंत्रालय तथा रेजीडेंट प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) भारत के बीच 1 मार्च 2013 को हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रम (2013 से 2017) के अनुसार, कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के डी.ई.ए. के संयोजन में राष्ट्रीय रूप से निष्पादित किया जाएगा। डी.ई.ए., यू.एन.डी.पी. के साथ राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रम पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करते हुए यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्वामित्व तथा निर्देशन करेगा।

- एन.एम.सी.जी. ने नमामि गंगे योजना के तहत झारखंड के साहिबगंज जिले में ग्रामीण स्वच्छता पहल के लिए ₹ 127.83 करोड़ की कुल लागत पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) को एक परियोजना की मंजूरी दी (अप्रैल 2016) और आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.), भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त किए बिना एस.पी.एम.जी. को ₹ 15.25 करोड़ (जून और जुलाई 2016) जारी किया। इसके अलावा, झारखंड राज्य सरकार ने किसी औपचारिक तंत्र के बिना यू.एन.डी.पी. को अग्रिम के रूप में पाँच करोड़ रूपए जारी किया (अगस्त 2016)।

डी.ई.ए. ने यू.एन.डी.पी. (अगस्त 2016) के साथ-साथ एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. (अक्टूबर 2016) को सावधान किया कि इस परियोजना पर आगे की प्रचालन और हस्ताक्षर के लिए सम्यक अनुमोदन और परामर्श के बाद ही विचार किया

जाएगा। डी.ई.ए. (दिसंबर 2016) ने व्यय के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और जी.एफ.आर., कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में यू.एन.डी.पी. के चयन के लिए प्रक्रिया, यू.एन.डी.पी. को फंड ट्रांसफर के उल्लंघन को उजागर किया करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) जारी किया। इसने एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. को सूचित किया कि परियोजना के लिए भारत सरकार ने यू.एन.डी.पी. को कोई पैसा नहीं दिया जाये।

इस प्रकार, एन.एम.सी.जी. ने लागू नियमों और विनियमों के पालन के बिना परियोजना को मंजूरी दी।

- इस परियोजना के तहत, अन्य ट्रस्टों/संगठनों से ₹ 23.27 करोड़ जुटाए जाने के लिए का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, निधि की स्थिति का पता लगाने के लिए अन्य स्रोतों (भारत सरकार और यू.एन.डी.पी. के अलावा) से फंड जुटाने के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

परियोजना का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता आदतों, गंगा नदी में बहने वाले अपशिष्ट जल और झंझा-नीर के प्रवाह गुणवत्ता के माध्यम से झारखंड में गंगा नदी बेसिन के 78 गांवों में लगभग 45,000 घरों की स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य था। हालांकि, यू.एन.डी.पी. ने अन्य कार्यों, जैसे कि आधार कार्ड बनाने हेतु, बैंक खाता खोलने हेतु विशेष कैम्प, पी.डी.एस. व्यवस्था पर ध्यान, वृद्ध, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन, क्षेत्र से टी.बी. के उन्मूलन हेतु विशेष जोर, इत्यादि जो स्वीकृत परियोजना का हिस्सा नहीं थे, को पूरा किया।

इस प्रकार, झारखंड राज्य सरकार ने यू.एन.डी.पी. के साथ कोई भी समझौता करने से पहले ही इसे अग्रिम राशि उपलब्ध करा कर यू.एन.डी.पी. के लिए अनुचित पक्षपात किया। इस प्रकार, कार्यपालक एजेंसी के रूप में एक बहुपक्षीय एजेंसी को शामिल करने में अध्यवसाय की कमी थी।

#### 4.8 निष्कर्ष

एन.एम.सी.जी. नमामि गंगे कार्यक्रम की कैबिनेट मंजूरी के अनुसार एस.टी.पी. के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लक्ष्य को पूरा न कर सका। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चयनित शहरों में गंगा नदी में अशोधित सीवेज का छोड़ा जाना पाया गया। एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा सीवेज प्रणाली और सीवेज शोधन से संबंधित निष्पादित परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, समय और लागत में उतार-चढ़ाव, संवेदकों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, सभी घरों से संपर्क न होने से एस.टी.पी. के न्यून-उपयोग, आदि की वजह से निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ा। सी.पी.एस.यू. द्वारा निष्पादित किए जा रहे घाटों और शवदाहगृह से संबंधित परियोजनाओं के मामले में

परियोजनाओं का काम शुरू होने में देरी, ए.ए.&ई.एस. प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य गतिविधियों, ग्राम सीवेज ड्रेन शोधन की गैर-योजना, एन.एम.सी.जी. और सी.पी.एस.यू. के बीच समन्वय की कमी, राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों से एन.ओ.सी. की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी और भूमि की अनुपलब्धता, आदि के कारण प्रभावित हुई।

#### 4.9 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि

- i. एन.एम.सी.जी. सभी शहरों और गांवों से संबंधित सीवेज की क्षमता के अंतराल को संबोधित कर सकता है और तदनुसार सीवेज सिस्टम, एस.टी.पी., अवरोधन और पथांतरण कार्य की समयबद्ध तरीके से योजना बना सकता है।
- ii. एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी., यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंगा नदी में कोई अशोधित सीवेज प्रवाहित न की जाए, सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना और उनके प्रचालन के साथ अवरोधन और पथांतरण परियोजनाओं समक्रमिक कर सकता है।
- iii. एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. संविदा देने से पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों और कार्यपालक एजेंसियों के साथ परामर्श करके भूमि उपलब्ध कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर सकते हैं।






5  
अध्याय

## 5.1 परिचय

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा नदी के मुख्य स्टेम के साथ स्थित चिन्हित गावों तथा पंचायतों को बेहतर स्वच्छता अभिगम मुहैया कराया जाना था। इस घटक का दायित्व पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय (एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस) के जरिए एन.एम.सी.जी. द्वारा दायित्व में लिया जाना था, जैसा कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. सफाई, स्वच्छता तथा खुले में शौच को खत्म करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्याप्ति को गति देने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर सामान्य जीवन गुणवत्ता लाने के उद्देश्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एस.बी.एम.(जी.) के अंतर्गत इस क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहा था।

ग्रामीण स्वच्छता के घटकों को एस.बी.एम.(जी.) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। एस.बी.एम.(जी.) के कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक लामबंदी/गतिमान तथा निगरानी की अपेक्षित है। कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया गया।

## चार्ट 5.1 एस.बी.एम.(जी.) का पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र



## 5.2 योजना तथा मूल्यांकन-चयन मानदंडों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पर्याप्तता

एम.ओ.डब्ल्यू.आर,आर.डी.&जी.आर. ने, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को गंगा नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध (सितम्बर 2014) किया। तदनुसार, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने फरवरी 2015 में प्रशासनिक शुल्क को शामिल करते हुए ₹ 2,354.46 करोड़ की कुल वित्तीय आवश्यकता के साथ तीन गतिविधियों हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की-(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.), (ii) ठोस तरल कचरा प्रबंधन (iii) सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण (आई.ई.सी.) इसमें से, गंगा नदी के समीप 1,657 ग्राम पंचायतों के 253 ब्लॉक तथा 53 जिलों वाले पाँच तटवर्ती राज्यों<sup>39</sup> के लिए केन्द्र का हिस्सा ₹ 1,753.23 करोड़ (केन्द्र तथा राज्य के बीच निधिकरण पैटर्न 75.25) था, जैसा कि तालिका 5.1 में व्याख्या की गई है।

तालिका 5.1 घटकवार कुल निधि आवश्यकताएँ

(₹ लाख में)

राज्य का नाम	आई.एच.एच.एल.	एस.एल.डब्ल्यू.एम..	आई.ई.सी.	प्रशासनिक शुल्क	कुल
बिहार	70,133.88	6,180.00	6,783.46	1,695.86	84,793.20
झारखण्ड	2,679.24	660.00	296.82	74.21	3,710.27
उत्तर प्रदेश	52,222.08	16,793.04	6,134.68	1,533.67	76,683.47
उत्तराखण्ड	1,198.44	1,376.00	228.84	57.21	2,860.49
पश्चिमी बंगाल	56,179.08	4,480.00	5,391.92	1,347.98	67,398.98
कुल	1,82,412.72	29,489.04	18,835.72	4,708.93	2,35,446.41

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस का प्रस्ताव एम.ओ.डब्ल्यू.आर,आर.डी.&जी.आर. द्वारा अनुमोदित (जून 2015) किया गया। तथापि, 60:40 के अनुपात में निधिकरण पैटर्न के संशोधन (जनवरी 2016) के परिणामस्वरूप, केन्द्र के हिस्से को घटाकर ₹ 1,412.68 करोड़ कर दिया गया।

प्रारम्भ में, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने मार्च 2016 (बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल) जून 2016 (उत्तर प्रदेश) तथा नवम्बर 2015 (उत्तराखण्ड) तक 100 प्रतिशत घरों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराने की लक्ष्य तिथि निश्चित (मई 2015) की। लक्ष्य तिथि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 2016) हालाँकि, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कार्य की धीमी प्रगति के कारण इसे फिर से मार्च 2017 में अप्रैल 2017 तक बढ़ा दिया गया।

<sup>39</sup> उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को केन्द्र का हिस्सा जारी कर चुका था, जिसे राज्य कार्यकारी एजेंसियों को जारी किया गया। इसने आगे बताया किया कि लक्ष्य तथा उद्देश्य एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा तय किए गए, क्योंकि एन.एम.सी.जी. की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी तथा गंगा नदी के किनारे पर चिन्हित सभी गाँवों को अब ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया था।

सभी चिन्हित गाँवों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के मुद्दे पर एन.एम.सी.जी. के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने इसकी स्वयं की टीम या तृतीय पक्ष के द्वारा खुले में शौच मुक्त स्थिति के सत्यापन से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ओ.डी.एफ. के गलत प्रस्थापन पर लेखापरीक्षा जाँच परिणाम की चर्चा अनुच्छेद 5.4.2 तथा 5.4.3 में की गई है।

### 5.3 जारी निधि तथा उपयोग

एस.बी.एम.(जी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के द्वारा राज्य सरकारों को निधि जारी की जानी थी। इसके बदले में राज्य सरकार, भारत सरकार की ओर से निधि अंतरण के 15 दिन के अंदर एस.बी.एम.(जी.) को निधि जारी करता है।

एन.एम.सी.जी./एम.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी.&जी.आर. ने जून 2015 तथा सितम्बर 2016 में एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को आई.एच.एच.एल., आई.ई.सी. तथा एस.एल.डब्ल्यू.एम. के निर्माण से संबंधित गतिविधियों हेतु क्रमशः ₹ 263 करोड़ तथा ₹ 315 करोड़ की एकमुश्त राशि जारी की।

हमने पाया कि यद्यपि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. पाँच राज्यों को ₹ 578 करोड़ की राशि की निधि जारी कर चुका था, परन्तु एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ राज्य के हिस्से की राशि उपलब्ध नहीं थी। केन्द्र तथा राज्यों का अंश जैसा कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्राप्त हुआ था, का विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: 2015-17 के दौरान प्राप्त निधि तथा उपयोग का राज्यवार/वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	राज्य		कुल				
			अधशेष	आबंटन	विविध पावतियाँ	उपयोग	अन्तशेष
1	बिहार	केन्द्र हिस्सा	0	79.02	0	45.96	61.22
		राज्य हिस्सा		28.16			
	कुल		0	107.18	0	45.96	61.22

क्र.	राज्य		कुल				
			अधशेष	आबंटन	विविध पावतियाँ	उपयोग	अन्तशेष
2	झारखण्ड	केन्द्र हिस्सा	-3.63	27.83	0.44	30.36	3.56
		राज्य हिस्सा		9.28			
कुल			<b>-3.63</b>	<b>37.11</b>	<b>0.44</b>	<b>30.36</b>	<b>3.56</b>
3	उत्तराखण्ड	केन्द्र हिस्सा	0	22.56	0.71	6.96	16.31
		राज्य हिस्सा		0			
कुल			<b>0</b>	<b>22.56</b>	<b>0.71</b>	<b>6.96</b>	<b>16.31</b>
4	उत्तर प्रदेश	केन्द्र हिस्सा	0	370.76	0.60	257.09	335.52
		राज्य हिस्सा		221.25			
कुल			<b>0</b>	<b>592.01</b>	<b>0.60</b>	<b>257.09</b>	<b>335.52</b>
5	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र हिस्सा	0	77.38	60.78	146.15	44.35
		राज्य हिस्सा		51.89			
कुल			<b>0</b>	<b>129.72</b>	<b>60.78</b>	<b>146.15</b>	<b>44.35</b>
6	कुल	केन्द्र हिस्सा	-3.63	578.00	62.53	486.52	460.96
		राज्य हिस्सा		310.58			
कुल योग			<b>-3.63<sup>40</sup></b>	<b>888.58</b>	<b>62.53</b>	<b>486.52</b>	<b>460.96</b>

स्रोत: एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आँकड़े

तालिका 5.2 से यह स्पष्ट है कि ये पाँच राज्य कुल उपलब्ध निधि ₹ 951.11 करोड़<sup>41</sup> की तुलना में ₹ 490.15 करोड़<sup>42</sup> की राशि प्रयोग कर सके अर्थात् कुल उपलब्ध निधि का 52 प्रतिशत।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि यह एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को प्राधिकृत पत्र जारी कर चुका था तथा राज्य के हिस्से के साथ संबद्ध नहीं था। आगे, एन.एम.सी.जी. ने एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष अव्यय शेष को शामिल किया, जो योजना की वास्तविक भौतिक प्रगति के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि बहुत से गाँवों को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है। इसने आगे कहा (अगस्त 2017) कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.एस. के जारी निधि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। एन.एम.सी.जी. का उत्तर इस परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ओ.डी.एफ.

<sup>40</sup> आई.एच.एच.एल.पर मार्च 2015 से पूर्व किया गया व्यय

<sup>41</sup> ₹ 888.58 करोड़ प्लस ₹ 62.53 करोड़

<sup>42</sup> ₹ 3.63 करोड़ प्लस ₹ 486.52 करोड़

घोषित किए गए गावों में से 33<sup>43</sup> प्रतिशत ओ.डी.एफ. घोषित गावों की स्थिति मार्च 2017 तक सत्यापित नहीं हुई थी। आगे जैसा कि पैरा 5.4.2 तथा 5.4.4 में चर्चा की गई है। गावों के ओ.डी.एफ. घोषित करने एवं आई.एच.एच.एल के निर्माण में भी विभिन्नताएँ थीं।

हमने आगे देखा

- उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को इसके हिस्से का ₹ 2.78 करोड़ जारी नहीं किया। (31 मार्च 2017) दो राज्यों<sup>44</sup> ने इसकी जिला कार्यान्वयन समितियों को अपने प्रतिबद्ध हिस्सों के समक्ष ₹ 50.44 करोड़ की कम राशि जारी की।
- मार्च 2017 तक, उत्तराखण्ड, उपलब्ध केन्द्रीय हिस्से का केवल 30 प्रतिशत प्रयोग कर सका। मार्च 2017 तक, दो राज्य<sup>45</sup> उनके पास उपलब्ध निधि का 50 प्रतिशत भी प्रयोग नहीं कर सके।
- उत्तर प्रदेश के 11 जाँचित जिलों<sup>46</sup> में से चार<sup>47</sup> के दस्तावेजों/अभिलेखों की संवीक्षा करने पर यह उजागर हुआ कि अप्रैल 2017 में, इन चार जिलों के 37 जी.पी.एस.<sup>48</sup>, जो पहले गंगा बेसिन जी.पी. के रूप में चिन्हित किए गए थे, को राज्य सरकार द्वारा गंगा बेसिन की सूची से अपरिलक्षित/हटा दिया गया।

हालाँकि, गंगा नदी बेसिन जी.पी. की सूची से इन्हें हटाने से पूर्व नमामि गंगे के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से इन 37 जी.पी. में 19,246 आई.एच.एच.एल. के निर्माण पर पहले ही ₹ 17.76 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। जैसा कि गैर-गंगा बेसिन जी.पी. पर ₹ 17.76 करोड़ खर्च किए गए, इसीलिए इस व्यय की प्रतिपूर्ति एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. से की जानी थी।

एन.एम.सी.जी. ने इसके प्रत्युत्तर में (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया। हालाँकि, यह कहा गया कि यह राज्य के हिस्से तथा राज्य ई.ए. द्वारा इसके

<sup>43</sup>  $\{(3656-45)-2406\}/(3656-47) \times 100 = 33$  प्रतिशत

<sup>44</sup> उत्तर प्रदेश तथा बिहार

<sup>45</sup> उत्तर प्रदेश तथा बिहार

<sup>46</sup> फरुखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, कासगंज, गाजीपुर, उन्नत तथा नीरुत

<sup>47</sup> इलाहाबाद, मीरुत, कासगंज तथा गाजीपुर

<sup>48</sup> उस्तापुर, महोदाबाद, चिबैया उपारहार, पालिकरनपुर, मुरारपटी, कटवारोपुर, कैथवस, कोटाबा, मैनाया, उपारहर, बावुरा, मुनगैरी, कुनहेदा, खानपुर गढ़ी, मकदूमपुर बाजपुर, नारदौली, फुटका, असदगढ़, इस्लामपुर, पाचिलाना, हेतुमपुर, ताजपुर मंजा, राधोपुर, चितवानपत्री, मंझारिया, रामपुर पत्री, देवा बैरन, खिजीपुर, सईबारफुर कालान, चकमेदानी क्र.2, लीलापुर, बडसारा, सीतापट्टी, सोनहारिया, मैनपुर, पारमेथ, माहीपुर,मानिकपुर तथा कारानंदा

प्रयोग से संबद्ध नहीं था। व्यय की अप्रतिपूर्ति पर एन.एम.सी.जी. का उत्तर कि नमामि गंगे की निधि गैर-गंगा बेसिन जी.पी. हेतु प्रयोग की गई, स्वीकार्य नहीं है।

#### 5.4 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. (दिसम्बर 2016) ने 31 मार्च 2017 तक सभी गंगा गावों में ओ.डी.एफ. प्राप्त करने के लक्ष्य को संशोधित किया। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में धीमी प्रगति की वजह से लक्ष्य तिथि को, मंत्रिमंडल सचिव के साथ समीक्षा बैठक (24 मार्च 2017) में अप्रैल 2017 तक बढ़ा दिया गया।

हमने पाया कि अप्रैल 2017 की लक्ष्य तिथि बीत चुकी थी, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक चयनित जिले में आई.आई.एच.एल. के निर्माण तथा आई.ई.सी. गतिविधि की पूर्णता व ठोस तरल कचरा प्रबंधन के कार्य के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि तालिका 5.3 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 5.3 निर्मित आई.एच.एच.एल. की संख्या के संदर्भ में लक्ष्य व उपलब्धियाँ**

राज्य	31.03.2017 को प्रदान किए जाने वाले लक्षित आई.एच.एच.एल.	31.03.2017 को लक्षित आई.एच.एच.एल. के समक्ष प्रदत्त आई.एच.एच.एल.	31.03.2017 को अभी भी प्रदान किए जाने वाले आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को प्रदान किए जाने वाले लक्षित आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को लक्षित आई.एच.एच.एल. के समक्ष प्रदत्त आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को अभी भी प्रदान किए जाने वाले आई.एच.एच.एल.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिहार	2,71,150	1,62,356	1,08,794	4,49,207	2,06,254 (45.92 प्रतिशत)	2,42,953
झारखण्ड	33,132	27,801	5,331	36,911	27,801 (75.32 प्रतिशत)	9,110
उत्तराखण्ड	9,975	9,943	32	9,641	9,641 (100 प्रतिशत)	0
उत्तर-प्रदेश	4,42,874	3,23,168	1,19,706	4,42,672	4,10,869 (92.82 प्रतिशत)	31,803
पश्चिम बंगाल	5,06,996	5,03,964	3,032	5,06,996	5,05,528 (99.71 प्रतिशत)	1,468
कुल	12,64,127	10,27,232 (81.26 प्रतिशत)	2,36,895	14,45,427	11,60,093 (80.26 प्रतिशत)	2,85,334

स्रोत: कॉलम सँ. 2 से 4 के आँकड़े राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए। कॉलम सँ. 5 से 6 के आँकड़े एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के एम.आई.एस. डेटाबेस से प्राप्त किए गए।

तालिका 5.3 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि मार्च 2017 तथा मई 2017 में आई.आई.एच.एल. हेतु तय लक्ष्यों के आँकड़ों में विविधता थी। जैसा कि, दो महीनों की अवधि में बिहार तथा झारखण्ड के आई.एच.एच.एल. के लक्ष्यों में क्रमशः 2,71,150 से 4,49,207 तथा 33,132 से 36,911 की बढ़ोतरी हुई। जबकि उत्तराखण्ड में आई.आई.एच.एल. के निर्माण हेतु लक्ष्यों में मार्च 2017 में 9,975 से मई 2017 में 9,641 की कमी हुई। हालाँकि, तथ्य यह है कि, मार्च 2017 को उत्तराखण्ड में 9,943 आई.आई.एच.एल. पहले ही निर्मित किए जा चुके थे।

राज्य वार लक्ष्य तथा ओ.डी.एफ. गाँवों हेतु उपलब्धियाँ तालिका 5.4 में दी गई हैं।

**तालिका 5.4:- ओ.डी.एफ. गाँवों की संख्या के संदर्भ में लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ**

राज्य	ओ.डी.एफ. किए जाने के लिए लक्षित गाँव (31.03.2017 का)	31.03.2017 को लक्ष्य के समक्ष ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने वाले गाँव	31.03.2017 को अभी भी ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के लिए शेष गाँव	ओ.डी.एफ. किए जाने के लिए लक्षित गाँव (19.05.2017 का)	लक्ष्य के समक्ष ओ.डी.एफ.स्थिति प्राप्त करने वाले गाँव (19.05.2017 का)	ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के लिए शेष गाँव (19.05.2017 का)
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	485	228	257	487	342 (70.23 प्रतिशत)	145
झारखण्ड	78	47	31	73	64 (87.67 प्रतिशत)	9
उत्तराखण्ड	265	265	0	222	222 (100 प्रतिशत)	0
उत्तरप्रदेश	1,560	1,022	538	1,627	1373 (84.39 प्रतिशत)	254
पश्चिम बंगाल	2,106	2,094	12	2,106	2,095 (99.48 प्रतिशत)	11
कुल	4,494	3,656 (81.35 प्रतिशत)	838	4,515	4,096 (90.72 प्रतिशत)	419

**स्रोत:- कॉलम सँ. 2 से 4 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए। कॉलम सँ. 5 से 6 एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के एम.आई.एस. डेटाबेस से प्राप्त किए गए।**

तालिका 5.3 तथा 5.4 निम्नलिखित निर्दिष्ट करती हैं।

#### 5.4.1 आई.एच.एच.एल. तथा ओ.डी. के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना

मार्च 2017 को केवल उत्तराखण्ड को छोड़कर, कोई भी राज्य आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि अन्य चार राज्य मई 2017 तक आई.एच.एच.एल. के निर्माण का 45.92 से 99.71 प्रतिशत को पूरा कर



सके। आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप, उत्तराखण्ड को छोड़कर कोई भी राज्य ओ.डी.एफ. की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में कहा कि सभी गाँवों को निश्चित तिथि तक ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया। एन.एम.सी.जी. के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि मई 2017 में निर्धारित लक्ष्य को 2,49,749 आई.एच.एच.एल तक कम कर दिया गया जिसका कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया।

#### 5.4.2 ओ.डी.एफ. की गलत घोषणा

उत्तर प्रदेश में, 31 मार्च 2017 को 19 जी.पी.<sup>49</sup> के ओ.डी.एफ. घोषित 10 जिलों<sup>50</sup> को उनकी ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच के लिए चयनित किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह उजागर हुआ कि उन्हें ओ.डी.एफ. बनाने के लिए कुल 6,824 आई.एच.एच.एल. अपेक्षित थे। हालाँकि इन जी.पी. में से 31 मार्च 2017 तक केवल 5,437 आई.एच.एच.एल ही निर्मित हुए।

इन 19 जी.पी., मार्च 2017 तक आई.एच.एच.एल. के अपेक्षित निर्माण में असफल रहे जबकि ओ.डी.एफ. घोषित किए गए थे।

एन.एम.सी.जी. ने इसके प्रत्युत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन को संज्ञान में लिया तथा सुनिश्चित किया कि मामले को एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष रखा जाएगा।

#### 5.4.3 ओ.डी.एफ. ग्राम गाँवों का सत्यापन

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के बाद इसे ग्राम सभा बैठक में घोषित करना था। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प सम्पूर्ण ग्राम पंचायत या यहाँ तक कि एक गाँव/वास स्थान के लिए भी हो सकता है। राज्य सरकारों को स्वयं की टीम या तृतीय पक्ष के जरिए ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच करनी थी। चूँकि ओ.डी.एफ. एक वन-टाइम प्रक्रिया नहीं है, कम से कम दो बार जाँच का पालन किया जाना था। ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच के लिए प्रथम जाँच इसकी घोषणा के तीन महीने के अंदर की जानी थी तथा दूसरी जाँच प्रथम जाँच के छः महीने के बाद की जानी थी। एक ग्राम पंचायत को, उपरोक्त जाँच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद; ही ओ.डी.एफ. घोषित किया जाना था। घोषित ओ.डी.एफ. की स्थिति तथा सत्यापित जी.पी. तालिका 5.5 में दिए गए हैं।

<sup>49</sup> डेरवा, चकनिरंजन, बद्रीपुर, काकरा, डोमरी, साराई डोमरी, श्री गोवरधन, अमोली, निजामुद्दीनपुर, शिवपुर, मोदिनीपुर, मोह पोच्चा, किराचन, निमबई गर इहामली, साधोपुर, खालिसपुर, तिवारीपुर, चन्द्रपुर, गोपुरा तथा उक्कारीफरोली।

<sup>50</sup> भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बिजनौर, कानपुर, फरूखाबाद, उन्नौ, गाजीपुर तथा कासगंज।

तालिका 5.5: 31मार्च 2017 को घोषित तथा सत्यापित गाँवों की स्थिति

राज्य	ओ.डी.एफ. घोषित गाँवों की संख्या	जाँच किए गाँवों की ओ.डी.एफ. स्थिति
बिहार	228	जाँच नहीं की गई
झारखण्ड	47	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
उत्तराखण्ड	265	204
उत्तर प्रदेश	1,022	108
पश्चिमी बंगाल	2,094	2,094
कुल	3,656	2,406

मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में ओ.डी.एफ. घोषित 1,287 गाँवों में से, केवल 312 गाँवों की स्थिति की जाँच की गई, आगे, मार्च 2017 को, बिहार में घोषित ओ.डी.एफ. गाँवों में से किसी भी गाँव की ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच नहीं की जा सकी। यह ओ.डी.एफ. गाँवों की जाँच की धीमी गति को दर्शाता है तथा ओ.डी.एफ. घोषित गाँवों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके प्रत्युत्तर (अगस्त 2017) में, एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को संज्ञान में लिया तथा यह सुनिश्चित किया की मामला एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष रखा जाएगा।

#### 5.4.4 झारखण्ड में आई.आई.एच.एल. के निर्माण/आवंटन में अनियमितताएँ

झारखण्ड में, ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समितियाँ (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) चरणावद्ध तरीके से चिन्हित गाँवों में निर्माण गतिविधियों का पालन कर रही थी, जिसके लिए जिला जल तथा स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के द्वारा ₹ 12,000 प्रति आई.एच.एच.एल. की दर से निधि सभी वी.डब्ल्यू.एस.सी. को अग्रिम के तौर पर इस निदेश के साथ जारी की जा रही थी कि संयुक्त परिवार में केवल एक आई.एच.एच.एल. का निर्माण किया जाना चाहिए, वह भी परिवार के मुखिया के नाम पर। हमने पाया कि-

- एक गरीबी रेखा के नीचे क्रमांक के समक्ष, एक से अधिक आवंटन किए गए, जैसा कि 69 बी.एफ.एल. क्रमांक के समक्ष 147 आई.एच.एच.एल. आवंटित किए गए। 78 आई.एच.एच.एल. के निर्माण पर खर्च किए गए ₹ 9.36 लाख, डी.डब्ल्यू.एस.एम. के निर्देशों का उल्लंघन था, जिससे अंत में अयोग्य लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. की अनियमित संस्वीकृति दी गई।

- 10 जाँचित गाँवों<sup>51</sup>, के 34 लाभार्थियों के नाम के समक्ष वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा निर्मित 71 आई.एच.एच.एल. दर्शाए गए। इस प्रकार, 37 आई.एच.एच.एल. के निर्माण पर 12,000 प्राप्त आई.एच.एच.एल. की दर से ₹ 4.44 लाख के दुर्विनियोग को नकारा नहीं जा सकता।
- दो<sup>52</sup> जाँचित गाँवों में, वी.डब्ल्यू.एस.सी. के द्वारा आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु चिन्हित किए गए 2,076 घरों के समक्ष 2,575 का निर्माण किया गया। इस प्रकार, अतिरिक्त 499 आई.एच.एच.एल. का निर्माण संदेहस्पद है जिसके लिए ₹ 59.88 लाख का वी.डब्ल्यू.एस.सी. को भुगतान किया गया। आगे, इन गाँवों में, 7,657 लाभार्थियों में से 851 को वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा बिना किसी सत्यापित पहचान पत्र जैसे - मतदाता कार्ड, आधार कार्ड संख्या, बी.पी.एल. संख्या इत्यादि के चयनित किया गया। वैध पहचान पत्र के बिना, इन 851 लाभार्थियों<sup>53</sup> के लिए आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु वी.डब्ल्यू.एस.सी. को ₹ 102.12 लाख के भुगतान की यथार्थता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।
- 1,755 बी.पी.एल. परिवारों को मुखिया तथा जल सहिया द्वारा लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया। जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. सूची की जाँच से यह उजागर हुआ कि वी.डब्ल्यू.एस.सी. को आई.एच.एच.एल. निर्माण की सूची में शामिल 95 लाभार्थियों के नाम जिला प्राधिकरण की बी.पी.एल. सूची में उसी बी.पी.एल. संख्या के लिए दिए गए नाम के साथ मेल नहीं खाते। आगे, वी.डब्ल्यू.एस.सी. की आई.एच.एच.एल. के निर्माण की सूची में दिए गए 585 बी.पी.एल. क्रमांक, बी.पी.एल. सूची में मौजूद नहीं है।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में तथ्यों को संज्ञान में लिया तथा बताया कि मामलों से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया था। हालाँकि, निधि के दुर्विनियोग पर, एन.एम.सी.जी. ने बताया किया कि यह आई.एच.एच.एल. के आवंटन से संबंधित नहीं था।

एन.एम.सी.जी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा वास्तव में निर्मित किए गए आई.एच.एच.एल. तथा लाभार्थियों की उपलब्ध संख्या में अंतर था।

<sup>51</sup> पश्चिमी प्राणपुर, अमानत दियाश, उत्तरी पालसगाची, मोकिमपुर, कसवा, बड़ा मदनसाही, फतेहपुर, छोटी कोदरजन्ना, बड़ी कोदरजन्ना, तथा मकमालपुर भाग

<sup>52</sup> पश्चिमी प्राणपुर, अमानत दियाश

<sup>53</sup> ₹ 12,000 प्रति आई.एच.एच.एल. की दर से

## 5.5 संयुक्त स्थल दौरों में आई.एच.एच.एल. की कार्य पद्धति तथा निर्माण में अनियमितताएँ

हमने ग्रामपंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंचायतों में संयुक्त स्थल दौरे का पालन किया। उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इन दौरों से उजागर हुआ कि ओ.डी.एफ. घोषित गाँवों में आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, बेकार जल की कोई उचित स्वच्छता उपलब्ध नहीं थी, लाभार्थी परिवारों द्वारा आई.एच.एच.एल. का प्रयोग न करना, कोई प्रशिक्षण/प्रचार न करना इत्यादि। लेखापरीक्षा जाँच परिणामों का विवरण निम्नलिखित है:-

**5.5.1 उत्तराखण्ड :-** संयुक्त स्थल दौरों (अप्रैल-जून 2017) ने उजागर किया कि ओ.डी.एफ. मुक्त घोषित 16 गाँवों<sup>54</sup> में सात जिलों<sup>55</sup> के 1,188 लाभार्थियों में से 44 लाभार्थियों का नाम पाँच जिलों की लाभार्थी सूची में दोहराया गया<sup>56</sup>। आगे, इन 44 लाभार्थियों<sup>57</sup>, में से दो राज्यों<sup>58</sup> के 12 लाभार्थियों को ₹ 1.40 लाख की राशि का दोहरा भुगतान किया गया। 41 लाभार्थियों ने अब तक भी आई.एच.एच.एल. का निर्माण शुरू नहीं किया था, जबकि 34 आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा होना अभी भी बाकी था। अतः आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों की संख्या केवल 1,068<sup>59</sup> थी।

**5.5.2 उत्तर प्रदेश:-** उत्तर प्रदेश के 11 जाँचित जिलों<sup>60</sup> में 22 जी.पी.<sup>61</sup> में आई.एच.एच.एल. के संयुक्त स्थल दौरों (मई-जून 2017) ने उजागर किया कि-

(क) इन ग्रामपंचायतों में कुल 11,993 घरों में से 9,288 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना था। हालाँकि, केवल 8,152 (88 प्रतिशत) आई.एच.एच.एल. निर्मित किए गए। इस प्रकार 12 प्रतिशत घरों में अभी भी आई.एच.एच.एल. नहीं था।

<sup>54</sup> बालेश्वर, श्रीकोट, चाका, केवर मल्ला, केवर तल्ला, रतनी, माला, पालेगाँव, बागी, किनसूर, पोकता, तैड़ी, झाला, बागोडी, बादशाहपुर तथा बीरपुरखुर्दा।

<sup>55</sup> तेहरी, रुद्रप्रयाग, चामोली, पोरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून

<sup>56</sup> 43 लाभार्थियों के नाम दो बार तथा एक का तीन बार

<sup>57</sup> पौड़ी गढ़वाल, नई तेहरी, हरिद्वार, चमोली तथा उत्तरकाशी

<sup>58</sup> उत्तर काशी तथा चमोली

<sup>59</sup> 1,188-[45+41+34]

<sup>60</sup> फर्रुखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, कासगंज, गाजीपुर, उन्नत तथा मीरूत

<sup>61</sup> दतयाना, खीलुल्लाहपुर, कठिनाई, शिल्पि, रामचंदीपुर, चंद्रावती, तिवारीपुर, मैनपुर, नगलागुसी, मकदूमपुर, इंदजाशानपुर,, शाहवाजपुर पुख्त, जमशेदपुर उर्फ लालापुर, दुबवाल, बद्रीपुर, चकनिरंजन

(ख) नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित 8,152 आई.एच.एच.एल. में से, केवल 7,041 (86 प्रतिशत) ही वास्तव में कार्यरत थे।

**5.5.3 बिहार:-** बिहार के पाँच जिलों<sup>62</sup> के 10 गाँवों<sup>63</sup> में आई.एच.एच.एल. के संयुक्त स्थल दौरे (मई-जून 2017) के जाँच-परिणामों ने खुलासा किया कि-

- (क) 381 आई.एच.एच.एल. जो लाभार्थियों हेतु निर्मित किए गए थे, में से केवल 208 आई.एच.एच.एल. (55 प्रतिशत) ही वास्तव में निर्मित किए गए थे। इनमें से 64 आई.एच.एच.एल. (31 प्रतिशत) परिवार के सभी सदस्यों द्वारा प्रयोग नहीं किए जा रहे थे।
- (ख) प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थियों को केवल आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा होने के बाद तथा 'वार्ड सभा' द्वारा ओ.डी.एफ. गाँव घोषित करने के बाद ही किया जाना था। हमने संयुक्त स्थल दौरे के दौरान अवलोकन किया कि तीन गाँवों<sup>64</sup> में 35 आई.एच.एच.एल. का निर्माणाधीन था, परन्तु 35 लाभार्थियों को ₹ 12,000 प्रत्येक की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया था।
- (ग) संयुक्त स्थल दौरे के दौरान, ओ.डी.एफ. घोषित गाँव बनवारी चक में कोई भी निर्मित आई.एच.एच.एल. नहीं मिला; जबकि दो ओ.डी.एफ. घोषित गाँवों खवसपुर खुर्द तथा मालकपुर में क्रमशः 20 तथा 33 प्रतिशत आई.एच.एच.एल. का निर्माण पाया गया।
- (घ) 381 जाँच परीक्षित लाभार्थियों में से, छह गाँवों<sup>65</sup> के 241 लाभार्थियों (63 प्रतिशत) को शौचालय के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

<sup>62</sup> पटना, मुन्गार, भगलपुर, सरन तथा बक्सर

<sup>63</sup> नकटा दियारा, सबलपुर, मिर्जापुर वरदा, शंकरपुर, मालकपुर, हेतानपुर, पानापुर, बनवारी चौक, खवसपुर खुर्द तथा अर्जुनपुर।

<sup>64</sup> शंकरपुर-नौ आई.एच.एच.एल., नालकपुर-18 आई.एच.एच.एल. तथा नकटा दियारा आठ आई.एच.एच.एल.

<sup>65</sup> सबलपुर, शंकरपुर, हेतानपुर, पानपुर, बनवारी चाक तथा खवसपुर खुर्द



**Plate 5.1: Non-functional toilet**  
GP-Datayana, KP- Jalilpur, Bijnor, Uttar Pradesh



**Plate 5.2: Non-functional toilet**  
GP-Kirachan, Block Rajepur, Farrukhabad,  
Uttar Pradesh

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन किया तथा कथित किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया।

## 5.6 ठोस तरल कचरा प्रबंधन

एस.बी.एम.(जी.) का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता तथा सामान्य जीवन गुणवत्ता में बेहतरी लाना है। ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम का मुख्य घटक है।

हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों के चिन्हित जिलों में एस.एल.डब्ल्यू.एम. गतिविधियों को नहीं किया गया। हालांकि, मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड 132 जी.पी. में से केवल दो में ही एस.एल.डब्ल्यू.एम. से संबंधित कार्य को पूरा कर सका तथा 11 जी.पी. में एस.एल.डब्ल्यू.एम. कार्य प्रगति पर था।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन किया तथा बताया किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया।

## 5.7 रिपोर्टिंग तथा निगरानी/जाँच विसंगतियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों अनुसार, निगरानी परिणाम को, ओ.डी.एफ. समुदायों के निर्माण में परिकल्पित शौचालय प्रयोग के अनुसार आंकना मुख्य केन्द्र-बिन्दु होगा। परिणाम की निगरानी, प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु खर्च तथा सृजित परिसंपत्तियों के अनुसार की जाएगी।

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने एस.बी.एम.(जी.) हेतु एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया है। देश ने सभी जी.पी. के स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित घरेलू स्तरीय आँकड़े राज्यों द्वारा एम.आई.एस. पर उपलब्ध कराए जाएँगे। राज्यों को मार्च-अप्रैल महीने में वर्ष

में एक बार आधारभूत सर्वेक्षण स्थिति को अध्ययन करने की अनुमति होगी। सभी एस.बी.एम.(जी.) परियोजना जिलों को इस ऑनलाइन एम.आई.एस के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबन्धित उनकी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। जी.पी. वार प्रत्येक माह हेतु भौतिक तथा वित्तीय प्रगति एस.बी.एम.(जी.) एम.आई.एस. में दर्ज की जानी है।

रिपोर्टिंग तथा निगरानी तंत्र में पाई गई असंगतियों की चर्चा नीचे दी गई है:-

### 5.7.1 अपर्याप्त आधारभूत सर्वेक्षण

एस.बी.एम दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार, सभी राज्यों को 30 जनवरी 2015 तक एम.आई.एस पर आधारभूत आँकड़े की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी थी। राज्यों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पर किसी भी परिवार की प्रविष्टि न करने पर वे एस.बी.एम.(जी.) के अंतर्गत निधि के हकदार नहीं होंगे। राज्यों को, आगामी वर्ष के दौरान जी.पी. में होने वाले बदलाव पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आधारभूत सर्वेक्षण आँकड़े (बी.एल.एस) अध्ययन किए जाने हैं। यह जी.पी. के पुनः सर्वेक्षण की परिकल्पना नहीं करता है, परन्तु केवल वृद्धिशील परिवर्तन जो आगामी वर्षों में जी.पी. में हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. बनाने के उद्देश्य के साथ बिना शौचालय वाले घर जिन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी थी, की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। हमारी जाँच ने पाया कि उत्तर प्रदेश के जी.पी. में बिना शौचालय वाले घरों की संख्या आधारभूत सर्वेक्षण में एम.आई.एस. में अल्प अंतराल<sup>66</sup> पर तेजी से संशोधित की जा रही थी, जो दिशानिर्देशों के प्रावधान का उल्लंघन था।

आगे संवीक्षा ने उजागर किया कि बी.एल.एस. रिपोर्ट के अनुसार (19 मई 2017) उत्तर प्रदेश के 11 जाँच परीक्षित जिलों<sup>67</sup> में से 10<sup>68</sup> को 23 जी.पी.<sup>69</sup> में 6,983 शौचालय अपेक्षित थे, हालाँकि इन 23 जी.पी. ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कुल 9,287 शौचालय निर्मित किए गए/निर्मित किए जा रहे थे। इस प्रकार, 2,302 शौचालय निर्मित/निर्माणाधीन थे, जो बी.एल.एस. रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक शौचालयों से अधिक

<sup>66</sup> 27 मार्च 2017 से मई 2017 तक तीन विभिन्न आँकड़े परिक्षित हुए। मार्च 2017:4,79,449, अप्रैल 2017:4,57202,मई 2017-4,42672

<sup>67</sup> फरुखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोनी, कासगंज, गाजीपुर, उन्नत तथा मीरूत।

<sup>68</sup> फरुखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोनी, कासगंज, गाजीपुर, तथा मीरूत।

<sup>69</sup> सुन्दरपुर, माहिगवा, हसौली काजीगंज, दुर्गापुर, सुनहउरा, बेहता, बिपउसी, खलीउल्लापुर, दारानगर, शाहपुर भलवा/निजामुद्दीनपुर, सुजाबाद, जमशेदपुर उर्फ लालापुर, जेरा, कल्कि मावाइया, ओसापुर, पुरावा, केदारपुर, बेरासपुर, चकनिरंजन, शाहवाजपुरफुटका, देवचंद्रपुर, मानपुर तथा जलालपुरजीरा।



थे। यह दर्शाता है कि बी.एल.एस रिपोर्ट ने बिना शौचालय वाले घरों का आंकलन वास्तविक नहीं था।

एन.एम.सी.जी. ने इस तथ्य को स्वीकार करते हे कथित (अगस्त 2017) किया कि इसका आधारभूत सर्वेक्षण के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। एन.एम.सी.जी. ने आगे बताया कि यह एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा विभिन्न गतिविधियों अर्थात आई.एच.एच.एल. के निर्माण, एस.एल.डब्ल्यू.एम.,आई.ई.एस. तथा प्रशासनिक खर्च हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के लिए बजटीय आंकलन अनुमोदित कर चुका था।

### 5.7.2 ग्राम पंचायतों के मूल अभिलेखों तथा एम.आई.एस. आँकड़ों के बीच विसंगतियाँ

उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के 12 जाँच परीक्षित जिलों<sup>70</sup> के अभिलेखों की जाँच ने जी.पी. द्वारा अनुरक्षण किए जा रहे मूल अभिलेखों तथा एम.आई.एस. के अंतर्गत सूचित आँकड़ों में विसंगतियों का खुलासा किया जैसा कि तालिका 5.6 में चर्चा की गई है।

### तालिका 5.6 जी.पी. के मूल अभिलेखों तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू. के एम.आई.एस. आँकड़ों में विसंगतियों का विवरण

राज्य	विसंगतियाँ
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>उत्तर प्रदेश के तीन<sup>71</sup> जिलों की छह<sup>72</sup> ग्राम पंचायतों में जी.पी. द्वारा प्रदत्त सूची तथा ऑनलाइन एम.आई.एस सूची में लाभार्थियों की संख्या में अंतर नोटिस किया गया</li> <li>उत्तर प्रदेश के जाँच-परीक्षित जिलों के 63 जी.पी. में, 211 लाभार्थी एम.आई.एस. सूची में दो बार आ रहे थे। यह दर्शाता है कि ऑनलाइन एम.आई.एस डाटा विश्वसनीय नहीं था।</li> </ul>
झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>झारखण्ड के छह नमूना गाँवों<sup>73</sup> के एम.आई.एस. डेटा में, सेम लाभार्थियों को 282 आई.एच.एच.एल. के बहू आंवटन का सुझाव देते हुए 258 लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. आवंटित किए गए। हालाँकि सूची में, प्रत्येक लाभार्थी को केवल एक आई.एच.एच.एल. प्रदान किया गया था।</li> <li>झारखण्ड के सात<sup>74</sup> जाँच परीक्षित गाँवों के 70 लाभार्थियों में से 49 का नाम निर्मित आई.एच.एच.एल. की लाभार्थी सूची में शामिल किया गया था</li> <li>5,340 आई.एच.एच.एल. निर्मित किए गए थे, फिर भी एम.आई.एस. में 3,153 आई.एच.एच.एल. को निर्मित के तौर पर सूचित किया गया</li> <li>70 लाभार्थियों में से 49 का नाम निर्मित आई.एच.एच.एल. की लाभार्थी सूची में शामिल किया गया</li> </ul>

<sup>70</sup> उत्तर प्रदेश (फरूखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, कासगंज, गाजीपुर, उन्नउ तथा मीरूत) तथा झारखण्ड (साहबगंज)

<sup>71</sup> गाजीपुर, मीरूत तथा कासगंज

<sup>72</sup> तिवारीपुर, खालिसपुर, दयोरिया, साधोपुर, मानपुर, महमूदपुर फुटका

<sup>73</sup> बड़ा मदानसी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसवा, फतेहपुर तथा मखमलपुर भाग

<sup>74</sup> बड़ा मदानसी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसना, फतेहपुर तथा बड़ा मदानसी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसवा, फतेहपुर, छोटी को दरजन्ना तथा मखमलपुर भाग



उपरोक्त अवलोकन निर्दिष्ट करते हैं कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा इसके ऑनलाइन एम.आई.एस. के जरिए सूचित किए गए लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ विश्वसनीय नहीं हैं।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया तथा कथित किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत करा दिया गया था।

### 5.8 निष्कर्ष

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी गंगा नदी बेसिन गाँवों को ओ.डी.एफ. बनाना था, जिसे बार-बार समयसीमा बढ़ाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध निधि को खर्च करने में लापरवाही की गई, क्योंकि ओ.डी.एफ. ग्रामों तथा आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अधिक आई.एच.एच.एल. का निर्माण तथा उन्ही/ समान लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. को बहु आवंटन के मामले भी पाए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल में ठोस तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य शुरू ही नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के अभिलेखों तथा एम.आई.एस. के अंतर्गत सूचित लक्ष्यों/उपलब्धियों के डेटा में विसंगतियाँ थीं।

### 5.9 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि

- (i) एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।
- (ii) एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक वास्तविक योजना, आँकड़ा प्रमाणिकता तथा कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।
- (iii) एन.एम.सी.जी. तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस., सभी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक भौतिक/वित्तीय रिपोर्ट की क्रास-चेकिंग द्वारा एम.आई.एस. के अंतर्गत सूचित आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं।



6  
अध्याय

# 6

## अध्याय

# वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव

### 6.1 प्रस्तावना

गंगा नदी कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और खतरे में पड़ी प्रजातियों<sup>75</sup> के साथ, खतरे में पड़ी और संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों<sup>76</sup> का घर है तथा 25,000 से अधिक फूलों और जीवजन्तु प्रजातियों को अषाय देती है। वन घाटियां विभिन्न उपयोगों और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए मीठे पानी का एक उच्च अनुपात प्रदान करती हैं। नदी तट के वन 'प्राकृतिक बफर्स' और 'जैविक फिल्टर' के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे नदी के गतिशील प्रवाह और इसकी पानी की गुणवत्ता के लिए पानी की शुद्धिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

नदी का प्रवाह नदियों में जैव विविधता के मुख्य चालकों में से एक है, और एक नदी के प्रवाह व्यवस्था वर्ष के दौरान उच्च और निम्न प्रवाह की विविधता के साथ ही वर्षों में भिन्नता अपने पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत प्रभाव डालती है।

एन.जी.आर.बी.ए. (2009) के उद्देश्यों में से एक नदी पारिस्थितिकी के लिए प्रासंगिक उपाय करना था। गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016) में इसे और अधिक जोर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि गंगा नदी को पारिस्थितिक रूप से स्थायी तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र में खो गई प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जन्म और रखरखाव किया जाएगा और गंगा नदी बेसिन में जलीय और तपेदिक जैव विविधता को पुनर्जन्मित और संरक्षित किया जाएगा।

यह अध्याय एन.एम.सी.जी. द्वारा वनस्पति, जीव, पारिस्थितिक प्रवाह और गंगा नदी के विशेष गुणों के संरक्षण के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है।

<sup>75</sup> गंगा डॉल्फिन, ऊदबिलावा, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, मगर या भारतीय मार्श मगरमच्छ, एस्डुअन मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय बटागुरुकुचुगण्ड सहित कम से कम 12 प्रजातियां ताजे पानी की कछुए सहित कई प्रजातियां जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय गंगा शार्क, गंगा स्टीगरे, महासेर, इल्सा और कई प्रजातियां स्थानिक मीठे पानी केकड़ों इसके अलावा, गंगा नदी बेसिन के पानी के पक्षियों और द्वीप घोंसले के शिकार पक्षियों का महत्वपूर्ण घटक है।

<sup>76</sup> ग्लेशियर, अल्पाइन घास का मैदान, विविध ऊपरी जंगल, तरई घास के मैदानों और दलदलों, नदी तट के जंगलों, मैंग्रोव्स आदि।

## 6.2 फ्लोरा, जीव और पारिस्थितिक प्रवाह के लिए परियोजनाएं

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 37.58 करोड़ की मंजूरी लागत के साथ वनस्पतियों, जीवों, पारिस्थितिक प्रवाह के रखरखाव और गंगा नदी के विशेष संपत्तियों के मूल्यांकन के संरक्षण के लिए छः परियोजनाओं (2015-16) को मंजूरी दी। विवरण तालिका 6.1 में दिए गए हैं।

**तालिका 6.1: वनस्पति, जीव और पारिस्थितिक प्रवाह के लिए परियोजनाओं का विवरण**

एजेंसियां	परियोजना	स्वीकृत लागत	जारी	(मार्च 2017) तक का व्यय	उपयोग (प्रतिशत में)
1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून	(1) गंगा के लिए वानिकी हस्तक्षेप (सितम्बर 2015)	1.18	1.18	1.19	100
2. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.), देहरादून	(2) जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प भाग-I जून 2016 (3) जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प भाग-II (सितम्बर 2016)	24.84	10.23	1.91	19
3. केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एफ.आर. आई), कोलकाता	(4) उचित संरक्षण और बहाली योजना के विकास के लिए गंगा नदी प्रणाली की मछली और मत्स्य पालन का आकलन (जुलाई 2015)	5.80	2.36	0.41	17
4. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान	(5) गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए जल	5.00	4.50	3.75	83

(एन.ई.ई.आर. आई.), नागपुर	गुणवत्ता और तलछट विश्लेषण का आकलन (मार्च 2015)				
5. राज्य वन विभाग (एस.एफ.डी.), बिहार	(6) राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वे (नवंबर 2015) <sup>77</sup>	0.76	0	0	0

डब्ल्यू.आई.आई. और सी.आई.एफ.आर.आई. द्वारा किए गए परियोजनाओं के मामले में फंड की उपयोगिता की सीमा कम थी, जो क्रमशः 19 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी। पांच परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

### 6.3 गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.)

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 1.18 करोड़ के परिव्यय पर फरवरी 2015 में “गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.)” की डी.पी.आर तैयारी के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) को एक परियोजना की मंजूरी दी। एफ.आर.आई. को वन जलग्रहण क्षेत्र के उत्थान/सुधार के लिए संभावनाओं को पहचानना और उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों के माध्यम से इसका उपचार करना था। एफ.आर.आई. ने डी.पी.आर. को तैयार कर (मार्च 2016) को एफ.आई.जी. को जमा किया।

एन.एम.सी.जी ने एफ.आई.जी. के लिए एफ.आर.आई. द्वारा तैयार डी.पी.आर को (मार्च 2016) में मंजूरी दी, जिसमें चार घटक - प्राकृतिक भूदृश्य निर्माण, कृषि भूदृश्य निर्माण, शहरी भूदृश्य निर्माण शामिल है, और पांच मुख्य गंगा स्टेम राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन के लिए संरक्षण गतिविधियां, चरण-1 के तहत (2016-21) शामिल हैं।

हमने एन.एम.सी.जी. द्वारा निष्पादित घटकों के कार्यन्वयन में निम्नलिखित को देखा:

#### 6.3.1 राष्ट्रीय परियोजना सुविधा यूनिट की गैर-स्थापना

एफ.आर.आई. को दी गयी परियोजना ने नदी के मैदानों के संरक्षण के लिए ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के भागीदार संगठन के रूप

<sup>77</sup> एन.एम.सी.जी. द्वारा ऑडिट को प्रदान किए गए परियोजनाओं की सूची में परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, एस.पी.एम.जी., बिहार के ऑडिट के दौरान, स्थिति का पता लगाया गया था। समूह सचिवों (2014) द्वारा प्रस्तुत गंगा पुनर्जीवन के लिए योजना में भी यह पाया गया था।

में कार्य करने के लिए नेशनल परियोजना सुविधा यूनिट की (एन.पी.एफ.यू.) स्थापना करने की भी परिकल्पना की। हालांकि, एफ.आर.आई. द्वारा किए गए प्रस्ताव के बावजूद एन.पी.एफ.यू. स्थापित नहीं किया गया था। जुलाई 2017 तक प्रस्ताव के संबंध में एन.एम.सी.जी. ने अभी तक इसकी पुष्टि और संवाद नहीं किया था।

एन.एम.सी.जी. (अगस्त 2017) ने लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

### 6.3.2 गंगा के अन्य सहायक नदियों पर योजना का गैर-प्रतिकृति

कार्यान्वयन योजना के निष्पादन के तीसरे वर्ष के अंत से गंगा की सहायक नदियों पर योजना (एफ.आई.जी.) को दोहराया जाना था। हालांकि, एन.एम.सी.जी. ने अतिरिक्त साइटों राज्यों में/योजनाबद्ध प्रयासों की प्रतिकृति और स्केलिंग के लिए कोई भी योजना आरंभ नहीं की। यद्यपि एन.एम.सी.जी. ने (जुलाई 2015) “यमुना के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.वाई.)” के डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए एफ.आर.आई. से अनुरोध किया था, एन.एम.सी.जी. ने एफ.आर.आई. को काम नहीं दिया।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई 2017) कि धन की अनुपलब्धता के कारण; यह कार्यक्रम को लागू नहीं कर सका और क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के माध्यम से धन आवंटन के लिए एम.ओ.ई.एफ. & सी.सी. से अनुरोध किया। हालांकि, अगस्त 2017 तक एम.ओ.ई.एफ.&सी.सी. द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी।

यह उल्लेखनीय है कि 2015-16 और 2016-17 के अंत में एन.एम.सी.जी. के पास अधिशेष फंड उपलब्ध थे, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.1 में दर्शाया गया है।

### 6.3.3 परियोजना संचालन समिति की भूमिका

एन.एम.सी.जी. ने डी.पी.आर. के क्रियान्वयन की निगरानी और संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर (अगस्त 2016) प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी (पी.एस.सी.) का गठन किया। हालांकि, बैठक का विवरण लेखापरीक्षा में नहीं दिया गया था।

डी.पी.आर. की अपर्याप्त कवरेज, राष्ट्रीय परियोजना सुविधा यूनिट की गैर-स्थापना, गंगा के अन्य सहायक नदियों पर योजना का गैरप्रतिकृति, परियोजना संचालन समिति की भूमिका के बारे में एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि यह अनुमोदित जैव विविधता घटक में उपयुक्त फंड की गैर उपलब्धता की वजह से था।

### 6.3.4 राज्यों द्वारा वनीकरण परियोजनाएँ

एफ.आई.जी. के डी.पी.आर. के अनुसार, वानिकी प्रबंधन, पांच राज्यों के राज्य वन विभाग (एस.एफ.डी.एस.) द्वारा किए जाने थे जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में वानिकी प्रबंधन को पूरा करने के लिए हमने निम्न को देखा:-

#### 6.3.4.1 निधि का गैर उपयोग और काम की धीमी गति से प्रगति

एन.एम.जी.जी. ने पांच राज्यों को ₹ 50.63 करोड़ (अनुमानित लागत का 2.21 प्रतिशत) की मंजूरी दी (जुलाई और सितम्बर 2016) और मार्च 2017 तक ₹ 30.79 करोड़ (61 प्रतिशत) का खर्च किया गया और एन.एम.सी.जी. द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी के कारण ₹ 9.71 करोड़ (24 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा। राज्यवार की बचत 11 प्रतिशत (झारखंड) से लेकर 48 प्रतिशत (पश्चिम बंगाल) तक थी। बिहार में ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था।

परियोजना अनुसूची पैरा 19 (डी.पी.आर., वॉल्यूम-1) के अनुसार, एस.एफ.डी. को सफल वृक्षारोपण कार्य के लिए आगामी मानसून के मौसम में प्रारंभिक और वास्तविक बागान गतिविधियों की शुरुआत को सुनिश्चित करना था। डी.पी.आर. के अनुसार, गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.) (चरण-1) को ₹ 2,293.73 करोड़ के अनुमानित लागत पर लागू किया गया था।

राज्य-वार टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- क. बिहार को छोड़कर सभी राज्यों ने अग्रिम कार्यों को पूरा नहीं किया और वृक्षारोपण में कमी की सूचना दी।
- ख. झारखंड में, अग्रिम कार्य का 49 प्रतिशत (355 हेक्टेयर में से 174) पूरा हो गया था।
- ग. उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) में, बागान के काम की प्रगति केवल 67 प्रतिशत थी।
- घ. उत्तराखंड में, कोई रोपण नहीं किया गया और उन्नत काम की प्रगति 97 प्रतिशत थी।

मंजूरी में विलंब के कारण (मानसून सीजन के दौरान), एस.एफ.डी.एस. उसी वर्ष पेड़ों के वृक्षारोपण का काम पूरा नहीं कर सका क्योंकि मानसून मौसम से पहले गड़दों की खुदाई जैसे अग्रिम कार्यों को समय पर वृक्षारोपण को सक्षम करने के लिए पूरा नहीं किया गया था।

### 6.3.4.2 अपर्याप्त कवरेज

डी.पी.आर. के मुताबिक, एफ.आई.जी में (i) प्राकृतिक, (ii) कृषि और (iii) शहरी भूदृश्य और (iv) संरक्षण गतिविधियां थीं। राज्यों में पहचानित जिलों/डिवीजनों में औषधीय और स्थानीय/उचित प्रजातियां लगाई जानी थीं। राज्यवार टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

- क. उत्तराखंड के नौ डिवीजनों<sup>78</sup> में एफ.आई.जी. के लिए संरक्षण, हस्तक्षेप की कोई योजना नहीं थी।
- ख. बिहार और झारखंड में, कृषि और शहरी लैंडस्केप के लिए हस्तक्षेप नहीं किए गए थे।
- ग. बिहार में, संरक्षण और समर्थन गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था।
- घ. उत्तराखंड में प्राकृतिक परिदृश्य, कृषि परिदृश्य शहरी भूदृश्य और संरक्षण के हस्तक्षेप में कमी क्रमशः 57 प्रतिशत (21 प्रभागों में से 12), 54 प्रतिशत (13 प्रभागों में से सात), 71 प्रतिशत (14 प्रभागों में से 10) और 42 प्रतिशत (12 प्रभागों में से पांच) थी।
- ड. उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में केवल पांच<sup>79</sup> (21 पौधों में से) प्रजातियों में और वाराणसी में केवल दो<sup>80</sup> (आठ पौधों में से) प्रजातियों को डी.पी.आर. में निर्दिष्ट प्रजातियों (12 नंबर) के अनुसार लगाया गया था।

हमने पाया कि लक्ष्य की कम उपलब्धि वास्तव में डिवीजनों को धन को देरी से जारी करने का एक परिणाम था।

## 6.4 जीवों का संरक्षण

एन.एम.सी.जी. ने गंगा नदी के लिए बहु-हितधारकों को शामिल करते हुए विभिन्न घटकों वाला विज्ञान आधारित जलीय प्रजातियों की पुनर्बहाली योजना विकसित करने हेतु “जैव विविधता संरक्षण और गंगा पुनरुद्धार” के लिए दो परियोजनाओं, कुल लागत ₹ 24.84 करोड़ पर भारत के वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.), देहरादून को क्रमशः जून 2016 और सितम्बर 2016 में प्रत्येक को तीन साल तक के लिए मंजूरी दी।

- डब्ल्यू.आई.आई. ने क्रमशः दिसम्बर 2016 और मार्च 2017 के अंत तक परियोजना के भाग 1<sup>81</sup> और भाग 2<sup>82</sup> के तहत 26<sup>83</sup> और 70<sup>84</sup> परियोजना कर्मियों को

<sup>78</sup> अलकनंदा मृदा संरक्षण; गोपेश्वर मृदा संरक्षण; सिविल सोयाम और गढ़वाल वन प्रभाग; पौड़ी; मसूरी; देहरादून; नरेंद्र नगर; गंगोत्री नेशनल पार्क; और उत्तरकाशी वन विभाग।

<sup>79</sup> साइजीगियमकुमिनी, अजादिराचलेनडिका, डाल्बर्गियासिसोओ, फिक्स्सेरिलीगियो और देलोनिकसरीजिया।

<sup>80</sup> स्वाएटेआमाहग्नी और देलोनिकसरीजिया।



नियुक्त करना था। हालांकि, डब्ल्यू.आई.आई. ने दो परियोजना वैज्ञानिकों, 10 प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, 16 प्रोजेक्ट फेलो, एक डाटाबेस ऑपरेटर, पांच परियोजना सहायक और चार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कार्मिक यानि 38 कर्मचारियों को काम में लगाया और बाकी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी थी।

- परियोजना के पहले वर्ष के पहले छमाही में डब्ल्यू.आई.आई. को हितधारक विश्लेषण करना था। हालांकि, डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा परामर्श केवल उत्तर प्रदेश में (जून-दिसंबर 2016) आयोजित किए गए थे।

एन.एम.सी.जी. ने तथ्य (अगस्त 2017) को स्वीकार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हितधारक परामर्श शुरू किया गया है।

- हमने देखा कि डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा पहल करने वाली टीम के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने में विलंब हुआ और पहले वर्ष के पहले छमाही के भीतर पाठ्यक्रम को मान्य और कार्यान्वित नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि लखनऊ और मेरठ को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोई प्रशिक्षण नहीं आयोजित किया गया था। डब्ल्यू.आई.आई. ने कहा (अप्रैल 2017) कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया जून-जुलाई 2017 से प्रभावी शुरू की जाएगी।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि भविष्य में परियोजना गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पहल करने वाली टीम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए बनाई गई है। एक बार अन्य राज्यों से संचार प्राप्त हो जाने के बाद, आगे के मानसून के बाद एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

## 6.5 पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव

अविरल धारा या निरंतर प्रवाह<sup>85</sup> गंगा नदी की पौष्टिकता का बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना ने (2009) “पानी की गुणवत्ता और प्रयावरण

<sup>81</sup> एक्वा जीवन संरक्षण निगरानी केंद्र क्षमता निर्माण और बचाव और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना

<sup>82</sup> जलीय प्रजातियों की बहाली, समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रकृति व्याख्या और शिक्षा की योजना बनाना

<sup>83</sup> एक परियोजना वैज्ञानिक, दो परियोजना सहयोगी, एक बचाव और पुनर्वास अधिकारी, छह परियोजना फेलो और अन्य स्टाफ

<sup>84</sup> तीन परियोजना वैज्ञानिक, नौ परियोजना सहयोगी, परियोजना 15 फेलो और अन्य स्टाफ

<sup>85</sup> पानी का प्रवाह अर्थात्, तलछट,-पोषक तत्वों और प्रवाह के अन्य प्राकृतिक घटकों के साथ - गंगा नदी के नेटवर्क में निरंतर और पर्याप्त है। अविरल धारा को बनाए रखने के लिए दोनों अनुदैर्घ्य संपर्क और नदियों में पर्याप्त प्रवाह आवश्यक हैं।

की दृष्टि से स्थायी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने" लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार, गंगा नदी में पारिस्थितिक प्रवाह<sup>86</sup> को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है ताकि, इसकी पारिस्थितिक अखंडता को बहाल कर ले के लिए पूरी लंबाई में निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके जिससे वह स्वयं को रिजुविनेट करने में सक्षम बन सके। इसमें जोर दिया गया है कि हर राज्य सरकार पानी का पर्याप्त प्रवाह बने रखने का प्रयास करेगी और सभी संबंधित प्राधिकारी समयबद्ध तरीके से उचित कार्यवाही करेंगे।

एन.एम.सी.जी. ने इंजीनियर मोड़ या भंडारण के कारण जल प्रवाह की असंतुलन के स्थानों की पहचान नहीं की और इसके किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने गंगा नदी के लिए विभिन्न बिंदुओं पर पारिस्थितिक - प्रवाह के परिमाण का निर्धारण नहीं किया। इसने पारिस्थितिक प्रवाह और पानी की गुणवत्ता के बीच संबंधों का आकलन भी नहीं किया। यह केन्द्रीय जल आयोग से 2015-17 की अवधि के लिए विभिन्न मौसमों के दौरान प्रवाह पर डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया में था।

इस प्रकार एन.एम.सी.जी. ने न तो विभिन्न बिंदुओं पर पारिस्थितिक प्रवाह के निर्धारण के लिए मानकों को तैयार किया और न ही प्रवाह को प्रभावित करने वाले विशेष बाधाओं की पहचान की।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि पारिस्थितिक प्रवाह के परिमाण की मात्रा का ठहराव एक जटिल मुद्दा है जो पूरे गंगा बेसिन में सिंचाई, औद्योगिक, बिजली और सामाजिक क्षेत्र से लेकर कई प्रतिस्पर्धी हितधारकों पर बहु आयामी प्रभाव डालता है। सभी हितधारकों के संदर्भ में उचित/तर्कसंगत पर्यावरण प्रवाह को अंतिम रूप देना और साथ ही नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के द्वारा प्रदूषण को दूर करने के लिए संबोधित करना सभी राज्यों और हितधारकों के साथ व्यापक आधार पर परामर्श की आवश्यकता है।

जबकि हम मानते हैं कि पारिस्थिक प्रवाह परिमाण एक जटिल कार्य है, तदनुसार उचित रणनीतियों को अपनाने के लिए समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, एन.एम.सी.जी. ने न तो पारिस्थितिकीय प्रवाह निर्धारित किया है और न ही सुधारात्मक

<sup>86</sup> नदी के प्रवाह की प्राकृतिक पद्धति की नकल करने वाली एक नदी में प्रवाह का एक नियम है, जिससे नदी कम से कम प्राकृतिक कार्य जैसे कि पानी के परिवहन और उसके परिवेश से प्राप्त ठोस और इसकी संरचनात्मक अखंडता, कार्यात्मक एकता रखना और लोगों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आजीविका गतिविधियों को बनाए रखने के साथ साथ जैव विविधता को अपना सकती हैं।

कार्यों की शुरुआत के लिए कारणों से जल प्रवाह की असंतुलन के स्थानों की पहचान भी नहीं की।

## 6.6 गंगा नदी के विशेष गुण

एन.एम.सी.जी. ने (मार्च 2015) 15 महीनों के निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए “गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए जल गुणवत्ता और तलछट विश्लेषण का आकलन” के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर को पांच करोड़ रुपये मंजूर किए।

एन.ई.ई.आर.आई. को हर तिमाही के पांचवें दिन तक एन.एम.सी.जी. को त्रैमासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.पी.आर.) जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, एन.ई.ई.आर.आई. ने कोई भी क्यू.पी.पी.आर. जमा नहीं किया था। क्यू.पी.पी.आर. की अनुपस्थिति में परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए एन.एम.सी.जी. के पास कोई तंत्र नहीं था। एन.ई.ई.आर.आई. ने (मई 2017) कहा कि ठोस परिणाम पाने के लिए, क्षेत्रीय यात्रा, पानी के नमूनों का संग्रह, पानी के नमूने का विश्लेषण, डेटा विश्लेषण और व्याख्या की तैयारी के लिए काफी समय की आवश्यकता थी।

एन.एम.सी.जी. (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमत था।

इसके अलावा, एन.ई.ई.आर.आई. को गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अलग से रूपरेखा विकसित करना था। हालांकि एन.ई.ई.आर.आई. ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विशिष्ट सिफिरिशों की, लेकिन इनसे किसी अलग ढांचा का खुलासा नहीं हुआ।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एन.ई.ई.आर.आई. ने हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सी.डब्ल्यू.सी. के आधार पर टिप्पणी की गई है कि ढांचे को अद्यतन किया गया है। एन.ई.ई.आर.आई. अभी भी सी.पी.सी.बी. और अन्य संगठनों से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी संगठनों से प्रतिक्रिया मिलने पर रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा और तदनुसार रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

जबकि हम इस उत्तर से सहमत हैं कि सभी हितधारकों को गंगा पुनरुत्थान ढांचा में शामिल होना चाहिए, एन.ई.ई.आर.आई. और एन.एम.सी.जी. को परियोजना के पूरा होने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए और तदनुसार इसकी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए।

## 6.7 निष्कर्ष

प्रदूषण की कमी और नदी के अग्रभाग के विकास के लिए परियोजनाओं की तुलना में वनस्पति, जीव और नदी के प्रवाह के संरक्षण के लिए परियोजनाओं की संख्या बहुत सीमित थी। गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना के आधार पर गंगा पुनरुद्धार के लिए दीर्घावधि कार्य योजना का अभी तक अंतिम रूप दिया जाना था। जैसे की, एन.एम.सी.जी. के पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों की शुरुआत बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी और यह कार्यक्रम क्रियान्वयन में कमी को फैल कर रहा है। वनों के प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जमीन पर कवरेज और पारिस्थितिक प्रवाह के रखरखाव के अध्ययन के लिए किसी भी परियोजना की मंजूरी के लिए कम धन देना थी।

## 6.8 अनुशंसाएँ

हम यह अनुशंसा करते हैं कि

- (i) एन.एम.सी.जी. गंगा नदी पारिस्थितिकी को बनाए रखने और टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं से खतरों की पहचान कर सकता है।
- (ii) एन.एम.सी.जी. अभियांत्रिकी परिवर्तन या भंडारण के कारण गंगा जल नदी के प्रवाह की असंततता की पहचान करके अविरल धारा के मामले को प्राथमिकता दे सकता है ताकि पारिस्थितिक प्रवाह को निर्धारित और बनाए रखा जा सके।



7  
अध्याय

### 7.1 परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी के पुर्नउद्धार हेतु केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना की। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) एक क्रियान्वयन अभिकरण है। चार राज्यों (बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एस.पी.एम.जी.एस) है। झारखण्ड में राज्य शहरी विकास विभाग में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु एक नोडल सेल है। आगे, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) प्रदूषण के उन्मूलन हेतु अधिनियमों तथा नियमों का प्रवर्तन करते हैं।

एन.एम.सी.जी., महानिदेशक के अधीन है जिन्हें उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) तथा कार्यकारी निदेशकों (ई.डी.) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्तमान संगठनात्मक ढाँचा चार्ट 7.1 में दिया गया है।

चार्ट 7.1 : एन.एम.सी.जी. का संगठनात्मक ढाँचा



यह अध्याय एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी., सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में श्रमशक्ति की कमी तथा स्टाफ से संबंधी मुद्दों से संबंधित है। लेखापरीक्षा जाँच परिणाम की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

### 7.2 मानव संसाधनों की कमी

#### 7.2.1 एन.एम.सी.जी. में अपर्याप्तता

नमामि गंगे पर ई.एफ.सी. जापन में, एन.एम.सी.जी. ने संस्वीकृत 58 पदों से 111 की वृद्धि परिकल्पित की। मंत्रिमंडल के (मई 2015) अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सुदृढीकरण तथा क्षमता वृद्धि का पालन किया जाना था।

2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में मानव संसाधनों का वर्गवार विवरण तालिका 7.1 में दिखाया गया है:-

**तालिका 7.1: 2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में वर्गवार संस्वीकृत संख्या तथा व्यक्तियों की स्थिति**

वर्ग	31.03.2014				30.03.2015				31.03.2016				31.03.2017			
	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)
तकनीकी	23	7	16	70	23	7	16	70	23	6	17	74	23	12+2*	9	39
प्रशासनिक	29	9	20	69	29	9	20	69	29	12	17	59	29	10+4**	15	52
सहायक	5	5	0	0	5	4	1	20	5	3	2	40	5	4	1	20
कुल	57	21	36	63	57	20	37	65	57	21	36	63	57	32	25	44

स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

\*ई.डी. (परियोजना), ई.डी. (तकनीकी)

\*\*डी.जी., डी.डी.जी., ई.डी. (प्रशासन) तथा ई.डी. (वित्त)

तालिका 7.1 दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 44 प्रतिशत से 65 प्रतिशत की कुल कमी रही। तकनीकी वर्ग के अंतर्गत 39 से 74 प्रतिशत की कमी थी।

एन.एम.सी.जी. में 16 सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, जो कि प्रति नियुक्ति पर हैं, सभी पदों पर संविदात्मक कर्मचारी कार्यरत हैं। आगे, एन.एम.सी.जी. ने संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) में सहमति दी तथा सूचित किया कि 14 पदों के संचालन हेतु अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रिया में है। आगे, एन.एम.सी.जी. ने कहा कि 18 तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के द्वारा कमी की क्षतिपूर्ति की गई है।

तथ्य यह है कि एन.एम.सी.जी. हेतु समर्पित मानव संसाधन नहीं था तथा 2014-15 से 2016-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में सभी स्तरों पर सतत कमी रही।

### 7.2.2 एस.पी.एम.जी. में अपर्याप्ता

समग्र संस्वीकृत संख्या की तुलना में व्यक्तियों की स्थिति तालिका 7.2 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 7.2: 2014-17 के दौरान राज्य वार एस.पी.एम.जी. की संस्वीकृत संख्या एवं व्यक्तियों की स्थिति

वर्ग		बिहार			झारखण्ड			उत्तर प्रदेश			उत्तराखण्ड			पश्चिम बंगाल			कुल		
		टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस
31.03.2014	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	24	3	10	6	7	6	4	6	3	70	20	31
	पी.आई.पी.	0	2	0	0	2	5	2	2	3	4	3	5	2	4	1	8	13	14
	बी.	28	0	4	8	0	3	22	1	7	2	4	1	2	2	2	62	7	17
<b>कमी (प्रतिशत)</b>																<b>89</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	
31.03.2015	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	2	4	9	3	14	3	4	4	2	4	2	18	15	27
	बी.	25	0	1	7	0	4	18	0	0	2	4	2	2	2	1	54	6	8
<b>कमी (प्रतिशत)</b>																<b>75</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	
31.03.2016	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	2	4	9	3	14	4	5	5	2	4	2	19	16	28
	बी.	25	0	1	7	0	4	18	0	0	1	3	1	2	2	1	53	5	7
<b>कमी (प्रतिशत)</b>																<b>74</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	
31.03.2017	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	1	4	6	3	14	4	4	5	3	4	2	17	14	28
	बी.	25	0	1	7	1	4	21	0	0	1	4	1	1	2	1	55	7	7
<b>कमी (प्रतिशत)</b>																<b>76</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	

टी = तकनीकी/विशेषज्ञ; ए = प्रशासनिक; एस = सहायक स्टाफ

एस.एस. = संस्वीकृत संख्या; पी.आई.पी. = व्यक्तियों की स्थिति; बी = रिक्त

स्रोत: एस.पी.एम.जी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 7.2 दर्शाती है कि तकनीकी/विशेषज्ञों, प्रशासनिक तथा सहायक स्टाफ के वर्गों के अंतर्गत समग्र कमी क्रमशः 74 से 89, 24 से 35 तथा 22 से 55 प्रतिशत की रेंज में थी। तकनीकी/विशेषज्ञों की राज्यवार रिक्तियाँ 20 से 100 प्रतिशत थी। बिहार में, 2014-17 के दौरान 25 से 28 (89 से 100 प्रतिशत) संख्या में तकनीकी पद रिक्त पड़े रहे।

स्टाफ की कमी की वजह से, एस.पी.एम.जी., परियोजना नियोजन, निधि का आंकलन तथा निगरानी हेतु काफी हद तक कार्यान्वयन अभिकरणों पर निर्भर थे जिससे इसके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे, एन.एम.सी.जी. ने एस.पी.एम.जी. के मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु किसी भी प्रस्ताव की पहल नहीं की।



एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एस.पी.एम.जी. के संवर्ग वृद्धि और आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि एस.पी.एम.जी. को आवंटित काफी पद रिक्त रहे।

एन.एम.सी.जी. को रिक्त पदों को भरने हेतु एस.पी.एम.जी. के साथ अविलम्ब समन्वय की आवश्यकता है।

### 7.2.3 सी.पी.सी.बी. में अपर्याप्तता

सी.पी.सी.बी. में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक संवर्गों में स्टाफ की कमी थी। मार्च 2017 को 15 प्रतिशत वैज्ञानिक पद, 35 प्रतिशत तकनीकी पद रिक्त रहे जैसा कि तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.3: 2014-17 के दौरान सी.पी.सी.बी. की वर्गवार संस्वीकृत संख्या तथा व्यक्तियों की स्थिति**

संवर्ग	2014-15			2015-16			2016-17		
	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.
वैज्ञानिक	290	244	46	286	244	42	286	242	44
तकनीकी	45	27	18	45	28	17	43	28	15
प्रशासनिक	160	119	41	160	120	40	160	115	45
सहायक	44	43	1	44	42	2	44	41	3

एस.एस. = संस्वीकृत संख्या; पी.आई.पी. = व्यक्तियों की स्थिति; वी = रिक्त

स्रोत: सी.पी.सी.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

### 7.2.4 एस.पी.सी.बी. में अपर्याप्तता

2014-17 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कमियाँ नीचे दी गई हैं:-

- (क) **बिहार:** जून 2017 को कुल 76 प्रतिशत पद रिक्त थे।
- (ख) **झारखण्ड:** पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, नमूना संग्राहक इत्यादि के 271 पदों में से, मार्च 2017 को 198 (73 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे।
- (ग) **उत्तराखण्ड:** सभी वर्गों में स्टाफ की कमी थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी संवर्गों में 56 से 71 प्रतिशत की रेंज में कमी थी।

(घ) उत्तर प्रदेश: वैज्ञानिक तथा तकनीकी संवर्गों के 397 पदों<sup>87</sup> में से, 101 पदों<sup>88</sup> (25 प्रतिशत) मार्च 2017 को रिक्त पड़े थे।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि सी.पी.सी.बी. तथा एस.पी.सी.बी. में मानव संसाधनों में कमी थी।

### 7.3 स्टाफ नियुक्ति में अनियमितताएँ

एन.एम.सी.जी. के उप नियमों के अनुसार (जुलाई 2011) पदों को नियुक्ति व्यक्तियों द्वारा या जो कि प्रतिनियुक्ति या अनुबंध आधार पर भरा जाना था तथा स्टाफ के सेवा नियमों को शासकीय परिषद् (जी.सी.) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। महानिदेशक, एन.एम.सी.जी. द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं हेतु स्टाफ की नियुक्ति कर सकते थे। तथापि, एन.एम.सी.जी. में पदों के सृजन हेतु शासकीय परिषद् तथा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि एन.एम.सी.जी. ने जी.सी. की अनुमति प्राप्त किए बिना, 14<sup>89</sup> सलाहकारों, चार<sup>90</sup> परियोजना अधिकारियों तथा दो<sup>91</sup> अनुसंधान अधिकारियों को अनुबंधात्मक आधार पर नियुक्त किया। एन.एम.सी.जी. ने भर्ती नियमों को तैयार नहीं किया। आगे, एन.एम.सी.जी. द्वारा विभिन्न पदों (वर्ग ए, बी, सी, डी तथा ई) हेतु योग्यता मानदण्ड तथा निर्धारित समेकित प्रति माह पैकेज जी.सी. तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कराये गए।

अतः एन.एम.सी.जी. द्वारा स्टाफ की नियुक्ति हेतु उपनियमों की अवज्ञा की गई।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि यह एक अस्थायी निकाय है जिसमें भर्ती आवश्यकता आधार पर की जाती है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्टाफ की नियुक्ति हेतु एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.सी. तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

<sup>87</sup> 139 वैज्ञानिक तथा 258 तकनीकी पद

<sup>88</sup> 29 वैज्ञानिक तथा 72 तकनीकी पद

<sup>89</sup> एक नवम्बर 2011 में, एक मई 2012 में, चार 2014 में, दो 2014-15 में, पाँच 2016 में तथा एक 2017 में

<sup>90</sup> अक्टूबर, नवम्बर 2016

<sup>91</sup> सितम्बर 2014

### 7.3.1 अनुचित वेतन संरचना तथा भुगतान

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के आदेशानुसार (अक्टूबर 1984), वेतनमान, भत्तों के अभिग्रहण और इनके पुनरीक्षण तथा स्वायत्त निकायों में वित्त मंत्रालय के सलाह के साथ भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।

एन.एम.सी.जी. ने भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों तथा सोसाइटी के समान रोजगार ढाँचे का अनुपालन किए बिना विभिन्न पदों<sup>92</sup> जैसे बी, सी, डी तथा ई को अभिग्रहित तथा वेतनमान को अनुमोदित किया, जैसा कि तालिका 7.4 में विस्तृत है:-

**तालिका 7.4: एन.एम.सी.जी. तथा भारत सरकार के वेतनमान की तुलना**

एन.एम.सी.जी. में समूह	एन.एम.सी.जी. द्वारा अपनाया गया पारिश्रमिक (लाख में)	भारत सरकार वेतनमान (₹)
बी - वरिष्ठ विशेषज्ञ	1.50 से 2.00	पी.बी-4: 37,400-67,000 (ग्रेड पे 8,700 से 10,000)
सी - विशेषज्ञ	1.00 से 1.50	पी.बी-3: 15,600-39,100 (ग्रेड पे 5,400 से 7,600)
डी - सहायक	0.75 से 1.00	पी.बी-2: 9,300-34,800 (ग्रेड पे 4,200 से 5,400)
ई - सहायक स्टाफ	0.25 से 0.50	पी.बी-1: 5,200-20,200 (ग्रेड पे 1,800 से 2,800)

एन.एम.सी.जी. ने भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित वेतनमानों से ज्यादा प्रतिमाह माह समेकित पैकेजों को अपनाया।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एन.एम.सी.जी. के वेतनमान विश्व बैंक द्वारा परिभाषित थे, क्योंकि उपरोक्त स्थितियाँ एन.जी.आर.बी.ए. को विश्व बैंक सहायता हेतु मंत्रिमंडल नोट (अप्रैल 2011) के द्वारा सृजित की गई थी।

मंत्रिमंडल नोट (अप्रैल 2011) बिना वेतनमान के एन.एम.सी.जी. हेतु केवल पदों के बारे में अनुबंधित करता है। एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि वेतनमान के पुनरीक्षण के मुद्दे की देय अवधि में जाँच की जाएगी।

<sup>92</sup> समूह बी (वरिष्ठ विशेषज्ञ) ₹ 1.50 लाख से ₹ दो लाख, समूह सी (विशेषज्ञ) ₹ एक लाख से ₹ 1.5 लाख, समूह डी (सहायक) ₹ 75 हजार से ₹ एक लाख, समूह ई (सहायक स्टाफ) ₹ 25 हजार से ₹ 50 हजार

#### 7.4 निष्कर्ष

गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत गंगा जीर्णोद्धार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सृजित संगठनात्मक ढाँचे में एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. तथा सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. ने मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा।

#### 7.5 अनुशंसा

हम अनुशंसा करते हैं कि

- (i) एन.एम.सी.जी. रिक्तियों को भरने हेतु एन.एम.सी.जी. तथा एस.पी.एम.जी. दोनों स्तरों पर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भर्ती नियम तैयार तथा संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।



8  
अध्याय

### 8.1 परिचय

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय (न्यायालय) में दायर रीट याचिका संख्या 2015 के 140 (ललित मीगलानी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य) में, याचिकाकर्ता ने गंगा नदी के प्रदूषण पर प्रकाश डाला था। याचिका में किए गए दृढ़कथन के अनुसार, अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन त्याग दिया था। कोर्ट ने देखा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता हर दिन तेजी से घटती जा रही थी। विधायिका ने गंगा को बचाने में मदद नहीं किया था। गंगा के साथ निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कानून की जरूरत थी। तदनुसार, 2 दिसंबर 2016 को दिए गए फैसले के जरिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी करके याचिका का निपटारा किया गया था।

### 8.2 न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

- i. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई सभी केंद्रीय वित्तपोषित योजनाओं के साथ-साथ गंगा नदी के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि का एक विशेष लेखापरीक्षा छह माह के भीतर करने और महामहिम भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बाद के आदेश (28 जून 2017) द्वारा इस समय सीमा को नवंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया था।
- ii. राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर हरिद्वार और ऋषिकेश में इन दोनों शहरों में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।
- iii. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) को छह महीने के भीतर 11 एम.एल.डी. क्षमता वाले एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।
- iv. गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित सभी 21 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को छह महीने के भीतर उचित क्षमता के एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।
- v. एन.एम.सी.जी. को तीन महीने के भीतर जगजीतपुर में 40 एम.एल.डी. क्षमता वाले एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।

- vi. उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी.) को 180 उद्योगों, जिन्हें वर्ष 2015-16 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, के खिलाफ कार्रवाई करने और तीन महीनों के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
- vii. जिन उद्योगों को वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्लोजर नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया था।
- viii. राज्य सरकार को छह माह के भीतर राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए गया था, क्योंकि वह राज्य अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहा था।
- ix. गंगा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पर्यावरण कानूनों को सख्ती से कार्यान्वित हेतु भारत सरकार को भी राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया था और यदि राज्य बोर्ड निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और पानी की गुणवत्ता में और गिरावट के कारण गंगा में गंभीर आपातस्थिति उठती है तो केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को कवर करने वाले पूरे क्षेत्र में राज्य बोर्ड का कामकाज करने का आदेश दे सकती है।
- x. सक्षम अधिकारियों को भी तीन महीने के भीतर जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
- xi. हरिद्वार में आश्रमों को सील करने और उसे बंद करने का आदेश दिया जाएगा, यदि उनके द्वारा शोधन के बिना अशोधित सीवेज को सीधे गंगा में बहने के लिए अनुमति दी जाती है।
- xii. तीन महीनों के बाद, कोई भी उद्योग/होटल/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थान को उपचार के बिना गंगा नदी में अशोधित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह नहीं करेगा। विफलता की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी को इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। गंगा नदी में खुलने वाली सभी नालियों को तीन महीनों के बाद सील और बंद कर दिया जाना चाहिए।

- xiii. गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषक इकाइयों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया गया था।
- xiv. गंगा नदी के दोनों किनारों पर 500 मीटर की परिधि के भीतर, किसी व्यक्ति को खुले में, कूड़ा फेंकना/ शौच/पेशाब नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार को कारावास सहित कड़े जुर्माना लगाकर नगरपालिका कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए निर्देश दिया गया था। कोई भी व्यक्ति गंगा नदी के किनारे खुले में कूड़ा फेंकते/पेशाब/शौच करते पाया जाता है तो उस पर को ₹ 5,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के संबंधित जिला दंडाधिकारी इन निर्देशों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। संबंधित जिले के जिला दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी घाटों और धार्मिक स्थानों पर इन निर्देशों के बारे में उपयुक्त संख्या में नोटिस बोर्डों को लगाने का निदेश दिया गया था। अनुमंडल दंडाधिकारियों को नगरपालिका कानून को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने तक इस मामले की संज्ञान लेने की अनुमति दी गई थी। हरिद्वार में हर-की-पौड़ी पर उपयुक्त संख्या में मोबाइल मैजिस्ट्रेट की तैनात रहेगी।
- xv. पूरे उत्तराखंड राज्य में 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से प्लास्टिक के बैग के बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
- xvi. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि लोगों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल न करें। गंगा नदी में मवेशियों को स्नान करने के लिए तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- xvii. उत्तराखंड राज्य के सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगना भी प्रतिबंधित था।
- xviii. हरिद्वार, ऋषिकेश और डाउनस्ट्रीम में गंगा को स्वच्छ करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में स्किमर्स प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- xix. पूरे उत्तराखंड राज्य में नगर निकायों को छह महीने के भीतर नगर निगम सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियमावली, 2000 के अंतर्गत ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करके वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटाने के निदेश दिए गए थे।
- xx. गंगा नदी के तट से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर गन्ने, पल्प/पेपर इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आदि जैसे पानी पर आधारित नए उद्योगों को अनुमति नहीं देने के लिए एक निदेश भी था। अब से कचड़ा ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए बिना 50 से अधिक मेहमानों की क्षमता वाले होटल सहित 50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी नए



- व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निदेश 100 से अधिक श्रद्धालुओं के आवास वाले बड़े आश्रमों के लिए भी लागू थी।
- xxi. नगर निगम, हरिद्वार और नगर परिषद, ऋषिकेश को धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले शौचालयों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर पर्याप्त संख्या में शौचालय तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
- xxii. राज्य सरकार को "नदी संरक्षण क्षेत्र" घोषित करना चाहिए, जहां सबसे ऊंचे बाढ़ डूब क्षेत्र से गंगा नदी के किनारे तक निजी के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- xxiii. भारत सरकार को फैसले की तिथि से तीन महीने के भीतर गंगा नदी को स्वच्छ/संरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के साथ-साथ जल संसाधन विकास परिषद के सादृश्य सभी तटवर्ती राज्यों, जिससे होकर गंगा नदी बहती है, यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण व जल संसाधन विकास परिषद की तर्ज पर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। अंतरराज्यीय परिषद अपने गठन के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार अगले लिए तीन महीने की अवधि के भीतर ही विचार करेगी और गंगा नदी के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- xxiv. वन अनुसंधान संस्थान को गंगा नदी के बेसिन और किनारों के लिए वानिकीकरण के लिए नए डी.पी.आर. तैयार करने के निदेश दिया गया था।
- xxv. माननीय न्यायालय ने भारत सरकार को सिफारिश/सुझाव भी दिया कि वह इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए गंगा नदी के लिए विशेष रूप से कानून बनाए।

### 8.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस रिपोर्ट के अध्यायों में परिकल्पना की गई योजना और संस्थागत प्रक्रियाओं को कवर करने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष, नदी गंगा के संरक्षण के लिए योजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। न्यायालय के निर्देशों में उठाए गए विशिष्ट मुद्दे तालिका 8.1 में हैं।

तालिका 8.1: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित लेखा परीक्षा निष्कर्ष

क्र.सं.	मुद्दे	हमारी टिप्पणी								
1	क्या हरिद्वार और ऋषिकेश में इन दो शहरों में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुए मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता अदालत के निर्णय की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से तीन महीने के भीतर बढ़ा दी गई है?	<p>हरिद्वार में तीन एस.टी.पी. और ऋषिकेश में एक एस.टी.पी. हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश का सीवेज लोड क्रमशः 107.2 एम.एल.डी. और 16 एम.एल.डी. है, जिसके विरुद्ध आज तक 63 एम.एल.डी. और छह एम.एल.डी. शोधन किया जा रहा है। इन शहरों के क्रमशः 44.2 और 10 एम.एल.डी. शेष सिवेज को बिना शोधन के नदी में गिराया जा रहा है।</p> <p>वर्ष 2015 में जगजीतपुर, हरिद्वार के लिए एक 40 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एस.टी.पी. मंजूर की गई थी, लेकिन मार्च 2016 में इसे रद्द कर दिया गया था और एन.एम.सी.जी. के आदेश पर मार्च 2017 में 68 एम.एल.डी. और 14 एम.एल.डी. क्षमता के नए एस.टी.पी. को स्वीकृत किया गया था। इसी प्रकार, ऋषिकेश में मौजूदा एस.टी.पी. की शोधन क्षमता में वृद्धि के लिए, मार्च 2017 में 26 एम.एल.डी. क्षमता के शोधन एस.टी.पी. को मंजूरी दे दी गई है। इन नए एस.टी.पी. पूरा करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा 24 महीने है। अभी तक, निर्माण के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया चल रही है।</p> <p>इसके अलावा, जगजीतपुर में 27 एम.एल.डी. क्षमता के वर्तमान एस.टी.पी. के उन्नयन और सराय, हरिद्वार में 18 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के तृतीयक शोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।</p>								
2	क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 21 दिसंबर, 2015 को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार, 11 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया है?	<p>अभिलेखों की समीक्षा से यह पाया गया कि एस.टी.पी. की स्थापना के संबंध में भेल-हरिद्वार आदेशों या विभिन्न विधिक प्राधिकरणों के समक्ष किए गए प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहा है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>आदेश की तारीख</th> <th>विधिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 दिसंबर 2015</td> <td>राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भेल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया।</td> </tr> <tr> <td>2 दिसंबर 2016</td> <td>उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने भेल को पीसीबी, उत्तराखंड द्वारा 21 दिसंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 02 दिसंबर 2016 से छह महीनों के भीतर 11 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया है, यदि पहले से स्थापित नहीं किया गया हो।</td> </tr> <tr> <td>17 मार्च 2017</td> <td>उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि भेल ने अपने महाप्रबंधक के माध्यम से नौ महीने (यानी 17</td> </tr> </tbody> </table>	आदेश की तारीख	विधिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश का विवरण	10 दिसंबर 2015	राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भेल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया।	2 दिसंबर 2016	उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने भेल को पीसीबी, उत्तराखंड द्वारा 21 दिसंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 02 दिसंबर 2016 से छह महीनों के भीतर 11 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया है, यदि पहले से स्थापित नहीं किया गया हो।	17 मार्च 2017	उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि भेल ने अपने महाप्रबंधक के माध्यम से नौ महीने (यानी 17
आदेश की तारीख	विधिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश का विवरण									
10 दिसंबर 2015	राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भेल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया।									
2 दिसंबर 2016	उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने भेल को पीसीबी, उत्तराखंड द्वारा 21 दिसंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 02 दिसंबर 2016 से छह महीनों के भीतर 11 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया है, यदि पहले से स्थापित नहीं किया गया हो।									
17 मार्च 2017	उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि भेल ने अपने महाप्रबंधक के माध्यम से नौ महीने (यानी 17									

		दिसंबर 2017 तक) के भीतर एस.टी.पी. को पूरा करने के लिए शुरू किया है।
		भेल ने कहा (जून 2017) कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख (दिनांक 17 मार्च 2017) से नौ महीने के भीतर एस.टी.पी. की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं।
3	क्या गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित सभी 21 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ने निर्माण चरण के दौरान और उसके बाद, परिचालनात्मक चरणों में, उचित क्षमता के सीवेज संयंत्र न्यायालय के निर्णय (यानी 2 दिसंबर 2016) की तारीख से छह महीने के भीतर स्थापित किए गए हैं?	स्थिति निम्नानुसार है: क. छह <sup>93</sup> हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं ने एस.टी.पी. स्थापित किया है। ख. दो <sup>94</sup> हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में, एस.टी.पी. जुलाई 2017 तक स्थापित किया जाएगा। ग. छह <sup>95</sup> हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स सेप्टिक टैंक/सॉक पिट्स का उपयोग कर रहे हैं। घ. वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदा में एक <sup>96</sup> हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना बह गया था। ङ. छह <sup>97</sup> हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है।
4	क्या एन.एम.सी.जी. न्यायालय के फैसले की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से तीन माह के भीतर जगजीतपुर में 40 एम.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करा सका?	मार्च 2017 में 68 एम.एल.डी. की कुल क्षमता के साथ एक नई एस.टी.पी. को मंजूरी दे दी गई और कार्य प्रदान कर दिया गया है।
5	180 दोषी उद्योगों, जिन्हें 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा की गई कार्रवाई।	1. 180 दोषी उद्योगों जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, में से 109 मामलों में, नोटिस दिसंबर 2015 से मई 2017 तक रद्द किए गए थे। 2. 109 में से 67 दोषी यूनिट्स ने यूईपीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन किया। हालांकि, 42 (परिशिष्ट 1.1 के क्र. सं. 68 से क्र. सं. 109 तक) दोषी इकाइयों ने न तो कारण बताओ नोटिस का अनुपालन जमा किया और न ही निर्धारित समय के भीतर अनुपालन देखने के लिए निरीक्षण हेतु यूईपीपीसीबी से संपर्क किया। इसके अलावा, इन इकाइयों को इन इकाइयों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों में बताए गए अनुपालन अवधियों की

<sup>93</sup> विष्णुप्रयाग, सिंगलोई भटवारी, श्रीनगर, कोटेश्वर, टिहरी और मानेरी भाली ॥

<sup>94</sup> बीरही गंगा, भिलंगाना ॥

<sup>95</sup> वनाला, राजवक्ति, गंगनानी, बट्यार, भिलंगाना और देवल

<sup>96</sup> हनुमान गंगा एक्सटेंशन ॥

<sup>97</sup> झलाकोती, काकोरा गाद, जालंधरी गाद, सियांगड़, मेलेखेत, नायर घाटी परियोजना

		<p>समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्वतः निरीक्षण किया गया और उनकी सिफारिश के आधार पर यूईपीपीसीबी द्वारा कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिए गया।</p> <p>3. शेष 71 मामलों में, 32 (अनुलग्नक 1.1 के क्र. सं. 110 से सं. 141 तक) दोषी उद्योगों को गैर-अनुपालन के लिए बंद नोटिस जारी किए गए थे। तीन मामलों में, इकाइयां खुद बंद (अनुलग्नक 1.1 के क्रम संख्या 142 से 144 तक) हो गई थीं और 32 मामलों में, (अनुलग्नक 1.1 के क्रम संख्या 145 से 176 तक), दोषी इकाइयों के बीच पत्राचार और यूईपीपीसीबी अभी भी चल रहा था। यूईपीपीसीबी द्वारा चार इकाइयों (अनुलग्नक 1.1 के क्र. सं. 177 से क्र. सं. 180 तक) की केस फाइलों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।</p> <p>4. बंद घोषित किए गए 16 इकाइयों (अनुलग्नक 1.2) में से पांच<sup>98</sup> का स्थल दौरा किया गया तथा हरिद्वार जिले में स्थित इकाई का नमूना जांच किया गया था। सभी पाँच इकाइयां बंद पाई गई थीं।</p>
6	44 डिफॉल्ट उद्योगों के संचालन की स्थिति जिन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान यूईपीपीसीबी द्वारा बंद नोटिस दिया गया था।	<p>1. 44 बंद नोटिस में से 23 नोटिस रद्द किए गए थे (अनुलग्नक 1.3 के क्रम संख्या 1 से क्र. सं. 23 तक) जिनमें एक मामला ऐसा भी शामिल था जहां यूनिट एनजीटी आदेशों के तहत चालू था।</p> <p>2. 17 मामलों में (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 24 से क्र. सं. 40 तक), जहां डिफॉल्टर इकाइयां यूईपीपीसीबी द्वारा बंद घोषित की गई थीं, बंद करने के लिए की गई कार्रवाई का सबूत 11 मामलों (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 24 से 34 तक) में उपलब्ध था जबकि शेष छह मामलों (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 35 से क्र. सं. 40 तक) में बंद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अनुवर्ती गतिविधियों का कोई सबूत यूईपीपीसीबी के फाइल में उपलब्ध नहीं था।</p> <p>3. चार मामलों में (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 41 से क्र. सं. 44 तक) मामला प्रक्रियाधीन था।</p> <p>4. हरिद्वार जिले में स्थित 13 इकाइयों में से बंद घोषित किए गए 9 इकाइयों<sup>99</sup> (अनुलग्नक 1.4 के क्र. सं. 1 से</p>

<sup>98</sup> मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद, मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सॉल्यूशंस, बहादुराबाद, मैसर्स होटल पोलारिस रेस्तरां 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, मैसर्स होटल अंबर, 48 सिविल लाइन्स, बस स्टैंड, रुड़की, मैसर्स होटल हाइवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की

<sup>99</sup> मैसर्स बाबा ब्रिकफील्ड, झाब्रेदा, मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लेंडोरा, रुड़की, मैसर्स सैवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोल, लेंडोरा, रुड़की, मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर, मैसर्स अंचल ईट फील्ड, बिजोली, लेंडोरा, मैसर्स अकबर खान

		क्र. सं. 9 तक) का नमूना जांच के रूप में स्थल दौरा किया गया था। यह पाया गया इस तारीख पर नौ इकाइयों में से सात (अनुलग्नक 1.4 के क्र. सं. 1 से क्र. सं. 7 तक) संचालित हो रहे थे।
7	106 डिफॉल्ट उद्योगों के संचालन की स्थिति जिन्हें 2015-16 के दौरान क्लोजर नोटिस भेजे गए थे।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जारी किए गए 106 क्लोजर नोटिस में से 59 (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 1 से क्र. सं. 59 तक) मामलों को रद्द कर दिया गया था (16 मामलों सहित जहां इकाइयां एनजीटी आदेशों के तहत चालू थीं)।</li> <li>2. शेष 47 मामलों (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 60 से क्र. सं. 106 तक) में जहां डिफॉल्टर इकाइयां यूईपीपीसीबी द्वारा बंद घोषित की गई थीं, 10 इकाइयों (एक सीलबंद इकाई और एक स्वयं बंद सहित) के वास्तविक बंद होने के संबंध में अभिलेख फाइलों में पाया गया था, जबकि 37 मामलों (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 70 से क्र. सं. 106 तक) में क्लोजर नोटिस जारी किए गए थे लेकिन यूईपीपीसीबी की फाइलों में अनुवर्ती गतिविधियों का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।</li> <li>3. हरिद्वार जिले में स्थित 18 (अनुलग्नक 1.6) इकाइयों में से बंद के रूप में घोषित किए गए छह इकाइयों<sup>100</sup> का नमूना जांच के रूप में स्थल दौरा किया गया था; और यह पाया गया कि सभी इकाइयां आज की तारीख में बंद थीं।</li> </ol>
8	क्या राज्य अधिनियम के तहत वैधानिक कर्तव्यों के गैर-निर्वहन के मामले में 1974 के जल (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम की धारा 62 के तहत यूईपीपीसीबी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या नहीं?	राज्य सरकार ने मार्च 2017 में पीसीबी को जल (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के तहत एक नोटिस जारी किया था जिसमें बोर्ड को 45 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था। यूईपीपीसीबी ने मई 2017 में अतिरिक्त सचिव, उत्तराखंड सरकार को जवाब दायर किया है।
9	क्या गंगा को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए भारत	इस प्रकार की कोई भी जानकारी एन.एम.सी.जी. ने एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. द्वारा लेखा परीक्षा को नहीं दी है।

ब्रिक फील्ड, कलियर, रुड़की, मैसर्स चांद ब्रिक सप्लाई, नागला लेंडोरा, मैसर्स शाब्री ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदोरा, हरिद्वार, मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली, हरिद्वार

<sup>100</sup> मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आईआईई रानीपुर, हरिद्वार, मैसर्स रलहरोनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, हरिद्वार, मैसर्स टेक्स प्लस टेक्सटाइल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, बहादुरपुरसैनी, मैसर्स एसटीपी एंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की, मैसर्स राजा आईस फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार तथा मैसर्स नाजामा फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार

	सरकार ने राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जरूरी निर्देश जारी किए हैं और यदि राज्य बोर्ड दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल होता है तथा गंगा में पानी की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट के कारण गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी और उसके अन्य सहायक नदियों को कवर करने वाले पूरे क्षेत्र में राज्य बोर्ड के कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को आदेश दे सकता है?	
10	जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत	यूईपीपीसीबी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 37 इकाइयों के खिलाफ अदालती मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें से छह मामलों को अदालत ने ₹ 5.30 लाख की जुर्माना लगाए जाने के बाद निपटान किया था जिसे उल्लिखित इकाइयों द्वारा जमा किया गया था। शेष 31 मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है इसके अलावा, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है।
11	गंगा नदी में अशोधित सीवेज को अनुमति देने वाले आश्रमों को बंद करना।	यूईपीपीसीबी ने जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी हरिद्वार (फरवरी 2017) को गंगा नदी में अपरिष्कृत सीवेज बहाने वाले पांच आश्रमों को सील करने और बंद करने के निर्देश दिए। नगरपालिका आयुक्त, हरिद्वार ने संयुक्त निरीक्षण के लिए एक समिति गठित की थी और मार्च 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि सभी पांच आश्रमों ने अपने सेप्टिक टैंक स्थापित किए हैं, जिन्हें जल संस्थान द्वारा साफ किया जा रहा है। इस प्रकार, इस समिति के निष्कर्षों के अनुसार, ये पांच आश्रम आज तक गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं कर रहे थे।
12	गंगा नदी में अशोधित सीवेज बहाने वाले उद्योग/होटल/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थान के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा कार्रवाई।	गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित करने वाले तीन होटल की पहचान की गई है। इन्हें दिसंबर 2015 से जनवरी 2016 तक बंद नोटिस जारी किए गए थे। इन होटलों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने के बाद बंद नोटिस रद्द किए गए थे। इस तिथि पर होटल चालू हैं।

<p>13</p>	<p>गंगा नदी में खुलने वाले नालों के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा की गई कार्रवाई</p>	<p>ई.ए.एस. के अभिलेखों की जांच के दौरान और एसपीएमजी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि प्राथमिकता वाले शहरों में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में खुलने वाले सभी नालों की पहचान की गई है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी में 56.871 एम.एल.डी. सीवेज बहाने वाले 111 नाले हैं। इन 111 नालों में से 30.579 एम.एल.डी. बहाव वाले 47 नालों (अनुलग्नक 1.7 के क्र. सं. 1 से क्र. सं 15 तक) को लेखापरीक्षा की तारीख तक टैप किया गया है। इस प्रकार, 26.292 एम.एल.डी. का अपशिष्ट बिना शोधन के अभी भी नदी या इसकी सहायक नदियों में गिर रहा है।</p> <p>इसके अलावा, सदस्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, यूईपीपीसीबी ने पत्र संख्या 10073-2083 दिनांक 27 फरवरी 2017 के माध्यम से पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गंगा में आने वाली सभी नालियों को सील करने के लिए निर्देश दिया। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूईपीपीसीबी को सौंपी गई थी। मुख्य अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने सूचित किया है कि एस.टी.पी. की स्थापना के लिए मौजूदा एस.टी.पी. के उन्नयन और मुख्य गंगा स्टेम पर नालियों के अवरोधन और मोड़ के साथ एस.टी.पी. स्थापित करने के लिए नई परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी एन.एम.सी.जी. द्वारा दे दी गई है और निविदा प्रक्रिया में है। इसलिए, यह कहा गया था कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।</p>
<p>14</p>	<p>गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषणकारी इकाइयों का पुनर्वास</p>	<p>पत्र संख्या: 172 (1) X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 07 मार्च 2017 के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो सप्ताह के भीतर यूईपीपीसीबी द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना था और गंगा नदी के तट पर स्थित अत्यंत प्रदूषणकारी इकाइयों के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यूईपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचना की जांच के दौरान, लेखा परीक्षा को सूचित किया गया कि गंगा नदी के तट पर कोई 'सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाई' नहीं है। हालांकि, सर्वेक्षण अभी भी प्रगति पर था।</p>
<p>15</p>	<p>गंगा नदी के दोनों ओर 500 मीटर की परिधि के भीतर गंदगी फैलाने/खुले में शौच और मूत्र त्याग करने के संबंध में लगाया गया जुर्माना।</p>	<p>राज्य सरकार ने "उत्तराखंड एंटी लीटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट, 2016" को 30 नवम्बर 2016 से लागू किया है जिसमें गंदगी फैलाने, पालतू जानवरों या मनुष्यों द्वारा खुले में मूत्र त्याग या शौच करने को निषेध करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अधिनियम के उल्लंघन पर ₹ 5,000 का जुर्माना या छह महीने तक का कारावास या फिर दोनों लगाया जा सकता है।</p> <p>इसके अलावा, राज्य सरकार ने माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय</p>

		के आदेश के अनुपालन के लिए पत्र संख्या: 172 (2)/X-3-17-15 (10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार के जिलाधिकारी और पीसीबी के सदस्य सचिव को दिशा-निर्देश जारी किया है। हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी के डीएम ने एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं और डीएम, हरिद्वार ने साथ-साथ मोबाइल दंडाधिकारी को भी नामित किया था। दीवार लेखन, होर्डिंग और नियमित घोषणाओं के माध्यम से जन जागरूकता के लिए प्रचार किया जा रहा है।
16	राज्य में प्लास्टिक बैग के बिक्री, उपयोग और भंडारण का पूर्ण प्रतिबंध।	यूईपीपीसीबी के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सचिव, शहरी विकास विभाग ने सरकार के आदेश सं. 94 दिनांक 13 जनवरी 2016 के माध्यम से और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार ने सरकार के आदेश सं. 88 दिनांक 25 नवंबर 2017 के माध्यम से उत्तराखंड के सभी महानगर निगमों/परिषदों, डीएफओ/एसएसपी और परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड को राज्य में प्लास्टिक और थर्मोकल से बने बैग/ पैकिंग सामग्री की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए पत्र जारी किए हैं। लागू किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ₹ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अभिलेखों की जांच में पता चला कि प्रतिबंध को लागू करते हुए यूएलबी ने अपने संबंधित क्षेत्रों में ₹ 57.94 लाख का जुर्माना लगाया/एकत्र किया है। सार्वजनिक बैठकों, दीवार लेखन, घोषणाओं और पोल कियोस्क के माध्यम से जागरूकता की जाती है।
17	राज्य सरकार कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि लोग गंगा में स्नान करने के दौरान साबुन, तेल और शैम्पू का उपयोग न करें?	उत्तराखंड सरकार ने आदेश संख्या 172 (3)/X-3-17-15 (10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया। मोबाइल दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
18	गंगा में मवेशियों के स्नान करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?	उत्तराखंड सरकार के पत्रांक 172(3)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के निर्देशों के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि गंगा नदी में मवेशियों के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित डीएम ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए एसडीएम को निर्देश जारी किया। हरिद्वार में मोबाइल दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं।



<p>19</p>	<p>राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?</p>	<p>राज्य सरकार ने पत्रांक 201/XVII-2/17-321(एस.ए.के.ए.)/2002 दिनांक 9 मार्च 2017 के माध्यम से राज्य के सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएसपी, नगर परिषद और राजस्व अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।</p>
<p>20</p>	<p>राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और डाउनस्ट्रीम में गंगा को साफ करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्किमर्स उपलब्ध कराए जाते हैं अथवा नहीं?</p>	<p>एसपीएमजी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख और सूचना की जांच के दौरान, यह देखा गया कि एन.एम.सी.जी. ने 01.01.2017 तक स्किमर्स को तैनात करने के निर्देशों के साथ दिसंबर 2016 में हरिद्वार और ऋषिकेश में मेसर्स अश्वथ इंफ्राटेक को स्किमर्स की स्थापना के लिए एक अनुबंध प्रदान किया था। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय संवेदक के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में एक-एक स्किमर 1 मई 2017 को तैनात किया गया था। वर्तमान में, ऋषिकेश पर तैनात स्किमर 25 मई, 2017 को एन.एम.सी.जी. के निर्देशों पर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। हरिद्वार में, परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, हरिद्वार में, नगरपालिका आयुक्त ने सात अधिकारी के साथ-साथ स्किमर के दैनिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। एकत्र कचरे के निपटान के लिए चिन्हित जगह की पहचान भी की गई है। एसपीएमजी, संबंधित यूएलबी और संवेदक के बीच त्रिपक्षीय समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।</p>
<p>21</p>	<p>दिसंबर 2016 से गंगा नदी के तट पर सभी शहरों में तैनात स्किमर्स की संख्या।</p>	<p>मई 2017 में दो स्किमर्स हरिद्वार और ऋषिकेश में क्रमशः एक-एक तैनात किए गए थे। हालांकि, ऋषिकेश में तैनात एक स्किमर को अब एन.एम.सी.जी. के निर्देशों पर 25 मई 2017 को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है।</p>
<p>22</p>	<p>क्या गंगा नदी के तट पर स्थित नगर निकायों के पास वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटान के लिए कोड़ रूपरेखा हैं?</p>	<p>राज्य के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) एक्शन प्लान (2016-21) को 2015 में तैयार किया गया है, जो कि अब 92 यू.एल.बी. को कवर करने के लिए एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। ड्यूश गसेल्स्काफ्ट फर इंटरनेशनल जुसममैनबीबीटी (जीआईजेड) जीएमबीएच (Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), जर्मन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सहयोग से 92 शहरों में से 12 शहरों के लिए एक शहर स्वच्छता योजना (सीएसपी) तैयार की जा रही है। सीएसपी सभी शहरी तरल और ठोस अपशिष्ट को कवर करेगा और कचरे के उत्पादन, संग्रह, शोधन और निपटान के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत 15 प्राथमिकता वाले शहरों में से 12 को कवर किया जा रहा है।</p>

23	नगर सॉलिड वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमावली, 2000 के प्रावधान के अनुसार, न्यायालय के फैसले की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से छह माह के भीतर कचरे के निपटान के लिए नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है।	550 एमटी क्षमता की अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना रुड़की में प्रस्तावित है। परियोजना तकनीकी समीक्षा के अंतर्गत है। यह प्रस्तावित प्लांट 18 यूएलबी यानी रुड़की, मंगलोर, लन्दुरा, भगवानपुर, झाबरेड़ा, लक्सर, हरिद्वार, भेल हरिद्वार, शिवालिक नगर, ऋषिकेश, मुनी की रेती, स्वर्गश्राम, नरेंद्र नगर, दोड़वाल, देहरादून, हरबर्टपुर, विकासनगर, मसूरी (राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड से संबंधित) से अपशिष्ट संग्रह करेगा।
24	क्या दिसंबर 2016 से गंगा नदी के किनारे से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर गन्ना, पल्प/ पेपर उद्योग, डिस्टिलरीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि जैसे नए जल आधारित उद्योगों के संचालन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्देश जारी किया गया है?	उत्तराखंड सरकार ने अपने पत्र संख्या 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से गंगा नदी के तट से दो किलोमीटर कि परिधि में गन्ने, पल्प/ पेपर उद्योग, डिस्टिलरीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आदि जैसे नए जल आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया है। संबंधित जिलाधिकारियों को न तो इस तरह के आवेदनों को स्वीकार करने और न ही ऐसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, यूईपीपीसीबी को भी ऐसे उद्योगों के लिए समेकित सहमति और प्राधिकरण (सीसीए) जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
25	क्या नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान (50 से अधिक व्यक्तियों को काम पर रखनेवाले), होटल (50 से अधिक मेहमानों की क्षमता वाले), आश्रम (100 से अधिक भक्तों के रहने वाले) ने संचालन अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट या सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है?	उत्तराखंड सरकार ने पत्र संख्या 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे मामलों में क्रमशः जल अधिनियम और पर्यावरण मंजूरी के अंतर्गत सीसीए की अनुमति नहीं देने या जारी नहीं करने के लिए उद्योग विभाग, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईआईडीसीयूएल), जिलाधिकारी, यूईपीपीसीबी और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसआईआईएए) को निर्देश जारी किया है।
26	क्या राज्य सरकार ने उन नए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल और आश्रमों पर कार्रवाई की है, जिनके पास ईटीपी या एस.टी.पी. नहीं है?	उत्तराखंड सरकार ने दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 07/03/2017 के माध्यम से उद्योग विभाग/एसआईआईडीसीयूएल/यूईपीपीसीबी को निर्देश जारी किया है।
27	क्या नगर निगम, हरिद्वार के साथ-साथ नगर परिषद, ऋषिकेश को द्वारा धार्मिक स्थानों में स्वच्छता बनाए	हरिद्वार में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि भेल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि के तहत 53 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और 12 जैव डायजेस्टर कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें से छह जैव डायजेस्टर कॉम्प्लेक्स चालू हालत में हैं। पांच

	<p>रखने के लिए हवाई जहाजों में इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालयों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर पर्याप्त संख्या में शौचालय तैयार करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं?</p>	<p>परिसरों का निर्माण पूरा हो चुका है और एक स्थान की पहचान अभी बाकी है।</p>
28	<p>क्या राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के संबंध में "नदी संरक्षण क्षेत्र" (जहां निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को भी उच्चतम बाढ़ के मैदान से लेकर गंगा नदी के तट तक कोई निर्माण गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए) की पहचान की गई है?</p>	<p>उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम, 2012 के तहत अधिसूचना संख्या 381/11-2017/06(65)/2016 दिनांक 28.02.2017 और अधिसूचना सं. 382/11-2017/06(66)/2016 दिनांक 28.02.2017 जारी किया गया है। उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले में नदी संरक्षण क्षेत्र के रूप में गंगा नदी के 60 किलोमीटर पहुंच को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और सभी संबंधितों से अनापत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस बाढ़ मैदानी ज़ोनिंग क्षेत्र में कार्य को निषेध और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।</p>
29	<p>क्या राज्य सरकार द्वारा "नदी संरक्षण क्षेत्र" में निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कोई घोषणा जारी की गई है?</p>	<p>उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम, 2012 के तहत अधिसूचना संख्या 381/11-2017/06(65)/2016 दिनांक 28.02.2017 और अधिसूचना सं. 382/11-2017/06 (66)/2016 दिनांक 28.02.2017 जारी किए गए हैं। अधिसूचित बाढ़ डूब क्षेत्र में किए गए किसी भी निर्माण कार्य को निषेध और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।</p>
30	<p>क्या अंतरराज्यीय परिषद (आईएससी) की स्थापना की गई है?</p>	<p>अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना प्रगति पर है।</p>
31	<p>आईएससी की बैठक का विवरण क्या आईएससी ने केंद्र सरकार को कोई सिफारिशों की हैं? यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा उस तिथि के साथ जब यह किया गया।</p>	
32	<p>गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?</p>	

33	इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति पर आईएससी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई।	
34	क्या गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसीन और तटों के वनीकरण के लिए नया डी.पी.आर. वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) द्वारा तैयार किया गया है और एन.एम.सी.जी. को सौंप दिया गया है?	मार्च 2016 में एफ.आर.आई. द्वारा तैयार किए गए डी.पी.आर. को एन.एम.सी.जी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस संबंध में टिप्पणियां अध्याय 6 में शामिल हैं। एफआरआई ने राज्य सरकार को सूचित किया (फरवरी 2017) कि प्रस्तावित डी.पी.आर. को शुरुआती पांच साल के लिए कार्यान्वित करने की कल्पना की गई थी तथा जिसे आवश्यकता व संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार एक और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
35	क्या न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विशेष रूप से गंगा नदी के लिए एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर/एन.एम.सी.जी. ने कोई कानून बनाया है?	नहीं



9  
अध्याय

### 9.1 परिचय

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के तहत, एन.एम.सी.जी. और एसपीएमजी की कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन में अहम भूमिका है। इसके अलावा, इसमें ईए, यूएलबी और परियोजनाओं की तृतीय पक्ष निगरानी की भूमिका भी परिकल्पित है।

इसके अलावा, केंद्रीय स्तर पर मंत्रालयों, विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी करने, बाधाओं को दूर करने, सुझाव देने और तेजी से क्रियान्वयन आदि सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक निर्णय लेने हेतु अन्य निकायों का सृजन किया गया है।

यह अध्याय एम.ओ.डब्ल्यू.आर, आर.डी. & जी.आर. और एन.एम.सी.जी. द्वारा निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्धारित संस्थागत तंत्र से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में है। इन पहलुओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए पैरा में दिए गए हैं।

### 9.2 निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र

गंगा संरक्षण के कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए शासी निकाय, हाई लेवल टास्क फोर्स, एम्पावर्ड टास्क फोर्स, गवर्निंग काउंसिल, एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी और कार्यकारी समिति जैसे विभिन्न निकाय और समितियां हैं। इन निकायों/समितियों का सृजन एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क, सोसाइटीज एक्ट और भारत सरकार के आदेशों के तहत किया गया है। गंगा (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (अक्टूबर 2016) द्वारा विभिन्न निकायों को पुनर्गठित या भंग कर दिया गया है।

#### 9.2.1 शासी निकाय

एन.एम.सी.जी. बाई-लॉज (जुलाई 2011) के अनुसार, केंद्रीय मंत्री (नियंत्रण मंत्रालय) की अध्यक्षता वाली गवर्निंग बॉडी (जीबी) की बैठक को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों के अनुमोदन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बुलाया जाना था। हालांकि, स्थापना (जुलाई 2011) के बाद जी.बी. की केवल एक बार (मई 2016) बैठक हुई और वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए एन.एम.सी.जी. के वार्षिक खातों के अंगीकरण किया। इस प्रकार जीबी ने अपने कार्यों को उप-नियमों के अनुरूप निष्पादित नहीं किया।

### 9.2.2 उच्च स्तरीय कार्यबल

मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के बीच बातचीत का सुगम बनाने के लिए और स्वच्छ गंगा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च स्तरीय कार्य बल<sup>101</sup> (एचएलटीएफ) का गठन किया गया (फरवरी 2015)। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और व्यय विभाग के सचिव, नौ<sup>102</sup> मंत्रालयों के सचिव, पांच राज्यों<sup>103</sup> के मुख्य सचिव और प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव इसके सदस्य हैं। मिशन निदेशक, एन.एम.सी.जी. सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं

एचएलटीएफ की भूमिका इस प्रकार है:

- क) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित मंत्रालय/विभाग गंगा संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करते हैं;
- ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा एक मजबूत निगरानी तंत्र रखा गया है;
- ग) कार्य योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा देना।

हमने देखा कि एचएलटीएफ के गठन के बाद से 13 फरवरी 2015 और 12 जनवरी 2017 के बीच छह बैठकों का आयोजन किया गया।

नियमित अंतरालों पर बैठकों के आयोजन के बावजूद, एचएलटीएफ यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी एसपीएमजी / एन.एम.सी.जी. द्वारा कार्य योजना तैयार किए गए थे। गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना को एन.एम.सी.जी. द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है जिसका ब्यौरा पैरा संख्या 3.7 और 3.9 में दिखाया गया है।

इसके अलावा, एन.एम.सी.जी. में कर्मचारियों की लगातार कमी थी और एच.एल.टी.एफ. द्वारा (दिसंबर 2015) एन.एम.सी.जी. में क्षमता वृद्धि के दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाना अभी बाकी है। फलस्वरूप, डी.पी.आर. लंबित रहे और काफी देरी के बाद अनुमोदित किए गए।

<sup>101</sup> 06 फरवरी 2015 को अपने कार्यालय के जापन के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

<sup>102</sup> व्यय विभाग, मंत्रालय; जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण; शहरी विकास; पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन; पेयजल और स्वच्छता; ग्रामीण विकास; शिपिंग; पर्यटन; कृषि और विद्युत

<sup>103</sup> बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

### 9.2.3 अधिकार प्राप्त कार्य बल

गंगा नदी पर एक अधिकार प्राप्त कार्य बल<sup>104</sup> (ई.टी.एफ.) का गठन किया गया (अक्टूबर 2016) जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर., उप-अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय राज्य मंत्री एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. भारत सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव सदस्यों के रूप में और सदस्य सचिव के रूप में एन.एम.सी.जी. के महानिदेशक शामिल थे। ई.टी.एफ. की भूमिका संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय करना, कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करना, बाधाओं को दूर करना, सुझाव देना और तेजी से कार्यान्वयन आदि सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक निर्णय लेना है। ई.टी.एफ. को हर तीन महीने में कम से कम एक बार या अधिक बार, जैसा आवश्यक समझा जाये, मिलना था।

हालांकि अभिलेखों से पता चला कि ई.टी.एफ. की स्थापना के बाद एक बैठक आयोजित की गई (फरवरी 2017)। ई.टी.एफ. द्वारा राज्य गंगा समितियों (एस.जी.सी.) की स्थापना ना किए जाना, गंगा और यमुना नदी में पानी की मात्रा की कमी के कारण और सीवरेज पानी प्रदूषण आदि के बारे में चिंता दर्शाई।

हालांकि, बिहार और पश्चिम बंगाल में एस.जी.सी. का गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा ई.टी.एफ. ने अपनी बैठक में उठाई गई चिंताओं को अभी तक संबोधित नहीं किया है।

### 9.2.4 शासी परिषद

शासी परिषद (जी.सी.) एन.एम.सी.जी. सोसाइटी के बाई-लॉज (जुलाई 2011) के तहत एक कार्यकारी समिति के रूप में गठित की गई थी जिसमें सोसाइटी का समग्र प्रबंधन अध्यक्ष के रूप में मंत्रालय के सचिव (नियंत्रण मंत्रालय) में निहित था। एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार, एन.एम.सी.जी. के मामलों और कार्यक्रमों के प्रबंधन पर जी.सी. का पूर्ण नियंत्रण है। जी.सी. की बैठक चार महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी। अक्टूबर 2016 की अधिसूचना के द्वारा जी.सी. का पुनर्गठन किया गया था जिसमें डी.जी. एन.एम.सी.जी. को पदेन अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, अभिलेखों से पता चला है कि जी.सी. वर्ष में तीन बार बैठक के बजाय 2014-17 (31 मार्च 2017 तक) के दौरान केवल चार बार बैठकें हुई थी। पाँच बैठकों की कमी थी।

<sup>104</sup> एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. की अधिसूचना अक्टूबर 2016 के अनुसार



### 9.2.5 अधिकार प्राप्त संचालन समिति और कार्यकारी समिति

एन.जी.आर.बी.ए. ने दिसंबर 2009 में एक अधिकार प्राप्त संचालन समिति (ई.एस.सी.) का गठन किया जिसमें अध्यक्ष के रूप में मंत्रालय<sup>105</sup> के सचिव और सदस्य के रूप में सचिव व्यय विभाग/मंत्रालय (शहरी विकास, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन, विद्युत), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग पांच राज्यों के मुख्य सचिव, सी.पी.सी.बी. और सी.डब्ल्यू.सी. के अध्यक्ष, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार थे तथा मिशन निदेशक एन.एम.सी.जी. को सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना था। ई.एस.सी. को एन.जी.आर.बी.ए. की गतिविधियों से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर विचार करना, मूल्यांकन करना और संस्वीकृति देना था। ई.एस.सी. को यथा आवश्यक तथा तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करना था। 2014-2016 के दौरान ई.एस.सी. सितंबर 2016 तक नौ बार बैठक की। अक्टूबर 2016 की अधिसूचना के बाद ई.एस.सी. को भंग कर दिया गया और एक नई समिति अर्थात् कार्यकारी समिति (ई.सी.) अस्तित्व में आई। ई.सी. एक दो-स्तरीय प्रबंधन संरचना है जिसमें जी.सी. और कार्यकारी समिति (ई.सी.) सहित डी.जी. एन.एम.सी.जी. की पदेन अध्यक्षता है। ई.सी. को तीन महीने में कम से कम एक बार जी.सी. को रिपोर्ट करना था। ई.सी. की बैठक की आवृत्ति निर्धारित नहीं की गई थी। ई.सी. ने मार्च 2017 से मई 2017 तक तीन बार बैठकें की।

### 9.3 तृतीय पक्ष निगरानी

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.), पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने एन.जी.आर.बी.ए. के तहत निगरानी और निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया (सितम्बर 2010) और निर्देश दिया कि एन.जी.आर.बी.ए. के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी के लिए स्थल पर विस्तृत समीक्षा और परियोजना के पूरे जीवन चक्र के माध्यम से उचित दस्तावेजों की जांच के आधार पर एक तृतीय पक्ष निरीक्षण (टी.पी.आई.) किया जाना आवश्यक था। दिशानिर्देश के अनुसार, टी.पी.आई. राज्य सरकार की एजेंसियों को काम की वांछित गुणवत्ता के रखरखाव में सशक्त बनाएगा और परियोजना के जीवन चक्र के सभी चार चरणों अर्थात् पूर्व-निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग और ट्रायल रन और निर्माण के बाद के कार्य को पूरा करेगा। राज्यों द्वारा टी.पी.आई. पर हमारी टिप्पणियों की चर्चा आगे की गई हैं:

<sup>105</sup> नियंत्रण मंत्रालय

**9.3.1 झारखंड:** झारखंड सरकार ने सभी परियोजनाओं के संबंध में टी.पी.आई. के प्रयोजन के लिए एक एजेंसी के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को नामित (दिसंबर 2016) किया। हमने पाया कि साहिबगंज सीवेज नेटवर्क और एस.टी.पी. परियोजना के लिए टी.पी.आई. हेतु एजेंसी की नियुक्ति ठेकेदार के साथ परियोजना के लिए समझौते के निष्पादन (मार्च 2016) के बाद की गई थी और निर्माण पूर्व स्तर के टी.पी.आई. का कार्य नहीं किया गया था।

**9.3.2 उत्तर प्रदेश:** यह पाया गया कि 20 अवसंरचना परियोजनाओं में से एसपीएमजी द्वारा दिसंबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच टी.पी.आई. के लिए केवल 12 परियोजनाओं हेतु सलाहकारों के नामांकन किए गए। हालांकि, अभिलेखों में टी.पी.आई. रिपोर्ट नहीं मिले थे।

**9.3.3 हरियाणा:** डी.पी.आर. के अनुसार, पानीपत और सोनीपत में यमुना नदी पर 'ऑनलाइन निगरानी प्रणाली' स्थापित की जानी थी। प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी और कोई व्यय नहीं हुआ था (मार्च 2017)।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी), हरियाणा ने कहा (जुलाई 2017) कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली एस.टी.पी. पर स्थापित की गई है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यमुना नदी पर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी थी और मार्च 2017 तक भौतिक और वित्तीय प्रगति से संकेत मिलता था कि यह परियोजना स्थापित नहीं हुई थी और कोई व्यय नहीं हुआ था।

पश्चिम बंगाल के मामले में टी.पी.आई. नहीं किए गए थे।

## 9.4 गंगा निगरानी केंद्र

गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार एन.एम.सी.जी. को अन्य चीजों के साथ, जल के निरंतर प्रवाह और नदी गंगा बेसिन में प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए 'गंगा नदी मॉनिटरिंग सेंटर' कहलाने वाले स्थानों/प्रयोगशालाओं/स्टेशनों/संस्थानों की पहचान करनी थी।

हमने देखा कि 'गंगा मॉनिटरिंग सेंटर' की स्थापना का जनादेश अभी भी, जुलाई 2017 तक, एन.एम.सी.जी. में अवधारणा और योजना चरण में था।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि गंगा नदी के पांच तटीय राज्यों में गंगा मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना हेतु ₹ 46.69 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2 अगस्त 2017 को आयोजित पांचवें कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

## 9.5 भुवन गंगा वेब पोर्टल और भुवन गंगा ऐप का कार्यान्वयन

जानकारी और डाटा के साझाकरण और सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने और पहचान करने के लिए, एन.एम.सी.जी. ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एन.आर.एस.सी.) के साथ एक चर्चा (मई 2014) की और गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभावी कमी के लिए जी.आई.एस. मैपिंग की परिकल्पना कर एक समझौता ज्ञापन (जून 2015) पर हस्ताक्षर किया। जी.आई.एस. मैपिंग निवेश परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और निगरानी में सहायक होने के साथ-साथ गंगा से संबंधित सभी आंकड़ों के केंद्रीय भंडार के लिए मंच प्रदान करने वाला था। इसमें भुवन गंगा वेब पोर्टल और भुवन गंगा ऐप के विकास की परिकल्पना की गई थी।

एम.ओ.यू. में निर्धारित एन.आर.एस.सी. और एन.एम.सी.जी. की जिम्मेदारियां हमारे अवलोकन सहित तालिका 9.1 में दी गई हैं।

**तालिका 9.1: एम.ओ.यू. और ऑडिट के अवलोकन के अनुसार एन.आर.एस.सी. और एन.एम.सी.जी. की जिम्मेदारियां**

	एम.ओ.यू. के अनुसार जिम्मेदारियां	हमारी टिप्पणियाँ
एन.आर.एस.सी.	भू-स्थानिक डाटा उत्पाद, उपकरण और सेवाओं का उपयोग करते हुए परिकल्पित कार्यों पर संकल्पनिक प्रस्ताव दस्तावेजों की तैयारी	एन.आर.एस.सी. ने गंगा नदी (मार्च 2015) के पुनरुद्धार के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक संकल्पनिक नोट को साझा किया, लेकिन एन.एम.सी.जी. को संकल्पनिक नोट पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।
	आसान पहुँच तथा दृश्यता की सुविधा प्रदान करने के लिए भुवन पोर्टल अवसंरचना पर वेब जी.आई.एस. अनुप्रयोग विकास और डिजाइन	एन.आर.एस.सी. ने भुवन गंगा वेब एप्लीकेशन की शुरुआत की, लेकिन आसान पहुँच और बेहतर दृश्य के लिए आवश्यक प्रासंगिक लेयर और टूल अभी तक विकसित नहीं हुए हैं।
	भुवन गंगा मोबाइल ऐप का विकास	भुवन गंगा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई।
	भू-स्थानिक डाटाबेस के सृजन और वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय	सी.पी.सी.बी. और एन.आर.एस.सी. के बीच सहभागिता अभी शुरू किया जाना था और एन.एम.सी.जी. अन्य एजेंसियों के साथ प्रासंगिक डाटा एकत्र करने के लिए समन्वय कर रहा था।
	दो पार्टियों के बीच आसान डाटा साझाकरण और एन.आर.एस.सी. द्वारा विकसित उत्पादों और उपकरणों के उपयोग हेतु एन.एम.सी.जी. के लिए	भुवन-गंगा में डाटा प्रबंधन के लिए एन.एम.सी.जी. को समर्थ बनाने हेतु एन.आर.एस.सी. से सहायता की आवश्यकता थी।

	अपेक्षित आवश्यक समर्थन/प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।	
एन.एम.सी.जी.	वर्तमान में उपलब्ध और एन.आर.एस.सी. को परियोजना के निष्पादन के दौरान क्रय किए जानेवाले सभी स्थानिक और गैर-स्थानिक डाटा समूहों को साझा करना।	नाले के संधि-स्थल और निकास, एस.टी.पी., उद्योग, घाट एवं समाधि-स्थल, वनरोपण के नमूना अंक से संबंधित डाटा भुवन गंगा पोर्टल पर लोड नहीं किए गए थे।
	विभिन्न संगठनों द्वारा गंगा नदी बेसिन से जमा किए गए सभी वास्तविक समय और ऐतिहासिक जल गुणवत्ता वाले आंकड़ों का अधिग्रहण।	एन.एम.सी.जी. ने वर्ष 2013-15 के लिए सी.पी.सी.बी. के पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों को साझा किया था, जिसे भुवन गंगा पोर्टल पर देखा जा सकता है। हालांकि, विभिन्न संगठनों द्वारा गंगा नदी बेसिन में प्राप्त वास्तविक समय डाटा और अन्य ऐतिहासिक पानी की गुणवत्ता के आंकड़े अभी भी अपलोड किए जाने हैं।
	डेटा संग्रह, संगठन तथा अनुप्रयोगों के विकास और भुवन गंगा पोर्टल के रखरखाव के लिए फोकल पॉइंट अधिकारियों के माध्यम से एन.आर.एस.सी. को लगातार समर्थन प्रदान करना	एन.एम.सी.जी. की ओर से दो अधिकारियों की पहचान फोकल प्वाइंट ऑफिसर के रूप में की गई थी।

तालिका 9.1 में यह देखा जा सकता है कि भुवन गंगा वेब पोर्टल का कार्यान्वयन धीमा रहा। हमने यह भी पाया कि ऊपर की जिम्मेदारियों के पालन हेतु समय सीमा को समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था। परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए, नियमित संयुक्त बैठकें आयोजित नहीं किए गए थे और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पहली बैठक के आयोजन में 14 महीने से अधिक का अंतर था।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई 2017) कि परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक उचित तंत्र की स्थापना की जाएगी। भुवन गंगा वेब पोर्टल के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए संयुक्त समीक्षा बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

### 9.6 आम जनता द्वारा साझा की गई सूचना का उपयोग भुवन गंगा ऐप के माध्यम से नहीं करना

भुवन गंगा ऐप विभिन्न प्रदूषण स्रोतों पर जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने हेतु विकसित की गई इसरो की मोबाइल एप्लिकेशन है और यह गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी के लिए क्राउड सोर्सिंग हेतु एक मंच प्रदान करता है तथा हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने के लिए एन.एम.सी.जी. के निर्णायकों को सक्षम बनाता

है। ऐप में शहरी सीवेज, अर्ध-शहरी/ग्रामीण सीवेज, प्राकृतिक नालियों/नालों, औद्योगिक अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट निपटान या किसी अन्य प्रदूषक स्रोत के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान है, जिसे बाद में भुवन गंगा वेब सर्वर पर भेजा जाता है। एन.एम.सी.जी. के अधिकारी भुवन भू-पोर्टल पर लगभग वास्तविक समय में डाटा देख सकते हैं। एकत्रित क्षेत्र की जानकारी को एन.एम.सी.जी. द्वारा उचित अनुशोधन के बाद जनता द्वारा देखी जा सकती है।

हमने पाया है कि एन.एम.सी.जी. ने जनता द्वारा साझा की गई जानकारी पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (मई 2017) कि इस तरह के तंत्र की स्थापना पर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। यह इंगित करता है कि आवेदन अप्रभावी था क्योंकि एन.एम.सी.जी. सार्वजनिक रूप से प्राप्त जानकारी पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं कर रहा था जिसने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी को भी बाधित किया था।

### 9.7 निगरानी और मूल्यांकन के लिए परियोजनाएं

एन.एम.सी.जी. ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को तीन परियोजनाओं के लिए ₹ 198.48 करोड़ रुपये की कुल लागत की स्वीकृति (मार्च 2011 और जून 2013 के बीच) दी थी, जिसके विरुद्ध सी.पी.सी.बी. द्वारा मार्च 2017 तक केवल ₹ 14.77 करोड़ (सात प्रतिशत) रुपये का व्यय किया गया था जैसा कि तालिका 9.2 में विवरण दिया गया है।

## तालिका 9.2: निगरानी और मूल्यांकन के लिए परियोजनावार स्वीकृत लागत और उपयोग

(₹करोड़ में)

अभिकरण	परियोजनाएं	स्वीकृत लागत	उपयोग (मार्च 2017 तक)	प्रतिशत उपयोग
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	1. प्रदूषण, सूचीकरण, मूल्यांकन और गंगा नदी पर निगरानी	34.77	9.03	26
	2. पर्यावरण नियामक को सुदृढ़ बनाना	69.26	1.87	3
	3. गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली	94.45	3.87	4
<b>कुल</b>	<b>3 परियोजनाएं</b>	<b>198.48</b>	<b>14.77</b>	<b>7</b>

निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

## 9.7.1 'प्रदूषण, सूचीकरण, मूल्यांकन और गंगा नदी पर निगरानी' नामक परियोजना

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) ने प्रदूषण, सूचीकरण, मूल्यांकन और निगरानी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को एन.आर.सी.डी. द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होने वाली ₹ 34.77 करोड़ की कुल लागत पर "प्रदूषण, सूचीकरण, मूल्यांकन और गंगा नदी पर निगरानी" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी (मार्च 2011)। इस परियोजना की कुल अवधि 60 महीने थी। हालांकि, परियोजना की अवधि लागत में बिना किसी वृद्धि के जून 2017 तक बढ़ा दी गई (जून 2016)। मार्च 2017 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा ₹ 9.03 करोड़ (26 प्रतिशत) का कुल व्यय किया गया था।

हमने निम्नलिखित कमियां पाईं:

- संविदा के आधार पर रिसर्च एसोसिएट/सीनियर रिसर्च फेलो/जूनियर रिसर्च फेलो/डाटा एंट्री ऑपरेटर/पर्सनल सेक्रेटरी के लिए स्वीकृत 97 पदों के विरुद्ध मार्च 2017 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा केवल 31 पद<sup>106</sup> ही भरे जा सके।

<sup>106</sup> रिसर्च एसोसिएट/सीनियर रिसर्च फेलो/डाटा एंट्री ऑपरेटर

एन.एम.सी.जी. (मई 2017) ने कहा कि सी.पी.सी.बी. द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे और चयन प्रक्रिया में काफी समय लगा। हालांकि, यह तथ्य बना रहा कि परियोजना की मंजूरी के छः वर्षों के बाद भी सी.पी.सी.बी./एन.एम.सी.जी. अपेक्षित जनशक्ति को काम पर लगाने में सफल रहे।

- पर्यावरण मंजूरी और सहमति आदेशों के माध्यम से निर्धारित मापदंडों के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा एक वर्ष में एक बार पहचान किए गए<sup>107</sup> 1,109 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के अनुपालन सत्यापन किए जाने थे। हालांकि, 988 जीपीआई के संबंध में आयोजित होने वाले 5,016 अनुपालन सत्यापनों<sup>108</sup> के विरुद्ध में 2011-17 के दौरान सी.पी.सी.बी. द्वारा केवल 3,163 अनुपालन सत्यापन किए गए थे। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान पहचान किए गए 121 जीपीआई के अनुपालन को मार्च 2017 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

- नदी जल की गुणवत्ता के लिए आम प्रवाह उपचार संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) के समुचित मूल्यांकन में सुधार के लिए, सी.पी.सी.बी. को सहमति आदेशों में निर्धारित मापदंडों के लिए त्रैमासिक आधार पर छह पहचान किए गए सी.ई.टी.पी. के समुचित मूल्यांकन का पालन करना था। हमने पाया है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान इन छः सी.ई.टी.पी. के संबंध में किए जानेवाले अपेक्षित 120 अनिवार्य समुचित मूल्यांकनों<sup>109</sup> के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 17 अनिवार्य समुचित मूल्यांकन किए गए थे।

- सी.पी.सी.बी. को परियोजना के तहत निर्धारित एस.टी.पी. के निष्पादन मूल्यांकन के लिए नियमित आधार पर 67 एस.टी.पी. के प्रदर्शन का अर्ध-वार्षिक और बाद में तिमाही<sup>110</sup> मूल्यांकन करना आवश्यक था। हालांकि, सी.पी.सी.बी. ने निर्धारित आवृत्ति के अनुसार एस.टी.पी. के प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अलावा, 67 एस.टी.पी. के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले 560 अनिवार्य निरीक्षणों के विरुद्ध अगस्त 2017 तक केवल 177 अनिवार्य निरीक्षण किए गए थे। इसके अलावा, अगस्त 2017 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा 15 एस.टी.पी. के प्रदर्शन का मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया गया था।

<sup>107</sup> मार्च 2011 तक 760 जीपीआई की पहचान की गई। आगे, 2015-16 के दौरान 349 नए उद्योगों की भी पहचान एवं सूचीकरण जीपीआई के रूप में किया गया।

<sup>108</sup> 456 निरीक्षण [228 जीपीआई x 2 साल (2015-16) प्लस 4,560 निरीक्षण [760 जीपीआई x 6 साल (2011-17)]]

<sup>109</sup> (4 मूल्यांकन प्रति वर्ष) x (6 सीईटीपी) x (5 साल)

<sup>110</sup> जून 2016 से जून 2017 तक की अवधि के दौरान

एन.एम.सी.जी. ने (जून/अगस्त 2017) तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जनशक्ति की कमी के कारण निर्धारित आवृत्ति के अनुसार जीपीआई, सी.ई.टी.पी. और एस.टी.पी. के नियमित निरीक्षण नहीं किए जा सके। हालांकि, धन और पर्याप्त समय होने के बावजूद सी.पी.सी.बी. पूर्ण जनशक्ति को काम में नहीं लगा सका।

### 9.7.2 'पर्यावरण नियामक को सुदृढ़ बनाना' नामक परियोजना

एन.एम.सी.जी. ने (जून 2013) विश्व बैंक की संस्थागत विकास घटक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के तहत ₹ 69.26 करोड़ के लिए सी.पी.सी.बी. को स्थानों और आवृत्तियों के संदर्भ में जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 'पर्यावरण नियामक को सुदृढ़ बनाना' शीर्षक परियोजना को संस्वीकृति प्रदान की। परियोजना की अवधि आठ साल थी। सी.पी.सी.बी. ने परियोजना (31 मार्च 2017 तक) के तहत ₹1.87 करोड़ का व्यय किया, जो कि सी.पी.सी.बी. द्वारा मार्च 2017 तक प्रस्तावित गतिविधियों पर किए जाने वाले प्रस्तावित 40.79 करोड़ रुपये के व्यय का केवल 5 प्रतिशत है। कुल व्यय का 82 प्रतिशत व्यय मुख्य रूप से सी.पी.सी.बी. कर्मचारियों के वेतन और इनपुट लागत पर खर्च किया गया था

हमने निम्नलिखित कमियां पाई:

- गंगा नदी जल गुणवत्ता की निगरानी की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए सी.पी.सी.बी. को गंगा पर सी.पी.सी.बी. (57) और एनआरडीसी (77) स्थानों दोनों को मिलाकर पानी की गुणवत्ता निगरानी वाले स्थानों की संख्या में वृद्धि करना था। यद्यपि इन सभी 134 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता का नमूनाकरण और विश्लेषण नवंबर<sup>111</sup> 2013 से शुरू किया जाना था तथापि सी.पी.सी.बी. फरवरी 2017 तक एन.आर.सी.डी. के 77 स्थानों का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, सी.पी.सी.बी. द्वारा (मार्च 2017 तक) चुने गए 77 जगहों पर मैनुअल जल गुणवत्ता की निगरानी बिल्कुल नहीं की गई थी। यहां तक कि सी.पी.सी.बी. ने अपने नियंत्रणाधीन 57 स्थानों पर भी सभी मापदंडों<sup>112</sup> के लिए निर्धारित आवृत्ति के अनुसार निगरानी नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) इस तथ्य को स्वीकार किया कि एस.पी.सी.बी. में उपलब्ध अपर्याप्त संसाधन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण 57 स्थानों पर

<sup>111</sup> डीपीआर के अनुसार, परियोजना की मंजूरी की तारीख से छह महीने से परियोजना की गतिविधियों को शुरू किया जाना था। चूंकि इस परियोजना को जून 2013 में मंजूर किया गया था, इसलिए इसे नवंबर 2013 से प्रभावी किया जाना चाहिए था

<sup>112</sup> सीपीसीबी द्वारा निगरानी के लिए पांच मापदंड कोर पैरामीटर, जैव-मॉनिटरिंग, सामान्य पैरामीटर, ट्रेस मेटल्स और कीटनाशक थे।



मैनुअल जल गुणवत्ता की निगरानी निर्धारित आवृत्ति के अनुसार नहीं की जा सकी। इसमें आगे कहा गया है कि चिन्हित किए गए संबंधित संस्थानों<sup>113</sup> द्वारा एन.आर.सी.डी. के 77 चुने गए स्थानों की निगरानी की जा रही थी।

एन.एम.सी.जी. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन पांच<sup>114</sup> एस.पी.सी.बी. से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है जबकि उनके प्रस्ताव को एन.एम.सी.जी. द्वारा मार्च 2017 तक अंतिम रूप दिया जा सकता था। इसके अलावा, इन संस्थानों द्वारा एन.आर.सी.डी. के 77 स्थानों की पहले की निगरानी ही की जा रही थी। हालांकि, सी.पी.सी.बी. तथा इन संस्थानों द्वारा की गई पानी की गुणवत्ता की निगरानी के मापदंडों और आवृत्तियों में मूलभूत असंगतियां थीं। इन असंगतियों को दूर करने के लिए एन.आर.सी.डी. के स्थान सी.पी.सी.बी. द्वारा अधिग्रहित किए जाने थे।

- परियोजना के तहत कुल 44<sup>115</sup> वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक पदों को मंजूरी दी गई। परियोजना के पहले वर्ष के भीतर इन पदों को सी.पी.सी.बी. द्वारा भरा जाना था। हालांकि, हमने देखा कि सी.पी.सी.बी. द्वारा मार्च 2017 तक केवल 15<sup>116</sup> पद ही भरे जा सके।

एन.एम.सी.जी. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई/अगस्त 2017) कहा कि सी.पी.सी.बी. द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए और चयन प्रक्रिया ने समय लगा। फिर भी, तथ्य बना रहा कि सी.पी.सी.बी./एन.एम.सी.जी. अपेक्षित क्षमता में प्रस्तावित कर्मचारियों को काम पर लगाने में विफल रहे।

- गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तैयार किए गए डाटाबेस और इसके अनुवाद को जानकारी में व्यवस्थित करने के लिए, सी.पी.सी.बी. को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर<sup>117</sup> का क्रय करना आवश्यक था। हालांकि, हमने पाया कि सी.पी.सी.बी. 31 मार्च 2017 तक इन विशेष हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद में विफल रहा।

इसके अलावा, दिल्ली में अपने जैव-निगरानी और उपकरण प्रयोगशालाओं के नवीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों (लखनऊ और कोलकाता) में अपनी प्रयोगशालाओं का जीर्णोद्धार

<sup>113</sup> पीसीआरआई-भेल हरिद्वार उत्तराखंड, आईआईटी-कानपुर उत्तर प्रदेश, पटना विश्वविद्यालय बिहार, कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल

<sup>114</sup> बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

<sup>115</sup> वैज्ञानिक (22) / तकनीकी (2), प्रशासनिक (13), सहायक स्टाफ (4) और सलाहकार (3)

<sup>116</sup> 13 वैज्ञानिक, एक कार्यालय प्रबंधक और एक सलाहकार

<sup>117</sup> **हार्डवेयर:** जीआईएस सर्वर, प्लॉटर, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। **विशिष्ट सॉफ्टवेयर:** आर्क इन्फो 10, गूगल व्यावसायिक संस्करण (4 सेट)

करने के लिए ₹ 4.65 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई थी, फिर भी सी.पी.सी.बी. केवल दिल्ली में अपने जैव-निगरानी प्रयोगशाला का नवीनीकरण का काम 31 मार्च 2017 तक पूरा कर सका।

सी.पी.सी.बी. ने (मई 2017) तथ्यों को स्वीकार किया।

- एस.पी.सी.बी. और सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेषण का विश्वास विकसित करने के लिए, कोलकाता और लखनऊ के सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगशालाओं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के राज्य पीसीबी को मान्यता नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के माध्यम से फरवरी 2014 तक दिया जाना था। हालांकि, हमने पाया कि जून 2017 तक केवल लखनऊ और कोलकाता में स्थित सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई थी।

एन.एम.सी.जी. ने तथ्यों को स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि संसाधनों और सुविधा की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

### 9.7.3 'नदी गंगा के लिए जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली' नामक परियोजना

एन.एम.सी.जी. ने जून 2013 में सी.पी.सी.बी. को सात वर्ष (84 महीने) की अवधि के लिए जल गुणवत्ता निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम) नेटवर्क के एक सघन नेटवर्क की स्थापना और इसे मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ₹ 94.45 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 'नदी गंगा के लिए जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली' परियोजना को मंजूरी दी। सी.पी.सी.बी. को जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का एक व्यापक डिजाइन की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसमें क्षेत्र आधारित नियमित निगरानी, सूचना प्रणाली और वैकल्पिक संस्थागत दृष्टिकोण के साथ गंगा नदी के निरंतर डब्ल्यूक्यूएम शामिल थे।

सी.पी.सी.बी. ने कुल ₹ 3.87 करोड़ रुपये मात्र (मार्च 2017 तक) का व्यय किया था, जो मुख्य रूप से उसके कर्मचारियों की इनपुट लागत (₹ 3.71 करोड़) और टैक्सी किराए पर लेने और संविदात्मक कर्मचारियों को वेतन आदि (₹ 16 लाख) पर किया गया था। हमने निम्नलिखित कमियां पाईं:

- सी.पी.सी.बी. ने स्वचलित जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.) की सहायता से वास्तविक समय के आधार पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की निरंतर प्राप्ति के लिए गंगा नदी के साथ 113 स्थलों की पहचान की। इसके लिए, सी.पी.सी.बी. ने डाटा खरीद के मॉडल को चुना। इस डाटा खरीद की अवधारणा के तहत, सी.पी.सी.बी. को एक बोलीदाता (डाटा सर्विस प्रदाता) का चयन करना था, जिसे एडब्ल्यूक्यूएमएस की

लागत और इसकी स्थापना, संचालन और रखरखाव का खर्च वहन करना था। इन ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. से उत्पन्न आंकड़े सी.पी.सी.बी. द्वारा स्वीकृत दरों पर खरीदे जाने थे। सभी 113 ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. की स्थापना, परीक्षण और चालू होने की लक्ष्य तारीख मार्च 2013 थी। हालांकि, हमने देखा कि मार्च 2017 तक, केवल 36 ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. स्थापित हो पाए थे। निर्धारित समय के भीतर सभी ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. के गैर-स्थापना और कमीशन के मुख्य कारण थे-

- (क) स्थल मालिकों जैसे राज्य सरकार/निकाय/एजेंसी से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने में विलंब। हमने पाया है कि सी.पी.सी.बी. ने अक्टूबर 2014 में एनओसी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की। परिणामस्वरूप, मार्च 2017 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा केवल 90 स्थलों के एनओसी प्राप्त किए जा सके।
- (ख) डाटा सर्विस प्रोवाइडर के चयन में विलंब, क्योंकि सी.पी.सी.बी. ने पांच वर्षों के लिए चयनित 36 स्थलों पर कुल ₹ 26.55 करोड़ रुपये की लागत पर एयूक्यूएमएमएस स्थापित करने के लिए जुलाई 2016<sup>118</sup> में डाटा सर्विसेज प्रोवाइडर को चुना। जैसा कि सी.पी.सी.बी. द्वारा रिपोर्ट किया गया, ये 36 ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. मार्च 2017 के महीने में स्थापित किए गए थे।
- सी.पी.सी.बी. को विभिन्न जल गुणवत्ता मापदंडों और सहयोगी अनुवर्ती प्रक्रियाओं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाटा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए डाटा निरूपक और सटीक हैं, के यथोचित मापन के एक परामर्श सत्यापन की व्यवस्था करनी थी। हालांकि, सी.पी.सी.बी. डाटा क्वालिफिकेशन कंसल्टेंट की नियुक्ति नहीं कर सका, क्योंकि इस कार्य के लिए सबसे कम बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत स्वीकृत लागत से काफी अधिक था। अतः सी.पी.सी.बी. ने अपेक्षित जनशक्ति (दिसंबर 2016) को भाड़े पर लगाकर अपनी स्वयं की आंतरिक गतिविधियों के रूप में डाटा सत्यापन करने का निर्णय लिया, जिसके लिए एन.एम.सी.जी. (फरवरी 2017) को एक प्रस्ताव भेजा गया।

हमने पाया है कि यद्यपि डाटा सर्विस प्रोवाइडर ने 36 ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. (11 मार्च 2017 से) से उत्पन्न आंकड़ों की आपूर्ति शुरू कर दी थी, तथापि सी.पी.सी.बी. के प्रस्ताव के लिए एन.एम.सी.जी. के अनुमोदन (मार्च 2017) की प्रतीक्षा थी।

<sup>118</sup> डाटा सर्विस प्रोवाइडर अर्थात मैसर्स :: सीएन मैसेटेक्निकजेस एम.बी.एच. ऑस्ट्रिया के साथ समझौता ज्ञापन की तिथि

• सी.पी.सी.बी. को हर साल सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम आरंभ करना होता था, जिसके अंतर्गत नागरिक समूहों, जैसे स्कूलों, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण / कार्यशालाएं आयोजित की जानी थीं। इसके अलावा, वहनीय जल गुणवत्ता विश्लेषण किट भी वितरित किए जाने थे। हालांकि, हमने पाया कि सी.पी.सी.बी. ने नागरिक समूहों के लिए किसी भी प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन नहीं किया है। इसके अलावा, ₹ 2.50 लाख के व्यय पर 100 वहनीय जल निगरानी किट (जनवरी 2016) की खरीद की जानी थी, हालांकि उसे भी नागरिक समूहों में (31 मार्च 2017 तक) वितरित नहीं किया जा सका था।

एन.एम.सी.जी. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जून/अगस्त 2017) कि अनुभव की कमी और परियोजना मॉडल की विशिष्टता के कारण परियोजना की प्रगति धीमी थी।

अतः, ₹ 3.87 करोड़ खर्च करने के बावजूद, चार सालों के बाद भी परियोजना में यथा परिकल्पित जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को मजबूत नहीं किया जा सका।

### 9.8 जल गुणवत्ता निगरानी

नदी गंगा (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार, गंगा नदी के पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविकी गुणवत्ता की बहाली और रखरखाव एक समयबद्ध तरीके से हासिल की जाएगी।

भारत में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा वर्ष 1978 में विकसित मापदंडों के आधार पर जल गुणवत्ता मूल्यांकन किए जाते हैं जैसा कि तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 9.3: सी.पी.सी.बी. द्वारा विकसित जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए मापदंड**

निर्दिष्ट सबसे अच्छा उपयोग	गुणवत्ता वर्ग	प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड
पारंपरिक शोधन के बिना परन्तु क्लोरीनीकरण के साथ	ए	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ कुल कोलीफॉर्म<sup>119</sup> जीव (एम.पी.एन. */100 मिलीलीटर) 50 या उससे कम होनी चाहिए</li> <li>▪ 6.5 और 8.5 के बीच पीएच</li> <li>▪ घुलित ऑक्सीजन<sup>120</sup> 6 मिलीग्राम/एल या अधिक, और</li> </ul>

<sup>119</sup> कॉलिफॉर्म हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक व्यापक वर्ग है, जिसमें मनुष्य के मल और अन्य गर्म रक्त वाले जानवर शामिल हैं। पीने के पानी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं की मौजूदगी हानिकारक, रोगजन्य जीवों की संभावित उपस्थिति का संकेत दे सकती है।

निर्दिष्ट सबसे अच्छा उपयोग	गुणवत्ता वर्ग	प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड
पेय जल स्रोत		<ul style="list-style-type: none"> <li>बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग<sup>121</sup> 2 मिलीग्राम/एल या उससे कम</li> </ul>
आउटडोर स्नान (संगठित)	बी	<ul style="list-style-type: none"> <li>कुल कोलीफॉर्म जीव (एम.पी.एन./100 एमएल) 500 या उससे कम हो</li> <li>6.5 और 8.5 के बीच पीएच</li> <li>घुलित ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम/एल या अधिक, और</li> <li>बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग 3 मिलीग्राम/एल या उससे कम</li> </ul>
पारंपरिक शोधन सहित पेय जल स्रोत	सी	<ul style="list-style-type: none"> <li>कुल कोलीफॉर्म जीव (एम.पी.एन./100 एमएल) 5000 या उससे कम होगा</li> <li>6 और 9 के बीच पीएच</li> <li>घुलित ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम/एल या अधिक, और</li> <li>बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग 3 मिलीग्राम/एल या उससे कम</li> </ul>
वन्य जीवन और मत्स्य पालन का फैलाव	डी	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.5 और 8.5 के बीच पीएच</li> <li>घुलित ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम/एल या अधिक, और</li> <li>मुक्त अमोनिया (एन के रूप में) 1.2 मिलीग्राम/एल या उससे कम</li> </ul>
सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और नियंत्रित निपटान	ई	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.0 और 8.5 के बीच पीएच</li> <li>2,250 से कम माइक्रो एम.एच.ओ.एस./सी.एम</li> <li>सोडियम अवशोषण अनुपात 26 से कम है, और बोरान 2 मिलीग्राम से कम है।</li> </ul>

एम.पी.एन.: सबसे संभावित संख्या; एम.जी: मिलीग्राम; एल: लीटर; माइक्रो एम.ओ.एच.एस.: विद्युत चालकता के लिए एक इकाई; पी.एच: किसी जलीय समाधान की अम्लता या आधारभूतता निर्दिष्ट करने हेतु प्रयोग किया गया एक न्यूक्लिक स्केल जहां शुद्ध पानी पीएच 7 पर तटस्थ होता है।

स्रोत: सी.पी.सी.बी.

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.), घुलित ऑक्सीजन (डी.ओ.) और कुल कॉलीफॉर्म (टी.सी.) आमतौर पर नदी के जैविक स्वास्थ्य को इंगित करते हैं।

<sup>120</sup> घुलित ऑक्सीजन (डी.ओ.) पानी, या अन्य तरल पदार्थों में विद्यमान मुक्त, गैर-मिश्रित ऑक्सीजन के स्तर को दर्शाता है। जलाशय के भीतर रहने वाले जीवों पर इसके प्रभाव के कारण पानी की गुणवत्ता का आकलन करने में यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।

<sup>121</sup> बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.), जिसे जैविक ऑक्सीजन की मांग भी कहा जाता है, किसी विशिष्ट समय अवधि में कुछ तापमान पर दिए गए पानी के नमूनों में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा वांछित (यानी मांग की गई) घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है।

### 9.8.1 वर्ष 2012-13 और 2016-17 के दौरान चयनित शहरों में पानी की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तर प्रदेश पीसीबी/कोलकाता महानगर जल एवं स्वच्छता प्राधिकरण/कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, हमलोगों ने वर्ग 'बी': गंगा नदी के आउटडोर स्नान के लिए निर्धारित मापदंडों का उपयोग करते हुए वर्ष 2012-13 और 2016-17 के लिए चार राज्यों<sup>122</sup> के दस महत्वपूर्ण शहरों में पानी की गुणवत्ता के रुझान का अध्ययन किया, जिसका विवरण तालिका 9.4 में दिया गया है।

तालिका 9.4: वर्ष 2012-13 और 2016-17 के दौरान पानी की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन

राज्य	शहर	बी.ओ.डी.				डी.ओ.				टी.सी.			
		मानदंड: 3 मि.ग्रा./ली. या कम				मापदंड: 5 मिलीग्राम/ली. या अधिक				मापदंड: 500 एम.पी.एन./100 मिली ली. या कम			
		2012-13		2016-17		2012-13		2016-17		2012-13		2016-17	
		मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)	मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)	मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)	मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)	मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)	मध्यमान (अपस्ट्रीम)	मध्यमान (डाउनस्ट्रीम)
उत्तराखंड	ऋषिकेश से हरिद्वार	1.30*	5.30**	1.00*	1.10**	8.40*	7.20**	10.30*	9.30**	82*	1445**	28*	223**
उत्तर प्रदेश	कानपुर	4.23	8.17	3.31	6.03	8.73	6.63	8.10	6.20	16592	102333	4867	70167
	इलाहाबाद	5.10	4.94	3.90	4.09	8.03	7.68	8.03	8.06	9917	13417	39750	43083
	वाराणसी	3.11	5.13	3.13	5.44	8.02	7.48	8.41	6.93	8767	43500	3000	46167
बिहार	पटना	2.60	2.70	2.70	2.70	8.30	8.20	7.50	7.40	5600	14909	3630	3723
	मुंगेर	2.40	2.50	3.20	3.20	8.10	8.06	7.90	7.70	3960	4166	3777	4535
	भागलपुर	2.60	2.60	3.00	2.90	7.90	7.80	7.90	7.70	5560	9500	4228	4371
पश्चिम बंगाल	गयासपुर	2.47	1.85	2.31	3.08	7.64	6.93	6.90	6.79	42266	32116	140000	167500
	बज बज	3.29	3.09	3.46	2.35	5.85	5.87	5.29	4.88	333750	71000	88500	53833

\* ऋषिकेश; \*\* हरिद्वार

<sup>122</sup> उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल

तालिका 9.4 से यह देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच पानी की गुणवत्ता आउटडोर स्नान के लिए स्वास्थ्यकर थी क्योंकि डी.ओ., बी.ओ.डी. और टी.सी. के स्तर 2012-13 और 2016-17<sup>123</sup> के दौरान वर्ग-बी के तहत निर्धारित पानी की गुणवत्ता मानदंडों के भीतर थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के छह शहरों<sup>124</sup> में 2012-13 के स्तर से डी.ओ. में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के तीन शहरों (कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी) में बी.ओ.डी. निर्धारित सीमा से अधिक था। 2016-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी शहरों में टी.सी. स्तर निर्धारित स्तरों की तुलना में छह<sup>125</sup> से 334<sup>126</sup> गुना तक ज्यादा था। इस प्रकार, 10 में से आठ शहरों (ऋषिकेश और हरिद्वार को छोड़कर) में पानी की गुणवत्ता सभी मापदंडों पर वर्ग 'बी' या आउटडोर स्नान वर्ग के मानकों को पूरा नहीं करती।

तालिका 9.3 के तहत पानी की गुणवत्ता सूची के मापदंड सी.पी.सी.बी. द्वारा वर्ष 1978 में विकसित किए गए थे। गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 में यह बताया गया कि गंगा नदी के पानी के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणवत्ता के बहाली और रखरखाव को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा।

### 9.9 निष्कर्ष

गंगा संरक्षण कार्यक्रम के लिए एन.जी.आर.बी.ए. ढाँचा, सोसाइटी एक्ट और भारतीय सरकार के आदेश के तहत कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सृजित किए गए विभिन्न निकायों/समितियों की बैठकें निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई हैं। जल गुणवत्ता की निगरानी, नियामकों और सूचीकरण, आदि को मजबूती प्रदान करने हेतु सी.पी.सी.बी. को संस्वीकृति दी गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था। "गंगा मॉनीटरिंग सेंटर" की स्थापना अभी भी अवधारणा और योजना चरण में था। रिमोट सेंसिंग डाटा और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग नवप्रवर्तनशील चरण में था। अध्याय 2, 3, 4, और 5 में यथा उल्लिखित कार्य योजना तैयार करने, जी.आर.बी.एम.पी. को अंतिम रूप न देने, डी.पी.आर. की लंबितता, मानव संसाधनों में निरंतर कमी, परियोजनाओं की धीमी गति आदि के बारे में लेखापरीक्षा की चिंताएं यह दर्शाते हैं कि निगरानी और मूल्यांकन तंत्र कारगर नहीं रहा।

<sup>123</sup> अंतराल अवधि के लिए पानी की गुणवत्ता का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

<sup>124</sup> कानपुर, वाराणसी (डाउनस्ट्रीम), पटना, मुंगेर, गयासपुर और बज बज

<sup>125</sup> पटना

<sup>126</sup> गयासपुर

### 9.10 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि

- i. एन.एम.सी.जी. गंगा संरक्षण कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करे, अनुशंसा एवं कार्रवाई करने योग्य बिंदु तैयार करे और सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करें।
- ii. एन.एम.सी.जी. प्रदूषण की निगरानी, प्रदूषण के महत्वपूर्ण मापदंडों की सूचीकरण, गंगा नदी की निगरानी और नियामकों को मजबूत बनाने के लिए सी.पी.सी.बी. को पहले से ही सौंपे गए कार्य में तेजी लाने हेतु सभी प्रयास करें।
- iii. एन.एम.सी.जी. गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016) में परिकल्पित गंगा निगरानी केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए।
- iv. एन.एम.सी.जी. बेहतर निगरानी के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के भू-स्थानिक डाटा का उपयोग करें।



(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली

दिनांक: 18 सितम्बर 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 19 सितम्बर 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट 1.1

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

180 उद्योगों/इकाईयों जिन्हें 2015-16 के दौरान कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे, की वर्तमान स्थिति

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
1.	मै. हिमालय ग्रिट्स, हल्दवानी, नैनीताल
2.	मै. होटल गंगा बीच रिसोर्ट एण्ड होटल, लक्ष्मणझूला, तृषिकेश, देहरादून
3.	मै. श्री राधे इंटरप्राइजेज, आई.पी.-42, रायपुर इंड. एस्टेट, भगवानपुर, हरिद्वार
4.	मै. जे.डी. टाल्क, मोतीनगर, हल्दवानी, नैनीताल
5.	मै. होटल इनवीटेशन, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
6.	मै. होटल ऑल सीजन, मंगलौर रोड, रुड़की, हरिद्वार
7.	मै. होटल पैसिफिक गार्डन, मंगलौर रोड, रुड़की, हरिद्वार
8.	मै. होटल वैली, आदर्श नगर, रुड़की, हरिद्वार
9.	मै. शील चंद एगो ऑयल प्रा. लि. लालपुर, यू.एस. नगर
10.	मै. कूपर फार्मा लिमिटेडे, सेलाक्यू, देहरादून
11.	मै. केन्ट इंडस्ट्रीस, लकेश्वरी, हरिद्वार
12.	मै. सुरक्षा फार्मा, रुड़की, हरिद्वार
13.	मै. पंचवटी न्यूट्रिफेंट्स, रुड़की, हरिद्वार
14.	मै. पल्स फार्मासियूटिकल्स प्रा. लि., करोंदी, हरिद्वार
15.	मै. ब्रिटानिया इंडसट्रीस लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
16.	मै. मीटर एण्ड मीटर इंजीनियर्स प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
17.	मै. ए.आई.सी.ए. लेमिनेट्स इंडिया प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
18.	मै. सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्रा. लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
19.	मै. सागर पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि., झबरेदा रोड, मंगलौर, हरिद्वार
20.	मै. मैजिक वायर (इकाई-2), सलेमपुर इंड. एस्टेट, रुड़की, हरिद्वार
21.	मै. राज राजेश्वरी टेक्नोफेब, देव भूमि इंड. एस्टेट, हरिद्वार
22.	मै. सुरीन ऑटोमोटिव प्रा. लि., ई.एस.आई.पी.एल., सितारगंज

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
23.	मै. पारले बिस्किट्स प्रा. लि., ई.एस.आई.पी.एल., सितारगंज
24.	मै. गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्ट्स लि., ई.एस.आई.पी.एल., सितारगंज, यू.एस. नगर
25.	मै. बालाजी एक्शन बिल्डवेल, ई.एस.आई.पी.एल., सितारगंज, यू.एस. नगर
26.	मै. उत्तरांचल पल्प एण्ड पेपर्स मिल्स लि., मण्डेट, मंगलौर, हरिद्वार
27.	मै. सागर पल्प एण्ड पेपर्स मिल्स लि., मंगलौर-देवबंद रो., मंगलौर, हरिद्वार
28.	मै. गल्फार इंजीनियरिंग एण्ड कांटेक्टिंग प्रा. लि., बचपुरी, यू.एस. नगर
29.	मै. कार्बेट रत्तन, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
30.	मै. कृष्णा वाइल्डरनेस रिट्रीट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
31.	मै. माइरिका रिसोर्ट्स, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
32.	मै. कान व्हिज हम तुम रिसोर्ट्स, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
33.	मै. ला पारले रिसोर्ट्स, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
34.	मै. कार्बेट टाइगर डेन, बेल पारव, कालाडुंगी रोड, रामनगर, नैनीताल
35.	मै. कार्बेट एरोमा हेवेन्स, (पार्क), ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
36.	मै. द मोनल नेस्ट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
37.	मै. जेपी ड्रग्स, आई.आई.ई. हरिद्वार
38.	मै. बोल्ट मास्टर इंडिया प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
39.	मै. अमर पोलीपैक प्रा. लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
40.	मै. डिक्सोन टेक्नोलॉजी प्रा. लि., सेलाक्यू, देहरादून
41.	मै. होटल शिवा पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
42.	मै. सुंदरम फास्टनर्स लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
43.	मै. राधू प्रोडक्ट्स प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
44.	मै. यूरेसिया डोर डिवाइस, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
45.	मै. पंकज गैस सिलिण्डर, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
46.	मै. एस.एल.जी. ब्राइट वायर्स, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
47.	मै. पियूस इंडस्ट्रीस, सलीमपुर, हरिद्वार
48.	मै. कार्बेट जंगल ट्रेजर, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
49.	मै. कंट्री इन, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
50.	मै. कैम्प हार्नबिल, क्यारी, रामनगर, नैनीताल

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
51.	मै. क्लाक्स इन कार्बेट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
52.	मै. वाइल्ड क्रैस्ट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
53.	मै. रामगंगा रिसोर्ट, जमारिया, अल्मोड़ा
54.	मै. प्लेटिडम सफारी लोज, भक्राकोट, अल्मोड़ा
55.	मै. जुकासो मनु महारानी, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
56.	मै. ट्रेफ होटल, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
57.	मै. कार्बेट कमफोर्टेबल रिसोर्ट, रामनगर, नैनीताल
58.	मै. कार्बेट रिवर क्रिक, झडगाँव, अल्मोड़ा
59.	मै. जंगल पैराडाइज रिट्रीट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
60.	मै. पी.एम. टूल्स एण्ड अबरेसिक्स, रायपुर इंड. एरिया, भगवानपुर, हरिद्वार
61.	मै. जिंदल रिफाइनरी प्रा. लि., काशीपुर, यू.एस. नगर
62.	मै. राज डिल्क्स, सब्जी मंडी, विष्णु घाट, हरिद्वार
63.	मै. होटल त्रिशुल, रेलवे रोड, हरिद्वार
64.	मै. होटल सचिन इंटरनेशनल, श्रवण नाथ नगर, हरिद्वार
65.	मै. मोनल रिसोर्ट, रूद्रप्रयाग
66.	मै. अमाना मेटल फिनिशर्स प्रा. लि., रानीपुर, हरिद्वार
67.	मै. अरहम टेक्नोकेम, रूडकी हरिद्वार
68.	मै. इंटरनेशनल सेल्स कारपोरेशन, आई.आई.ई. हरिद्वार
69.	मै. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कंस्ट्रक्शन एण्ड मेनटिनेन्स डिव. जल निगम, डी.जी.वी.आर. कैम्प. आशुतोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून
70.	मै. एल.आर.सी. स्पेसियलिटी सरफैक्टेंट्स, लकेश्वरी, भगवानपुर, हरिद्वार
71.	मै. आई.टी.सी. (फुड डिविजन), आई.आई.ई. हरिद्वार
72.	मै. गोडविन होटल, हरिपुर, देहरादून
73.	मै. होटल डायनेस्टी, 48 सिविल लाईन्स, रूडकी, हरिद्वार
74.	मै. होटल प्रेम डायनेस्टी, 48 सिविल लाईन्स, रूडकी, हरिद्वार
75.	मै. होटल ग्राण्ड प्रेसिडेंट, 48 सिविल लाईन्स, रूडकी, हरिद्वार
76.	मै. होटल सोलीटेयर, मखनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
77.	मै. होटल राज पैलेस, हरिद्वार रोड, रूडकी, हरिद्वार
78.	मै. होटल सुविधा एण्ड गेस्ट हाउस, 48 सिविल लाईन्स, रूडकी, हरिद्वार

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
79.	मै. होटल रॉयल पैलेस, 22 सिविल लाईन्स, रूड़की, हरिद्वार
80.	मै. होटल सागर एण्ड रेस्टोरेन्ट, 19 सिविल लाईन्स, रूड़की हरिद्वार
81.	मै. होटल माया पैलेस, रामपुर चुंगी, रूड़की, हरिद्वार
82.	मै. होटल ब्लू सफायर, रामपुर चौक, रूड़की, हरिद्वार
83.	मै. होटल सूर्या फार्म्स, मंगलौर रोड, रूड़की, हरिद्वार
84.	मै. होटल आर्यन, मंगलौर रोड, रूड़की, हरिद्वार
85.	मै. पतंजलि आयुर्वेद लि., ओल्ड इंड. एरिया, हरिद्वार
86.	मै. कोटक हेल्थ केयर, रूड़की, हरिद्वार
87.	मै. एविना मिल्क प्रोडक्ट्स, भगवानपुर, हरिद्वार
88.	मै. रूप पोलीमर्स लि., आई.आई.ई. पंतनगर
89.	मै. मेटलमैन माइक्रो टरनर्स, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
90.	मै. इंडूरेन्स टेक्नोलॉजिज प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
91.	मै. निपमैन फास्टनर्स इंड. प्रा. लि., सलेमपुर महदूद, हरिद्वार
92.	मै. सागर स्टोन क्रशर, देवरामपुर, हल्दवानी, नैनीताल
93.	मै. कंट्री क्लब वाइल्ड एक्सोटिका, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
94.	मै. रोजवूड रिसोर्ट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
95.	मै. श्री सिमेंट लि., अकबरपुर, लकसर, हरिद्वार
96.	मै. पाइरेक्स पोलीमर्स, सुनेहरा रोड रूड़की, हरिद्वार
97.	मै. ई-इयूरेबल्स, सी-5 यू.पी.एस.आई.डी.सी. सेलाक्यू, देहरादून
98.	मै. अमके ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
99.	मै. लूक्स टी.वी.एस. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
100.	मै. जिम'स जंगल रिट्रीट, ढेला, रामनगर, नैनीताल
101.	मै. कार्बेट वाइल्ड आईरिस स्पा एण्ड रिसोर्ट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
102.	मै. हरिदेश स्पा एण्ड रिसोर्ट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
103.	मै. यूरो लाइफ हेल्थकेयर प्रा. लि., भगवानपुर, हरिद्वार
104.	मै. होटल शिव मुर्ती, रेलवे रोड, हरिद्वार
105.	मै. भारत भूमि ट्यूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश देहरादून
106.	मै. होटल चोटीवाला, न्यू बायपास रोड, भूपतवाला, हरिद्वार
107.	मै. होटल चोटीवाला, धूधारी चौक, हरिद्वार

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
108.	मै. सरोवरपरटिका, बद्रीनाथ, चमोली
109.	मै. कृष्णा कॉटेज, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, पौड़ी
110.	मै. जैन ग्रामोद्योग, जसपुर खुर्द, काशीपुर, यू.एस. नगर
111.	मै. होटल द अमेरिस, नटराज चौक, ऋषिकेश, देहरादून
112.	मै. डेक्कन वैली हाउसिंग सोसाइटी, ऋषिकेश, देहरादून
113.	मै. रंजना मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, मोतीनगर, हल्दवानी, नैनीताल
114.	मै. गुरु नानक मिनरल्स, मोतीनगर, हल्दवानी, नैनीताल
115.	मै. होटल पार्क प्राइम, धूधन चौक, हरिद्वार
116.	मै. कुमाऊँ मिनरल्स, मोतीनगर, हल्दवानी
117.	मै. राज बैग्स, कटिया, काशीपुर, यू.एस. नगर
118.	मै. होटल पोलरिस रेस्टोरेन्ट, 48 सिविल लाईन्स, रुड़की, हरिद्वार
119.	मै. होटल प्रेसिडेंट, 48 सिविल लाईन्स, रुड़की, हरिद्वार
120.	मै. होटल उर्वशी, सिविल लाईन्स बस स्टैंड, रुड़की, हरिद्वार
121.	मै. होटल अम्बर, 48 सिविल लाईन्स, रुड़की, हरिद्वार
122.	मै. होटल मोटल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
123.	मै. होटल हाइवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की, हरिद्वार
124.	मै. होटल सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
125.	मै. आनंद लौज, 32 सिविल लाईन, नियर नीलम टॉकिज, रुड़की, हरिद्वार
126.	मै. केशव पोलीमर्स एण्ड ट्रेडर्स, रुड़की, हरिद्वार
127.	मै. शान्ति ग्रामोद्योग संस्थान, हरिद्वार
128.	मै. महाशक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, बंजेरावाला, रुड़की, हरिद्वार
129.	मै. माइक्रो टरनर्स, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
130.	मै. विंडाल्स ऑटो प्रा. लि. (यूनिट-1), आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
131.	मै. टेक्स जिपर, देव भूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी, हरिद्वार
132.	मै. देशमेश रोसिन कम्पनी, भूजियाघाट, नैनीताल
133.	मै. जिंदल रिसर्च लैब्स लि., महुआखेदगंज, यू.एस. नगर
134.	मै. भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी, वि. पोरा, तह. पुरोला, उत्तरकाशी
135.	मै. शिवालिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., टाईउनी, डिस्ट. देहरादून
136.	मै. अवन्ति मेटल इंडस्ट्रीज, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
137.	मै. कार्बेट कंट्री रिसोर्ट, ढिकुली, रामनगर, नैनीताल
138.	मै. धरमवीर, बिहाइंड बाल कुंज स्कूल, गोविंदपुर ददुपुर, हरिद्वार
139.	मै. दक्ष प्लेटर, बिहाइंड बाल कुंज स्कूल, गोविंदपुर ददुपुर, हरिद्वार
140.	मै. उदय पैलेस, पीपलकोटी, चमोली
141.	मै. रामा होटल, श्रीकोट, पौड़ी, गढ़वाल
142.	मै. जैन पोली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद, हरिद्वार
143.	मै. रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद, हरिद्वार
144.	मै. मरी मंत होटल, धूधाचारी चौक, भूपतवाला, हरिद्वार
145.	मै. ओमेक्स रिवेरा, प्लॉट न. बी - आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर
146.	मै. नील मेटल प्रोडक्ट्स लि., आई.आई.ई., हरिद्वार
147.	मै. गंगा किनारे, 237, वीरभद्र रोड,, ऋषिकेश, देहरादून
148.	मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लि. (भेल), हरिद्वार
149.	मै. कंट्री इन, मोतीचूर
150.	मै. होटल रिजेंटा, मोतीचूर, देहरादून
151.	मै. होटल डिवाइन इंटरनेशनल, 48 सिविल लाईन्स, रूड़की, हरिद्वार
152.	मै. होटल प्रेमहंस, 48 सिविल लाईन्स, रूड़की, हरिद्वार
153.	मै. होटल कजरी, 48 सिविल लाईन, रूड़की, हरिद्वार
154.	मै. भारत पी.जी. गेस्ट हाउस, रामपुर चुंगी, रूड़की, हरिद्वार
155.	मै. आनंद गेस्ट हाउस, रामनगर चौक, रूड़की, हरिद्वार
156.	मै. होटल सत्यम पैलेस, रामपुर चुंगी, रूड़की, हरिद्वार
157.	मै. होटल गोदावरी, मंगलौर रोड, रूड़की, हरिद्वार
158.	मै. होटल विशाल मंगलौर रोड, रूड़की, हरिद्वार
159.	मै. होटल प्रकाश, 19 सिविल लाईन, रूड़की, हरिद्वार
160.	मै. आर.जी. बिल्डवेल इंजीनियर लि., रूद्रप्रयाग
161.	मै. पैसेफिक एस्टेट (अपार्टमेंट), देहरादून
162.	मै. जिंदल ई.एस.आई.पी.एल. सी.ई.टी.पी. (सितारगंज) लि., सितारगंज, यू.एस. नगर
163.	मै. हलैक्स हेल्थ केयर, करौंदी, रूड़की, हरिद्वार
164.	मै. रूट्स कॉरपोरेशन लि., यू.एस. नगर

दोषी उद्योगों के नाम और स्थान	
165.	मै. सूर्या स्मेलटर्स प्रा. लि., सुनहेरा रोड, राजपुताना, रूड़की, हरिद्वार
166.	मै. ग्लोबल इनर्जी सोल्यूशन्स, दिनेशपुर, गदरपुर, यू.एस. नगर
167.	स्टेशन मास्टर, नार्दर्न रेलवेज, काठगोदाम, नैनीताल
168.	मै. जीवंता लेबोरेटरीज प्रा. लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
169.	मै. उत्तरांचल मेटल प्रा. लि., प्लॉट न.-11, 12, 13 सेक्टर-02 आई.आई.ई., डिस्ट-हरिद्वार
170.	मै. होटल आस्था पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
171.	मै. द कार्बेट व्यू रिसोर्ट, ढेला, रामनगर, नैनीताल
172.	मै. सनशाईन इंडसट्रिज, गोविंदपुर ददुपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार
173.	मै. नटराज इंटरप्राइजेज, बिहाइंड बाल कुंज, गोविंदपुर ददुपुर, हरिद्वार
174.	मै. नील कंठ धाम, ऋषिकेश रोड, हरिद्वार
175.	मै. होल सचिन इंचरनेशनल, रूद्रप्रयाग
176.	मै. होटल हयात पैलेस, मंगलौर रोड, रूड़की, हरिद्वार
177.	मै. डिवाइन रिसोर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
178.	मै. महादेव थर्मोपैक, महुआहेदगंज, यू.एस. नगर
179.	मै. नमन बिल्डकोन लि., कनवाली, सेट्रल होप टाउन, देहरादून
180.	मै. कोमल मेटल फिनिशर्स, आई.आई.ई. पंतनगर, यू.एस. नगर



## परिशिष्ट 1.2

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

हरिद्वार में स्थित तथा बंद घोषित उद्योगों की सूची (2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस दिए गए 180 उद्योगों में से)

क्र.सं.	इंडस्ट्री के नाम	कारण बताओ की तारीख
1.	मै. रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद	30.03.2016
2.	मै. जैन पोली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद	11.12.2015
3.	मै. होटल पोलरिस रेस्टोरेन्ट, 48 सिविल लाईन्स, रुड़की	08.01.2015
4.	मै. होटल अम्बर, 48 सिविल लाईन, रुड़की	18.06.2015
5.	मै. होटल हाइवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की	18.06.2015
6.	मै धरमवीर, बिहाइंड बाल कुंज स्कूल, गोविंदपुर, ददुपुर	21.03.2016
7.	मै. दक्ष प्लेटर, बिहाइंड बाल कुंज स्कूल, गोविंदपुर, ददुपुर	21.03.2016
8.	मै. नटराज इंटरप्राइजेज, बिहाइंड बाल कुंज स्कूल, गोविंदपुर, ददुपुर	30.03.2016
9.	मै. होटल उर्वशी, सिविल लाईन बस स्टैण्ड, रुड़की	18.06.2015
10.	मै. होटल मोटल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
11.	मै. होटल सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
12.	मै. आनंद लौज, 32 सिविल लाईन, नियर नीलम टॉकिज, रुड़की	18.06.2015
13.	मै. केशव पोलीमर्स एण्ड ट्रेडर्स, रुड़की	12.08.2015
14.	मै. शांति ग्रामोद्योग संस्थान, हरिद्वार	01.09.2015
15.	मै. महाशक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, बंजेरावाला, रुड़की	02.09.2015
16.	मै. टेक्स जिपर, देव भूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी	12.10.2015

## परिशिष्ट 1.3

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

2014-15 के दौरान यू.ई.पी.पी.सी.बी. द्वारा दिए गए बंदी नोटिस वाले 44 डिफाल्टिंग उद्योगों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	दोषी उद्योगों के नाम
1.	मै. इकबाल आइस फैक्ट्री, भगवानपुर, हरिद्वार
2.	मै. तिरूपति एल.पी.जी. इंडस्ट्रीज लि., सेलाक्यू, देरादून
3.	मै. वैनगार्ड लेबोरेटरीज, सेलाक्यू, देहरादून
4.	मै. देवंशू एप्पलिंग्स प्रा. लि., सेलाक्यू, देहरादून
5.	मै. ई-ड्यूरेबल्स यूनिट-2, सेलाक्यू, देहरादून
6.	मै. पी.एम.वी. न्यूट्रिएंट्स प्रा. लि., महुआखेदगंज, काशीपुर
7.	मै. अरहम टेक्नोकेम, देवभूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी
8.	मै. हिमालया ब्रिक फिल्ड, टिकोला, रुड़की
9.	मै. एली फार्मासियूटिकल्स, सिसोना, भगवानपुर
10.	मै. अनिशका पोलीसर्फ, देवभूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी
11.	मै. गणेश ब्रिक फिल्ड, रुड़की
12.	मै. यू.पी. बोन मिल्स, रुड़की, हरिद्वार
13.	मै. तेजस स्टोन क्रशर, भोगपुर, हरिद्वार
14.	मै. ओम साई स्क्रीनिंग प्लांट, भोगपुर, हरिद्वार
15.	मै. श्रीजी स्टोन क्रशर, भोगपुर, हरिद्वार
16.	मै. कोसी मिनरल एण्ड स्टोन क्रशर, लधपूरा, बाजपुर, यू.एस. नगर
17.	मै. बी.आर. पेपर्स लि., लालपुर, जसपुर, काशीपुर
18.	मै. शुभम केमिकल्स प्रा. लि., लालपुर, किछा
19.	मै. जी.एस. फार्माबूटर प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
20.	मै. रामा पेनेल प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
21.	मै. यू एण्ड के स्टील, सुनहेरा, रुड़की
22.	मै. हनुआंग ट्रायॉज एण्ड टेक्सटाइल लि., लकेश्वरी
23.	मै. मल्टीवाल डूप्लेक्स प्रा. लि., काशीपुर
24.	मै. श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल लि. (यूनिट-1), काशीपुर
25.	मै. रोशन ब्रिक फिल्ड, नागला, लंधोरा

क्र. सं.	दोषी उद्योगों के नाम
26.	मै. सवेरा ब्रिक फिल्ड, बिजोला, लंधोरा, रूडकी
27.	मै. अंचल ब्रिक फिल्ड, बिजहोली, लंधोरा
28.	मै. अकबर खान ब्रिक फिल्ड, कलियार, रूडकी
29.	मै. चंद ब्रिक सप्लाई, नागला, लंधोरा
30.	मै. बाबा ब्रिक फिल्ड, झेबरेदा
31.	मै. शब्री ब्रिक फिल्ड, स्टेशन रोड, लंधोरा, हरिद्वार
32.	मै. इंडियन भट्टा, बिजहोली, हरिद्वार
33.	मै. जे.बी.एम. इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंड. एस्टेट, लकेश्वरी
34.	मै. जे.एम.जे. पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., खेमपुर-शिकारपुर
35.	मै. स्वास्ति आर.एम.सी., ब्राह्मणवाला, हरिद्वार-बाई-पास, देहरादून
36.	मै. एप्पल फार्मूलेशन प्रा. लि., किशनपुर, भगवानपुर
37.	मै. निजाम उद्याग, मंगलौर, रूडकी
38.	मै. यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर
39.	मै. ऋद्धि विनायक टेकनो कॉन्क्रिट प्रोडक्ट्स, माजरा
40.	मै. रावा हिटेक रूद्रपुर प्रा. लि., रूद्रपुर
41.	मै. डॉफहिल्स लेबोरेटरी प्रा. लि., सेलाक्यू, देहरादून
42.	मै. डफोहिल्स लेबोरेटरीज प्रा. लि., सेलाक्यू, देहरादून
43.	मै. पी.एम.वी. माल्टिंग (प्रा.) लि., महुआखेदगंज
44.	मै. स्काईमैप फार्मासियूटिकल्स, देवभूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी

यू.ई.पी.पी.सी.बी. दो बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण मै. डफोहिल्स लेबोरेटरीज प्रा. लि. सेलाक्यू, देहरादून का नाम दो बार दर्शाया गया।

## परिशिष्ट 1.4

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

हरिद्वार में स्थित बंद उद्योगों की सूची (2014-15 के दौरान कारण पृच्छा नोटिस दिए गए 44 उद्योगों में से)

क्र.सं.	दोषी उद्योगों के नाम	बंद करने का नोटिस जारी करने की तारीख
1.	मै. बाबा ब्रिक फिल्ड, झेबरेदा	01.08.2014
2.	मै. रोशन ब्रिक फिल्ड, नागला, लनधोरा	02.07.2014
3.	मै. सवेरा ब्रिक फिल्ड, बिजोला, लनधोरा, रूड़की	02.07.2014
4.	मै. अंचल ब्रिक फिल्ड, बिजहोली, लनधोरा	01.08.2014
5.	मै. चंद ब्रिक सप्लाई, नागला, लनधोरा	01.08.2014
6.	मै. शब्री ब्रिक फिल्ड, स्टेशन रोड, लनधोरा, हरिद्वार	06.09.2014
7.	मै. इंडियन भट्टा, बिजहोली, हरिद्वार	06.09.2014
8.	मै. एप्पल फार्मलेशन प्रा. लि., किशनपुर, भगवानपुर	02.07.2014
9.	मै. यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर	16.07.2014
10.	मै. अकबर खान ब्रिक फिल्ड, कलियार, रूड़की	01.08.2014
11.	मै. निजाम उद्याग, मंगलौर, रूड़की	02.07.2014
12.	मै. जे.एम.जे. पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., खेमपुर-शिकारपुर	10.02.2015
13.	मै. जे.बी.एम. इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंड. एस्टेट, लकेश्वरी	24.02.2015

## परिशिष्ट 1.5

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

2015-16 के दौरान दिए गए बंदी नोटिस वाले 106 डिफाल्टिंग उद्योगों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	दोषी उद्योगों के नाम
1.	मै. वी.आई.पी. इंडस्ट्रीज लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
2.	मै. खतेमा फाइबर्स लि., खतिमा
3.	मै. कोणार्क इंडस्ट्रीज, महुआखेदगंज, काशीपुर
4.	मै. ओमकार इंफ्राटेक लि., रतनपुरी, बाजपुर, काशीपुर, यू.एस. नगर
5.	मै. जस्ट इन एग्री फूड (पी) लि., महुआखेदगंज
6.	मै. मेगा कंट्री, मसूरी डाइवरजन, देहरादून
7.	मै. प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एण्ड मेनटिनेन्स यूनिट, ऋषिकेश
8.	मै. के.वी.एन. ऑटो इंजीनियरिंग प्रा. लि., लालपुर
9.	मै. रूद्र ऑटो टेक इंजीनियरिंग प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
10.	मै. श्री राधे इंटरप्राइजेज, रायपुर इंड. एस्टेट, रायपुर
11.	मै. डी.पी.एस. पोलीमर्स, भगवानपुर
12.	मै. समीर ब्राइट बार इंडस्ट्रीज, रूद्रपुर
13.	मै. श्री गुरु स्टोन क्रशर प्रा. लि., कनौरी, बाजपुर
14.	मै. आशा स्टोन क्रशर, बाजपुर
15.	मै. हरि हर स्टोन क्रशर प्रा. लि., कनौरी, बाजपुर
16.	मै. रेडिशन ब्लू होटल हरिद्वार, आई.आई.ई. हरिद्वार
17.	मै. गगन ब्रिक सप्लाई, रूड़की
18.	मै. गगन ब्रिक सप्लाई, टंडा भनेदा, रूड़की
19.	मै. अल्फा इंगोत्स, गंगनोली, लक्सर
20.	मै. श्री बाँके बिहारी इस्पात प्रा. लि., काशीपुर, किछा
21.	मै. वैन हेल्थ केयर, करौंदी, हरिद्वार
22.	मै. पंचवटी प्रयोगशाला, रूड़की
23.	मै. एच.एम.आई. मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, हरिद्वार
24.	मै. जे.एम.डी. हीट ट्रीटमेंट, भगवानपुर
25.	मै. इकबाल आइस फैक्ट्री, भगवानपुर, हरिद्वार

क्र.सं.	दोषी उद्योगो के नाम
26.	मै. एप्पल इंडस्ट्रीज, ओल्ड इंड. एरिया, हरिद्वार
27.	मै. माइक्रो टर्नर, बेगमपुर, हरिद्वार
28.	मै. टेक हार्ड इंडिया, बहादुराबाद इंड. एरिया
29.	मै. वेरीजोन इनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया
30.	मै. मकिनो ऑटोमोटिव, बहादुराबाद इंड. एरिया
31.	मै. अवंति बूफा प्रा. लि., रायपुर, भगवानपुर, रूडकी
32.	मै. महाकाली स्टोन क्रशर, हल्दवानी
33.	राज राजेश्वरी टेक्नो फेब, देवभूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी
34.	मै. होटल शिव साई, इंदिरा बस्ती, हरिद्वार
35.	मै. विवेक होटल, इंदिरा इंकलेव, शांतिकुंज, हरिद्वार
36.	मै. डेक्सबायो फार्मा प्रा. लि., रायपुर, भगवानपुर
37.	मै. मिट्टर एण्ड मिट्टर इंजीनियर्स प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
38.	मै. काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल प्रा. लि., काशीपुर
39.	मै. मीटर एण्ड मीटर इंजीनियर्स प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
40.	मै. सुंदरम फास्टनर लि., आई.आई.ई. पंतनगर
41.	मै. वेरीजोन इनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
42.	मै. उत्तरांचल पल्प एण्ड पेपर, मंगलौर
43.	मै. आल्प्स इंडस्ट्रीज लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
44.	मै. साई ऑटो इंडस्ट्रीज, शिमला पिस्तौर, रूद्रपुर
45.	मै. सुरीन ऑटोमोटिव प्रा. लि., किशनपुर
46.	मै. भारत ग्लास एण्ड एल्युमीनियम वर्क्स, बेगमपुर
47.	मल्टीवाल पल्प एण्ड बोर्ड मिल प्रा. लि., बाजपुर रोड, काशीपुर
48.	मै. मल्टीवाल डूप्लेक्स प्रा. लि., कुंदेश्वरी रोड, काशीपुर, यू.एस. नगर
49.	मै. यूरेसिया डूरडिवाइसेस, आई.आई.ई. पंतनगर
50.	मै. राधू प्रोडक्ट्स, प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर
51.	मै. अरहम टेक्नोकेम, बंटाखेदी, भगवानपुर
52.	मै. सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्रा. लि., आई.आई.ई. हरिद्वार
53.	मै. पंकज गैस सिलिण्डर, आई.आई.ई. पंतनगर
54.	मै. एस.एस.वी. हाई टेक रूद्रपुर

क्र.सं.	दोषी उद्योगों के नाम
55.	मै. तक्षी ऑटो कॉम्पोनेंट्स प्रा. लि., आई.आई.ई. रानीपुर
56.	मै. ए.एन.जी. ऑटो लि., एल्डेको-सिडकुल इंड. पार्क, सितारगंज
57.	मै. फेरो टेरो इंडिया प्रा. लि., लकेश्वरी, भगवानपुर
58.	मै. नीडल आई प्लास्टिक इंडसट्रीज प्रा. लि., बाजपुर
59.	मै. अमन मेटल फिनिशर, आई.आई.डी.सी. रानीपुर, हरिद्वार
60.	मै. आशिष एग्री फूड प्रा. लि., महुआखेदगंज
61.	मै. श्री साई इंडरप्राइजेज, किछा रोड, रूद्रपुर
62.	मै. विंडाल्स ऑटो पार्ट्स प्रा. लि. (यूनिट-3), रूद्रपुर
63.	मै. श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल प्रा. लि., यूनिट-2, काशीपुर
64.	मै. क्यूदे एक्सपोर्ट, आई.आई.ई. पंतनगर
65.	मै. एस.एल.जी. ब्राइट वायर्स, आई.आई.ई. पंतनगर
66.	मै. आर.आर. इंटरप्राइजेज, आई.आई.ई. पंतनगर, हरिद्वार
67.	मै. शार्प इंडसट्रीज, आई.आई.ई. रानीपुर
68.	मै. पी.एन. पल्प एण्ड पेपर किचा रोड, यू.एस. नगर
69.	मै. टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्रा. लि., बहादुरपुर सैनी
70.	मै. हिलवेज कंस्ट्रक्शन कम्प. प्रा. लि., रूद्रप्रयाग
71.	मै. रूद्रधाम रिसाइकिलर्स प्रा. लि., रूड़की, हरिद्वार
72.	मै. द अर्टिगो रेसिडेंसी, मसूरी डाइवरजन
73.	मै. सीमा कंस्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार
74.	मै. होटल तपोवन रिसोर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
75.	मै. रोलट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लि., आई.आई.ई. रानीपुर
76.	मै. राजा आइस फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार
77.	मै. शीतला फिनिशर्स, ददुपुर, हरिद्वार
78.	मै. नजमा आइस फैक्ट्री, ददुपुर, हरिद्वार
79.	मै. सबरी ब्रिक फिल्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर रोड
80.	मै. बंसल इम्पैक्स, किच्छा रोड, रूद्रप्रयाग, यू.एस. नगर
81.	मै. एस.टी.पी. इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रूड़की
82.	मै. दुर्गा इंजीनियरिंग, लकेश्वरी, हरिद्वार
83.	मै. स्काफ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार

क्र.सं.	दोषी उद्योगों के नाम
84.	मै. इंडियन भट्टा, बिजहोली
85.	मै. अग्रवाल एल्युमीनियम, सितारगंज
86.	मै. टी.एस. इंटरप्राइजेज, गढ़ी मेचक, श्यामपुर, ऋषिकेश
87.	मै. जी.एस. इंटरप्राइजेज, मोहबेवाला इंड. एरिया
88.	मै. सागर केमिकल्स, हल्दवानी
89.	मै. पी.एन. पेपर इंडस्ट्री लि., किच्छा
90.	मै. श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल प्रा. लि., यूनिट-1, काशीपुर
91.	मै. टेक्स जिपर्स, देव भूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी, हरिद्वार
92.	मै. पार्क प्राइम होटल्स, हरिद्वार
93.	मै. मेडग्लोब थेराप्यूटिक्स लि., रायपुर, भगवानपुर, रुड़की
94.	मै. माइक्रो टर्नर, आई.आई.ई. पंतनगर
95.	मै. माइक्रो टर्नर, आई.आई.ई. हरिद्वार
96.	मै. केशव पोलीमर एण्ड ट्रेडर्स, लकेश्वरी, भगवानपुर
97.	मै अफताब बैट्री उद्योग, केलखेदा, बाजपुर
98.	मै. परूल फैब्रीकेटर्स, सितारगंज
99.	मै. लोहे इलेक्ट्रॉनिक्स, किशनपुर, किच्छा
100.	मै. गणपति मेटल प्रोडक्ट्स, भूरानी, रुद्रप्रयाग
101.	मै. सुरंश पावर प्रा. लि., रामनगर
102.	मै. नरेन्द्र प्रीसिजन फास्टनर्स, आई.आई.ई. पंतनगर
103.	मै. विण्डल्स ऑटो प्रा. लि., भगवादा, किच्छा
104.	मै. अवन्ति मेटल इंडस्ट्रीज, आई.आई.ई. पंतनगर
105.	मै. बी.ए. इंटरनेशनल, रुड़की
106.	मै. दशमेश रोसीन कम्पनी, दोगदा, भूजियाघट, नैनीताल

- गगन ब्रिक सप्लाई, रुड़की, मिहूर & मिहूर इंजीनियर्स प्रा. लि., आई.आई.ई. पंतनगर, वेरीजोन इनर्जी सिस्टेन, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार तथा विंडाल्स ऑटो प्रा. लि. भगवाड़ा, किच्छा को यू.ई.पी.पी.सी.बी. द्वारा बंदी नोटिस दो बार दिए जाने कारण सूची में दो बार नजर आते हैं।



## परिशिष्ट 1.6

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

हरिद्वार में स्थित बंद उद्योगों की सूची (2015-16 के दौरान दिए गए बंदी नोटिस वाले 106 उद्योगों में से)

क्र. सं.	दोषी उद्योगों का नाम	बंद नोटिस जारी करने की तिथि
1.	मै. शार्प इंडस्ट्रीज, आई.आई.ई. रानीपुर	06.02.2016
2.	मै. रालट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लि., आई.आई.ई. रानीपुर	23.05.2015
3.	मै. टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्रा. लि., बहादुरपुर सैनी	06.02.2016
4.	मै. एस.टी.पी. इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रूड़की	18.05.2015
5.	मै. राजा आइस फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार	16.06.2015
6.	मै. नजमा आइस फैक्ट्री, ददुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
7.	मै. रूद्रधाम रिसाइकिलर्स प्रा. लि., रूड़की, हरिद्वार	01.05.2015
8.	मै. सीमा कंस्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार	23.05.2015
9.	मै. शीतला फिनिशर्स, ददुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
10.	मै. सबरी ब्रिक फिल्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर रोड	22.06.2015
11.	मै. दुर्गा इंजीनियरिंग, लकेश्वरी, हरिद्वार	01.09.2015
12.	मै. स्काफ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार	01.09.2015
13.	मै. इंडियन भट्टा, बिजहोली	06.09.2015
14.	मै. मेडग्लोब थेराप्यूटिक्स लि., रायपुर, भगवानपुर, रूड़की	08.01.2016
15.	मै. केशव पोलिमेर एण्ड ट्रेडर्स, लकेश्वरी, भगवानपुर	22.01.2016
16.	मै. आर.आर. इंटरप्राइजेज, आई.आई.ई. पंतनगर, हरिद्वार	06.02.2016
17.	मै. बी.ए. इंटरनेशनल, भगवानपुर, रूड़की	06.02.2016
18.	मै. टेक्स जिपर्स, देव भूमि इंड. एस्टेट, बंटाखेदी, हरिद्वार	21.12.2015

परिशिष्ट 1.7  
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में, टेबल 8.1)

क्रम संख्या	शहर का नाम	कुल नाला	नाला से बहाव (एम.एल.डी.)	रोके गए नाले	नाला से रोका गया बहाव (एम.एल.डी.)	नदी का नाम जिसमें नाला गिरता है	टिप्पणी, यदि कोई
1.	उत्तरकाशी	4	0.380	4	0.38	भागीरथ	
2.	श्रीनगर	17	2.270	7	1.52	अलकनंदा	
3.	देवप्रयाग	4	0.128	1	0.029	गंगा	
4.	तपोवन	5	0.390	5	0.39	गंगा	इन पाँचों नालों में से दो में प्राकृतिक अप्रदूषित पानी बहता है।
5.	मुनी-की-रेती धलवाला	15	7.570	9	0.37	गंगा	
6.	ऋषिकेश	5	8.210	4	8.20	गंगा	
7.	हरिद्वार	22	31.49	17	19.69	गंगा	
8.	बद्रीनाथ	6	0.549	-	-	अलकनंदा	
9.	जोशीमठ	7	3.620	-	-	अलकनंदा	
10.	गोपेश्वर	7	1.580	-	-	अलकनंदा	
11.	नंदप्रयाग	9	0.091	-	-	अलकनंदा	नौ नालों में से केवल तीन में गंदा जल बहता है।
12.	कर्णप्रयाग	7	0.202	-	-	अलकनंदा	
13.	गौचर			-	-	अलकनंदा	
14.	रुद्रप्रयाग	8	0.362	-	-	अलकनंदा	
15.	कीर्तिनगर	2	0.029	-	-	अलकनंदा	
	<b>कुल</b>	<b>111</b>	<b>56.871</b>	<b>47</b>	<b>30.579</b>		

## संक्षिप्तियाँ

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
ए.ए. एण्ड ई.एस.	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति
ए.ए.पी.	वार्षिक कार्य योजना
ए.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.	स्वचालित जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली
बी.ई.	बजट आकलन
बी.एच.ई.एल.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
बी.एल.एस.	आधारभूत सर्वेक्षण
बी.ओ.डी.	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग
बी.पी.एल.	गरीबी स्तर से नीचे
बी.आर.सी.	बज समीक्षा समिति
बी.यू.आई.डी.सी.ओ.	बिहार शहरी आधारिक संरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड
सी. एण्ड ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ए. एण्ड एफ.एस.	सशर्त मूल्यांकन व्यवहार्यता अध्ययन
सी.सी.ए.	समेकित सहमति एवं प्राधिकरण
सी.ई.टी.एफ.	समग्र पारिस्थितिक टास्क फोर्स
सी.ई.टी.पी.	आम प्रवाह उपचार संयंत्र
सी.जी.ए.	केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण
सी.जी.एफ.	स्वच्छ गंगा निधि
सी.आई.एफ.आर.आई.	केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान
सी.पी.सी.बी.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय सार्वजनिक अनुभाग उपक्रम
सी.एस.पी.	शहरी स्वच्छता योजना
सी.वी.सी.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सी.डब्ल्यू.सी.	केन्द्रीय जल आयोग
डी.ए.पी.वी.	विज्ञापन एवं दृश्य लोकप्रियता निदेशालय
डी.डी.जी.	उप महानिदेशक
डी.ई.ए.	आर्थिक संबंध विभाग

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
डी.जी.	महा निदेशक
डी.ओ.	विघटित ऑक्सीजन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डी.डब्ल्यू.एस.एम.	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ई.ए.	निष्पादन एजेंसी
ई.ए.पी.	बाह्य सहायता प्राप्त योजना
ई.डी.	कार्यकारी निदेशक
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.आई.एल.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ई.एम.पी.	पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम
ई.पी.आई.एल.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड
ई.पी.ओ.	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
ई.एस.सी.	सशक्त स्टियरिंग समिति
ई.टी.एफ.	सशक्त टास्क फोर्स
एफ.आई.जी.	गंगा हेतु वानिकी हस्तक्षेप
एफ.आई.वाई.	यमुना हेतु वानिकी हस्तक्षेप
एफ.आर.आई.	वन अनुसंधान संस्थान
जी.ए.पी.	गंगा कार्य योजना
जी.बी.	शासी निकाय
जी.सी.	शासी परिषद्
जी.एफ.आर.	सरकारी वित्तीय नियमावली
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.के.सी.	गंगा ज्ञान केन्द्र
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.पी.डी.	गंगा प्रोजेक्ट निदेशालय
जी.पी.आई.	अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग
जी.आर.बी.एम.पी.	गंगा नदी किनारे प्रबंधन योजना
जी.टी.एफ.	गंगा टास्क पोर्स

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
एच.एल.टी.एफ.	उच्च स्तरीय टास्क फोर्स
आई एण्ड डी	अवरोधन एवं मोड़
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.एच.एच.एल.	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आई.आई.पी.ए.	भारतीय प्रकाशन संस्थान
आई.आई.टी.	भारतीय तकनीकी संस्थान
आई.एस.सी.	अंतर्राज्यीय परिषद
जे.आई.सी.ए.	जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी
के.एम.सी.	कोलकाता नगर निगम
के.एम.डी.ए.	कोलकाता मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण
एल.डी.	द्रव्यित हानि
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.एल.डी.	मिलियन लीटर प्रतिदिन
एम.ओ.ए.	समझौता जापन
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एम.ओ.ई.एफ.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.एफ.	वित्त मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता जापन
एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एण्ड जी.आर.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय
एन.बी.सी.सी.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
एन.ई.ई.आर.आई.	राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
एन.जी.आर.बी.ए.	राष्ट्रीय गंगा नदी किनारे प्राधिकरण
एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल
एन.आई.टी.	संविदा आमंत्रण हेतु सूचना
एन.एम.सी.जी.	स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
एन.पी.सी.सी.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
एन.पी.एफ.यू.	राष्ट्रीय परियोजना सुविधा केन्द्र
एन.आर.सी.डी.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
एन.आर.सी.पी.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम
एन.आर.एस.सी.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र
ओ. एण्ड एम.	संचालन एवं रख-रखाव
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.एच.ई.डी.	लोक स्वास्थ्य एं अभियंता विभाग
पी.एस.सी.	परियोजना स्टीयरिंग समिति
क्यू.पी.पी.आर.	तिमाही भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
आर.ए.सी.	अनुसंधान परामर्शदाता समिति
आर.ई.	संशोधित आकलन/मूल्यांकन
आर.एफ.डी.	नदी के सामने का विकास
एस.बी.एम. (जी.)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एस.ई.सी.	राज्य कार्यकारी समिति
एस.ई.आई.ए.ए.	राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण
एस.एफ.डी.	राज्य वन विभाग
एस.जी.सी.	राज्य गंगा समिति
एस.जी.आर.सी.ए.	राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण
एस.आई.आई.डी.सी.यू.एल.	उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
एस.एल.डब्ल्यू.एम.	ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एस.पी.सी.बी.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एस.पी.एम.जी.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह
एस.टी.पी.	मल-जल निपटान संयंत्र
टी.सी.	कुल कोलिफॉर्म
टी.डी.आर.	सावधि जमा रसीद
टी.एन.सी.	प्रकृति संरक्षण
टी.पी.आई.	तीसरा दल निरीक्षण

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यू.ई.पी.पी.सी.बी.	उत्तराखण्ड पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यू.जे.एस.	उत्तराखण्ड जल संस्थान
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय इकाई
यू.एन.डी.पी.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यू.पी.जे.एन.	उत्तर प्रदेश जल निगम
यू.पी.एस.पी.एम.जी.	उत्तर प्रदेश राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह
वी.एल.डी.	ग्राम स्तर निकासी
वी.डब्ल्यू.एस.सी.	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी.	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
डब्ल्यू.आई.आई.	भारतीय वन्यजीवन संस्थान
डब्ल्यू.क्यू.एम.	जल गुणवत्ता निगरानी
वाई.ए.पी.	यमुना कार्य योजना

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)